लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

[छठा सत्र
Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 19, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 1972/17 अग्रहायण, 1894 (शक)

No. 19, Friday, December 8, 1972/Agrahayana 17, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
361 सराकार द्वारा सम्पूर्ण आयात और निर्यात व्यापार को अपने अधिकार में लेना	Take-over of Entire Import and Export Trade by Government	1
363 कच्चे ऊन पर आयात शुल्क समाप्त किया जाना	Withdrawal of Import Duty on Raw Wool	2—3
365 ब्याज की रियायती दर पर उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों को दिये गये ऋण	Loans provided to Adivasi Areas in Orissa under Concessional Rate of interest	3
367 केरल सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध	Request made by Kerala Government for Fixation of Prices of Essential Commodities	3—5
370 आयकर अधिकारियों की दो श्रेणियों के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों में असमानता	Disparity in the Pay Scales and Conditions of Service of the two Classes of Income-Tax Officers	5—9
371 बंगला देश को कोयले की सप्लाई	Supply of Coal to Bangladesh	9—10
374 इन्जीनियरों के एक शिष्टमण्डल की एशिया तथा जापान की यात्रा	Engineering Delegation's Tour to Asia and Japan	10—12
375 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता	Assistance under United Nations Development Programme	12
377 स्टेट बैंक आफ इण्डिया में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण	Reserved Quota for Scheduled Castes in State Bank of India	12—14
378 वार्षिक व्यापार योजना पर भारत रूस वार्ता	Indo-Soviet Talks on Annual Trade Plan	14—15
379 विश्व मंडी में चमड़ा उद्योग का असंतोषजनक कार्य	Unsatisfactory Role of Leather Industry in World Market	15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
380	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग तथा आयकर विभाग, पटना में काम कर रहे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि	Land for Construction of Quarters for the Employees Working in Central Excise and Income-Tax Departments. Patna.	

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

362	ब्रिटेन, अमरीका, 'कोमीकोन' और मध्य पूर्व के देशों के साथ निर्यात आयात व्यापार की मात्रा	Turn-over of Export/Import Trade with U.K., U.S.A. COMECON and Middle East Countries	17
364	'बेरियम कार्बोनेट' खरीदने के लिये रूस का निर्णय	Soviet Union's decision to buy Barium Carbonate	18
366	चमड़ा और खाल का अनियंत्रित निर्यात	Unchecked Export of Hides and Skins	18
368	तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट	Report of Third Pay Commission	18
369	जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश में उद्योगों, आवास परियोजनाओं और कम्पनियों में लगाई गई पूंजी	Capital invested by L.I.C. in industries, housing projects and companies in Madhya Pradesh	18—19
372	पटसन की वसूली में कमी	Shortfall in Jute Procurement	19
373	भारत बल्गारिया व्यापार करार	Indo-Bulgaria Trade contract	20
376	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बम्बई से धन की चोरी	Money stolen from Reserve Bank of India, Bombay	20
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3525	चम्बल घाटी के लिये विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank for Chambal Valley	20—21
3526	केन्द्रीय औद्योगिक संस्थानों में विदेशी तकनीशन तथा इन्जीनियर	Foreign Technicians and Engineers in Central Industrial Establishments	21
3527	जूट मालिकों द्वारा जूट के निर्यात में कमी	Reduction in Jute Exports by Jute owners	21
3528	नियंत्रण में ली गई सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष उपाय	Special Measures to Modernise the Taken-over Textile Mills	21—22
3529	1968 में भर्ती हुए आयकर अधिकारियों की वरिष्ठता	Seniority of Income-Tax Officers Recruited in 1968	22
3530	संयुक्त राज्य अमरीका से आर्थिक सहायता	Economic Aid from U.S.A.	22
3531	पांचवीं योजना में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिये मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध	Request from Madhya Pradesh Government for Developing Tourist Facilities during Fifth Plan	22
3532	रबड़ का विपणन	Marketing of Rubber	23

अता० प्र०संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3533	रबड़ बोर्ड के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रादेशिक परिष्करण केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up Central and Regional Processing Centres under Rubber Board	
3534	आयात तथा निर्यात नियंत्रक का वेतनमान	Pay Scale of Controller of Imports and Exports	23
3535	हौजरी उद्योग को मुआवजे का आश्वासन	Assurance for Compensation to Hosiery Industry	23
3536	मैसर्स मैकेनजीज लिमिटेड, बम्बई की ओर बकाया आय कर	Income-Tax outstanding against M/s Mckenzies Ltd., Bombay	23—24
3537	1970-71 और 1971-72 में 5 स्टार होटलों में कमरे लेने वाले भारतीयों तथा विदेशियों की संख्या	Number of Indians and Foreigners who have occupied rooms in five-star Hotels during 1970—71 and 1971—72	25
3538	पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में श्रमिकों की नियुक्ति	Appointment of workers on the Board of Directors in Public Undertakings under the Ministry of Tourism and Civil Aviation	26
3539	फर्मों द्वारा ऊनी वस्त्रों का अवैध आयात	Illegal import of Woollen garments by Firms	26
3540	देश में हवाई अड्डों पर आग बुझाने के अपर्याप्त यूनिट	Inadequate Fire-fighting Units at Airfields in the country	26—27
3541	1971 में हथकरघा तथा रेशम की वस्तुओं के निर्यात में कमी	Shortfall in Export of Handloom and Silk Goods in 1971	27
3342	इजरायल के साथ व्यापार	Trade with Israel	27
3543	केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को चयन ग्रेड देने के नियम	Rules for giving Selection Grade to Central Government Officers	27
3544	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम में संशोधन	Amendments in Monopolies and Restrictive Trade Practices Act	28
3545	बैलापुर शूगर तथा सम्बद्ध उद्योगों संबंधी जांच प्रतिवेदन	Report of Enquiry into Belapur Sugar and Allied Industries	28
3546	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के अध्यक्ष के सुझाव	Suggestions by Chairman of Engineering Export Promotion Council regarding Export of Goods	28—29
3547	भारत में फोर्ड फाउंडेशन में नियुक्त विदेशी	Foreigners deployed by Ford Foundation in India	29—30
3548	उपहार योजना के अन्तर्गत ट्रेक्टरों का आयात	Import of Tractor under Gift Scheme	30—31
3549	तकनीकी क्षेत्रों में भारत अमरीकी पारस्परिक सहयोग	Indo-U.S. mutual Co-operation in Technical Areas	31—32
3550	हिन्दी दैनिक 'अवन्तिका' के विरुद्ध आरोपों की जांच	Investigation into Charges against Hindi Daily 'Avantika'	32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3551	हिंडलको के एकमात्र विक्रय एजेंट	Sole Selling Agents of Hindalco	32
3552	हरियाणा से वापस लिये गये शांति स्वयं सेवकों को अन्य राज्यों में नियुक्त करना	Absorption in other States of Peace Corps Volunteers withdrawn from Haryana	32—33
3553	कोलम्बो योजना की परामर्शदात्री समिति की बैठक	Meeting of Consultative Committee of Colombo Plan	33—34
3554	एक निजी केबल कम्पनी द्वारा पोलीथिलीन पाउडर की बिक्री के संबंध में कथित घोटाला	Alleged scandal regarding disposal Polythyline Powder held by private Cable Company	34
3555	तकनीकी ऋणों के आधार पर विदेशों के साथ करार	Agreement on basis of Technical Credits with foreign countries	34
3556	1972–73 में निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य	Export Target during 1972-73	34—35
3557	राज्य व्यापार निगम में प्रबन्धकों तथा निदेशकों के रिक्त पद	Managerial and Directors Posts lying vacant in S.T.C.	35
3558	निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता	Failure to Achieve Export Target	35—36
3559	पाँचवीं योजना में निर्यात बढ़ाने के लिए कार्यवाही	Steps to increase Exports during Fifth Plan	36
3560	भारत में अफीम का उत्पादन और इसकी खपत	Production and Consumption of Opium in India	36—37
3561	भारत में युवकों द्वारा अफीम का प्रयोग	Use of Opium by the Youth in India	37
3562	रबड़ बागान के लिए केरल को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Kerala for Rubber Plantation	38
3563	विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि मंडल	Delegations sent abroad	38
3564	कपास के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देना सुनिश्चित करना	Ensuring Remunerating Price for Cotton Growers	38—39
3565	भारतीय निवेश केन्द्र (इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर) में प्रति नियुक्ति पर गए अधिकारी	Officers on Deputation to Indian Investment Centre	39—40
3566	नारियल जटा उद्योग के पुनर्गठन के बारे में केरल को भेजा गया अध्ययन दल	Study Team to Kerala re ; Reorganisation of Coir industry	40
3567	रेलवे माल डिब्बों के लिये विदेशों को दिए गए आर्डर	Orders for Railway Wagons placed with Foreign Countries	40—41
3568	पारादीप (उड़ीसा) में तूफान की पूर्व सूचना देने के लिए अधिक शक्तिशाली राडार यूनिट	High Power Radar Unit for Cyclone Forecasting at Paradeep (Orissa)	41
3569	समाजवादी देशों को वैगनों का निर्यात	Export of Wagons to Socialist Countries	41
3570	बम्बई क्षेत्र में ऊन उद्योग में हड़ताल	Strike in Woollen Industry in Bombay Region	41—42

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3571	राज्य व्यापार निगम द्वारा भारतीय फिल्मों का निर्यात	Export of Indian Films by S.T.C.	42
3572	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों और इंजीनियरों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Educated Unemployed and Engineers by Nationalised Banks	42
3573	बैंकों में डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि	Increase in Bank Robberies	42—43
3574	सरकारी अधिकार में लिए गए मिलों के लिए केन्द्रीय संगठन	Central Organisation for taken-over Mills	43
3575	पी० एल० 480 निधियों के प्रयोग पर नियन्त्रण	Control over use of PL-480 Funds	43—44
3576	काश्मीर में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए रेशम बोर्ड	Silk Board to encourage Silk Industry in Kashmir	44
3577	राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में अनियमिततायें	Irregularities in the National Council of Applied Economic Research, New Delhi	44—45
3578	लम्बे रेशे वाली कपास का आयात	Import of Long Staple Cotton	45—46
3579	सरकारी उपक्रमों में उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गये उपाय	Steps to Boost production in Public Undertakings	46—47
3580	विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के उपाय	Steps to increase Foreign Exchange Earnings	47
3581	गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी में कमी	Fall in capital raised by Non-Government Companies	47
3582	अभ्रक के निर्यात के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम का जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ हुआ करार	Contract signed by MMTC with German Democratic Republic for Export of Mica	47—48
3583	चाय के निर्यात से विदेशी मुद्रा का अर्जन	Foreign Exchange earnings from Export of Tea	48
3584	हार्ड कोक के उत्पाद का निर्यात बन्द करने के लिए अभ्यावेदन	Representations to stop Export of bye-product Hard Coke	48
3585	गोआ से खनिज पदार्थों का निर्यात	Export of Minerals from Goa	48
3586	1973-75 में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार करार के लिए प्रस्ताव	Proposal for Trade Agreement between India and U.K. in 1973—75	48—49
3587	500 से अधिक अंशधारियों वाली कोयला खनन कम्पनियां	Coal Mining Companies having more than 500 shareholders	49
3588	भारत और स्वीडन के बीच ऋणों के लिए करार	Agreement for Loans between India and Sweden	49
3589	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Ex-servicemen in Public Sector undertakings	49—50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3590	रूई के आयात का प्रस्ताव	Proposal to import cotton	50
3591	75 एकाधिकार वाले गृहों द्वारा देय सरकारी संस्थागत ऋण	Outstanding Credit Advanced by Public Institutions to 75 Monopoly Houses	50
3592	तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली में 'ध्वनि और प्रकाश' कार्यक्रम	Son-Et-Lumiere at Teen-Murti House, New Delhi	50—51
3593	भारत के कृषि विश्वविद्यालयों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण	Loan from International Development Association for Agricultural Universities in India	51
3594	अपहरण के भय के कारण इंडियन एयरलाइन्स की कलकत्ता-गोहाटी उड़ान का रद्द किया जाना	Calcutta-Gauhati Flight of Indian Airlines cancelled due to Hijack Scare	51
3595	ओपियम फैक्ट्री, गाजीपुर के श्रमिकों को बोनस दिया जाना	Payment of Bonus to workers of Opium Factory, Ghazipur	52
3596	नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Coir Board Employees	52
3597	धागे का उपलब्ध न होना	Non-availability of Yarn	52—53
3598	चौथी पंचवर्षीय योजना के उपबन्धों के अतिरिक्त केरल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala outside the Fourth Five Year Plan Provision	53
3599	ब्रिटेन से भारत को 'सोफ्ट' ऋण	Soft Credit from U.K. to India	53 54
3600	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिया गया ऋण	Loans given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes by Nationalised Banks in Madhya Pradesh	54
3601	मध्य प्रदेश में बैंक कर्मचारियों की संख्या	Bank Bmployees in Madbya Pradesh	54
3602	प्राइवेट फर्म द्वारा दिल्ली में 'विग' फैक्ट्री स्थापित किया जाना	Setting up of Wig Factory in Delhi by Private Party	54—55
3603	पालम हवाई अड्डे पर जहाजों के उतरने की उपकरण व्यवस्था (इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम)	Instrument Landing System at Palam Airport	55
3604	इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा उपयोग में लाये जा रहे एवरो विमानों की संख्या	Number of Avro-Planes being used by Indian Airlines	55—56
3605	मध्य प्रदेश और राजस्थान में रजिस्टर की गई कम्पनियाँ	Registration of Companies in Madhya Pradesh and Rajasthan	56
3606	स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कर्मचारियों को अंग्रेजी में ही हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना	Compulsion upon employees of State Bank of Indore to sign in English only	56—57
3607	बैंक जमा राशि में वृद्धि की दर	Growth rate of Bank Deposits	57

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3608	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा विस्तार कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण दाताओं की समाप्ति	Elimination of money lenders from Rural Areas as a result of branch expansion programme of Nationalised Banks	57
3609	बैंक ऋण की वृद्धि में कमी	Low expansion of Bank credit	57—58
3610	सामूहिक यातायात (कन्वेन्शन ट्रैफिक) के संवर्धन के लिए एक ब्यूरो स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Bureau to promote convention traffic	58
3611	एशिया 72 में कलाकृतियों की प्रदर्शनी	Display of Art Works in Asia 72	58
3612	एशिया 72 मेले में काम पूरा करने के लिए ठेकेदार द्वारा कोलतार का प्रयोग किया जाना	Coaltar used by contractor for completing the work in Asia 72	
3613	तेल प्रधान देशों को रियायती दरों पर निर्यात	Export to Oil-rich countries at concessional price	59
3614	कुवैत से यूरिया और तरल अमोनिया खरीदने का निर्णय	Decision to buy Urea and liquid Ammonia from Kuwait	59—60
3615	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क क्लेक्टोरेट, पटना के कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण	Construction of buildings for the Offices of Collectorates of Central Excise, Patna	60
3616	आयकर विभाग में संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना	Setting up of Regional Councils of Joint Consultative Machinery in Income-Tax Department	60—61
3617	आयकर विभाग के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर पदोन्नति और उन्हें स्थायी बनाना	Promotions/Confirmation of staff working in Income-Tax Department on the basis of confidential reports	61
3618	जीवन बीमा निगम द्वारा पेय जल योजनाओं के लिए राज्यों को दी गई सहायता	Assistance given by L.I.C. to states for drinking water scheme	61
3619	दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापकों द्वारा मांगी जा रही बकाया राशि का भुगतान	Payment of arrears claimed by Assistant Lecturers of Delhi University	61
3620	हिमाचल प्रदेश में पर्यटक बंगलों और होस्टलों की स्थापना	Setting up of Tourist Bangalows and Hostels in Himachal Prades	61—62
3621	हिमाचल प्रदेश में गोविन्द सागर झील देखने के लिए जाने वाले पर्यटकों के लिए मोटर चालित नौकाएं	Motor launches for Tourists Gobind Sagar Lake in Hiamchal Pradessh	62
3622	शिमला में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Central Government Employees stationed at Simla	
3623	हथकरघों और विद्युतचालित कार्यों की समस्याओं पर विचार करने के लिए कार्यकारी दल	Working group for problems of Handloom and Powerloom	63

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3624	विमान यातायात में वृद्धि की समस्या को हल करने के लिए तीन नई कम्पनियों का निर्माण	Foımation of three New Companies to meet growth of Air Traffic	63
3625	भारत के सबसे बड़े औद्योगिक संस्थान	Largest Industrial Establishment in India	63—64
3626	राष्ट्रीय आय की तुलना में अप्रत्यक्ष करों का अनुपात	Proportion of indirect Taxes to National Income	64
3627	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिया गया ऋण	Loans advanced by Nationaiised Banks to Schepuled Castes/Tribe in Bihar	64
3628	बिहार के गया जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों को शाखाएं योजना	Opening of branches of Nationalised Banks in Gaya Distric. Bihar	64—65
3629	अमरीकी द्वारा भारत को ऋण सम्बन्धी राहत दिये जाने का प्रस्ताव	Debt Relief proposed to be given to India by U.S.A.	65
3630	मूल्यों में वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए नवयुवकों का रिजर्व दल गठित करना	Forming of Reserve Squad of youngman to curb Rise and Hoarding of Essential Goods	65
3631	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा बनाया गया विकास कार्यक्रम	Development Programme drawn up by I.T.D.C.	65—66
3632	केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा एक अध्ययन दल विदेश भेजा जाना	Study Team sent abroad by Centeral Silk Board	66
3633	अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों (की सैक्टर) के लिए जापान से सहायता	Assistance from Japan for key Sectors	66
3634	केन्दु पते का निर्यात	Export of Kendu Leaf	66—67
3635	नेपाल की पटसन की तस्करी	Smuggiing of Jute into Nepal	67—68
3636	विदेशी पर्यटकों द्वारा विदेशी मुद्रा में होटलों के बिल भुगतान करने के सम्बन्ध में किया गया अध्ययन	Study undertaken regarding payment of Hotel Bills in Foreign Currency by Foreign Tourists	68
3637	"एशिया-72" के लिये बस सेवा की हुई हानि के लिये दिल्ली परिवहन निगम द्वारा मुआवजा मांगा जाना	Compensation Demanded by D.T.C. for Losses suffered on Bus Services Asia '72	68
3638	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान में कृषि कार्यों के लिये दिया गया ऋण	Loans Advanced by Nationalised Banks in Rajasthan for Agricultural purposes	68—69
3639	वर्ष 1971-72 में दुर्घटना ग्रस्त हुए इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की किस्में	Types of Aeroplanes of Indian Airlines which Crashed in Accidents in 1971-72	69
3640	पौलिथीन के ढके करेंसी नोट जारी करना	Issuing of Currency Note covered with Polythene	69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3641	एयर इंडिया द्वारा चार्टर उड़ानों तथा भ्रमण टिकटों की दर का कम किया जाना	Reduced Fares on Charter Flights and Excursion Tickets by Air India	69
3642	विदेशों में भारतीय व्यापार मिशनों में लगे व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान द्वारा अध्ययन	Study by I.I.P.T. regarding Personnel Manning India's Trade Missions Abroad	69—70
3643	स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Employees of State Bank of India, New Delhi	70
3644	स्टेट बैंक आफ इंडिया के कार्यकरण की जांच करने हेतु एक आयोग नियुक्त करने के लिए आल इडिया स्टेट बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन द्वारा की गई मांग	Demand made by All India State Bank Employees Association regarding Appointment of Commission about the Functioning of State Bank of India	71—72
3645	आधुनिकीकरण के लिये निर्यातोन्मुख काटन मिलों को ऋण देने की योजना	Scheme to give Loans to Export Oriented Cotton Mills for Modernisation	72
3647	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of A R.C. on Public Sector Undertakings	72
3648	अल्प आय वाले पर्यटकों के लिए स्थान	Accommodation for Tourists of Moderate Means	72
3649	एशियाई विकास बैंकों के निर्णयों की क्रियान्विति के लिये उठाये गये कदम	Steps to Implement Decisions of Asian Development Bank	73
3650	नारियल जटा बोर्ड द्वारा स्वीकृत ए० आई० टी० यू० सी० यूनियनों की मांगें	Demands of A.I.T.U.C. Unions accepted by Coir Board	
3651	एकाधिकार आयोग को भेजे गये मामले	Cases referred to Monopolies Commission	73—74
3652	तीसरे एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिखाई जाने वाली वस्तुओं को लघु रूप में प्रदर्शन रेलगाड़ियों के माध्यम से दिखाने का प्रस्ताव	Proposal to show the exhibits of Third Asian International Fair in Miniature from through Mobile Exhibition Trains	74
3653	सोने और चांदी की तस्करी	Smuggling of Gold and Silver	74—75
3654	मैसर्स इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलायज लिमिटेड	M/s Indian Metals and Ferro Alloys Limited	75—76
3655	एशिया 72 मेले में बिजली की कमी	Power Shortage at Asia '72	76
3656	ऋण नियंत्रण समाप्त करने के बारे में रूई मंत्रणा बोर्ड की बैठक	Meeting of Cotton Advisory Board regarding withdrawal of Credit Controls	76
3657	एयर इंडिया को होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए कार्यवाही	Steps to cover up losses in Air India	76—77
8658	विदेशी कम्पनियों पर बकाया आयकर	Arrears of Income-tax against Foreign Companies	77
3659	हवाई अड्डे पर मुद्रा विनिमय करने वालों की अत्यधिक संख्या	Airport infested with Money Changers	77—78

अता०प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3660	विदेशों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Foreign Countries	78
3661	बंगला देश में पुर्जे जोड़कर तैयार की गई कारों के लिए बातचीत	Negotiations for Cars assembled in Bangladesh	78
3662	विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में विधि आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Law Commission for violation of Foreign Exchange Regulations	78
3663	भारत में विदेशी इंजीनियरिंग कम्पनियां	Foreign Engineering Companies India	78—79
3664	विदेशी और देशी ऋणों की बकाया राशि	Outstanding amount of Foreign and Internai Loans	79
3665	देश में समुद्र तट पर स्थलों के विकास का प्रस्ताव	Proposal to develop sea-side resorts in the Country	80
3666	विदेशी पर्यटकों के खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था वाले पर्यटन केन्द्र	Number of Tourist Centres having arrangements for boarding and lodging of foreign tourists	80
3668	विदेशी गैर-सरकारी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिये छूट देना	Concessions to attract foreign Private investment	80—81
3669	कृत्रिम रेशे के स्थान पर पटसन के निर्यात के बारे में सुझाव	Suggestions regarding export of jute vis-a-vis synthetics	81—82
3670	आयात में ह्रास	Decline in imports	82
3671	साबुन तेल आदि और प्रसाधन सामग्री का निर्यात	Export of toilet preparations and cosmetics	83
3672	पकड़े गये आयातित ऊनी चिथड़ों को छोड़ने के लिये पंजाब सरकार की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Punjab Government for release of seized imported wollen Rags	83
3673	हथकरघा वस्त्रों के निर्यात में असाधारण कमी	Abnormal fall in export of handloom	83
3674	भारत को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता के लिये जापान से आये अध्ययन दल के साथ बातचीत	Discussion with Study Group from Japan for Economic and Technical Aid to India	83—84
3675	भारत के साथ रुपये में व्यापार संधियां समाप्त करने के पक्षपाती देश	Countries in favour of ending rupee trade agreement with India	84
3676	नारियल जटा बोर्ड द्वारा भर्ती तथा पदोन्नति नियमों को अन्तिम रूप देना	Finalisation of recruitment and promotion rules by Coir Board	84—85
3677	पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कार की बिक्री के संबंध में जांच	Enquiry into sale of car by Punjab National Bank	85
3678	लीबिया के चाय भाण्डागार को केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल यातायात निगम को सौंपना	Handing over of Libyan Tea Ware-House to C.I.W.T.C.	85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3679	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के लिये माप दंड	Criteria for grant of Project Allowance to Central Government Employees	86
3680	लेटिन अमरीका देशों द्वारा खरीदी गई भारतीय फीचर फिल्में (कथाचित्र)	Indian Feature Films purchased by Latin American countries	86—87
3681	एकाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Chairman of Monopolies Commission	87
3682	घाटे की अर्थव्यवस्था	Deficit Financing	87—88
3683	भारत में विदेशी पूंजी निवेश	Foreign Capital investment in India	88
3684	अमरीका से प्राप्त हुए ऋणों की अदायगी	Repayment of Loans received from U. S A.	88—89
3685	स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	Proposed amendment to existing Gold Control Act	89
3686	औद्योगिक एककों के लिए पश्चिम जर्मनी से गैर-सरकारी निवेश की आशा	Private investment expected from West Germany for Industrial Units	89
3687	परिचालन में सिक्कों का मूल्य	Amount of coins in circulation	89—90
3688	पटसन का निर्यात/आयात नोति में परिवर्तन	Change in Export/Import Policy regarding Jute	90
3689	पटसन के सम्पूर्ण व्यापार का अधिग्रहण	Take-over of Entire Jute Trade	91
3690	किसानों को दिये गये अल्प अवधि के ऋणों की वापसी	Repayments of short term credit by Farmers	91
3691	उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की पृथक कलक्टरी	Separate Collectorate of Central Excise in Orissa	91
3692	अमरीका को निर्यात करने के क्षेत्र में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कार्यवाही	Steps to compete with China in field of exports to U.S.A.	92
3693	भारत बंगला देश व्यापार समझौते का पालन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए पश्चिम बंगाल का केन्द्र से अनुरोध	West Bengal's request to Centre for regeneration of economy of the State while implementing Indo-Bangladesh Trade Agreement	92—93
3694	स्वाधीनता संग्राम के दौरान हानिग्रस्त हुए जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा दिया गया अभ्यावेदन	Representation made by L.I.C. Employees who suffered during freedom struggle	93
3695	वे अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइन्स जो कलकत्ता हवाई अड्डे को पारगमन केन्द्र के रूप में प्रयोग करने के लिए तैयार हैं	International Airlines willing to use Calcutta Airport as transit Centre	93—94
3696	मुद्रा सप्लाई में वार्षिक वृद्धि	Annual increase in money supply	94—95
3697	बड़े व्यवसाय गृहों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय	Expenditure on advertisements by big business houses	95

अता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
U. S. Q. Nos.			
3698	शोलापुर, लुधियाना, जबलपुर और गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्रों को देश के हवाई मानचित्र में रखने की योजना	Scheme to put Important Business Centres like Sholapur, Ludhiana, Jabalpur and Gorakhpur on Air Map of the Country	95
3699	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक की बैठक में चर्चा	Discussions at the Meeting of International Monetary Fund and World Bank	95—96
3700	सरकारी उपक्रमों के रखरखाव में सुधार करने के लिए सरकारी उद्यम ब्यूरो की सिफारिशें	Recommendations of Bureau of Public Interprises to tone up maintenance of Public Undertakings	96
3701	रायलसीमा काटन मिल्स, अडोनी में तकुवों की संख्या बढ़ाने हेतु लाइसेंस देने के लिए आन्ध्र प्रदेश की सरकार की सिफारिश	Andhra Pradesh Government's Recomedation for grant of Licence for expanding spindlage of Rayalascema Cotton Mills, Adoni	97
3702	आन्ध्र प्रदेश में पर्यटक होटलों के निर्माण के लिए स्वीकृत प्रस्ताव	Proposals sanctioned for constructing Tourist Hotels in Andhra Pradesh	97
3703	राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किये गये माल को अस्वीकार करना	Rejection of Goods exported by S.T.C-	98
3704	मध्यप्रदेश में लघु उद्योगों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त वित्तीय सहायता	Financial Assistance from State Bank of India to Small Scale Industries in Madhya Pradesh	98
3705	मध्यप्रदेश को दिये गये ऋणों को बट्टे खाते डालना	Writing-off of Loans given to Madhya Pradesh	98
3706	वाइकौंट विमान न चलाने के सम्बन्ध में निर्णय	Decision to ground Viscount Aircraft	98
3707	कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष उपाय	Special measures for modernising Textiles Mills	99
3708	पूर्व यूरोपीय देशों के साथ व्यापार के बारे में गोष्ठी	Seminar on Trade with East European Countries	99
3709	आस्ट्रेलिया से पूंजी निवेश के लिए प्रस्ताव	Offers for Investments from Australia	100
3710	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जयपुर (राजस्थान)	United Commercial Bank, Jaipur	100
3711	जिलों में लीड बैंक योजना आरम्भ करना	Introduction of Lead Bank Scheme in Districts	100
3712	चालू वर्ष में निर्यात	Exports during the Current Year	101
3713	बंगला देश से पटसन का आयात	Jute imported from Bangladesh	101
3714	सूडान और पौलेंड से रेलवे माल डिब्बों के लिए क्रयादेश (सप्लाई आर्डर्श)	Supply orders for Railway wagons from Sudan and Poland	101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3715	गत दो वर्षों में इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के नष्ट हुए विमानों के कारण हुई हानि	Loss suffered due to Crash of Aeroplanes of Indian Airlines and Air India during the last two years	101–102
3716	कालीकट की आवश्यकता पूरी करने के लिए कारीपुर में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य	Construction work at Karipur for Calicut Aerodrome	102–103
3717	कोवलम काम्प्लेक्स के बारे में एयर फ्रांस के अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Air France Study Team on Kovalam Complex	103
3718	विभिन्न किस्मों के कपड़ा उत्पादन को दोषरहित करने के लिए प्रस्ताव	Proposal to Streamling Cloth Production of different varieties	103
3719	1970-71 तथा 1971-72 में बोइंग, कैरेवेल तथा एवरो विमानों के उपयोग की प्रतिशतता	Percentage of utilisation of Boeings, Caravelles and Avros during 1970-71 and 1971-72	103
3720	भारतीय चाय की लोकप्रियता	Popularity of Indian Tea	104
3721	विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank	105
3722	मैसर्स नैशनल टेनरी कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता में वित्तीय कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Financial Mismanagement in M/s National Tannery Co. Ltd., Calcutta	105—106
3723	जीवन बीमा निगम द्वारा "बचत" नारा प्रतियोगिता का आयोजन	Organisation of "Saving" slogan competition by L.I.C.	106
3724	रबड़ के मूल्यों को स्थिर करने के लिए केरल सरकार को ऋण	Loan to Kerala Government for stabilising Cubber Prices	106
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	106
	उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चन्दौस नगर में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के खाद्य दल के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी का समाचार	Reported arrest of officials of Union Health Ministery's Food Squad by U P Police at Chandous	106
	श्री बसंत साठे	ShritVasant Sathe	106
	श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	110
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	110
	राज्य सभा से सदेश	Message from Rajya Sabha	111
	विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	111
	सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurances	112
	चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report	112

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
फिल्मों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 642 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to SQ No. 642 Re. Foreign Exchange earned through Export of Films	112
सभा की कार्यवाही	Business of the House	112
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक	Untouchability (Offences) Amendment Bill and Miscellaneous Provisions Bill	113
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाना	Extention of time for presentation of Report of Joint Committee	113
विधेयक पुरः स्थापित	Bills Introduced	113
(एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक	Industrial Development Bank of India (Amendment) Bill	113
(दो) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक	Industrial Finance Corporation (Amendment) Bill	113
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. International Situation	114
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh	114
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	115
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamanl Panigrahi	116
श्री आर० के० सिन्हा	Shri R. K. Sinha	117
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	118
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	118
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bill and Resolutions	123
20 वाँ प्रतिवेदन	Twentieth Report	123
बेरोजगारी की समस्या के बारे में संकल्प-वापिस लिया गया	Resolution Re. Problem of Unemployment Withdrawn	124
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	124
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ramgopal Reddy	124
डा० कैलास	Dr- Kailas	125
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	125
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	125
श्री एम० एस० संजीवी राव	Shri M. S. Sanjeevi Rao	126
श्री आर० के० खाडिलकर	Skri R. K. Khadilkar	126
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray	129

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
भूमि सुधार के बारे में संकल्प	Resolution Re. Land Reforms	130
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	130
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	134
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	135
आधे घंटे की चर्चा	Half An Hour Discussion	135
स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की अदायगी	Grant of Pension to Freedom Fighters	136
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	136
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	138

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 1972/17 अग्रहायण, 1894 (शक)
Friday, December 8, 1972/Agrahayana 17, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई।
The Lok Sabha met at two minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker In The Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकार द्वारा सम्पूर्ण आयात और निर्यात व्यापार को अपने अधिकार में लेना

*361. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण आयात और निर्यात व्यापार को अपने अधिकार में लेने के लिए सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या अखिल भारतीय निर्माता संगठन ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि लघु उद्योग क्षेत्र पर यह सरकारी निर्णय लागू न किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में वार्षिक आयात तथा निर्यात की मात्रा कितनी-कितनी है ?

श्री ए० सी० जार्ज : वर्ष 1971–72 में हमारा वार्षिक निर्यात 1605 करोड़ रुपये का हुआ तथा 1825 करोड़ रुपये का आयात हुआ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है यदि सरकार इसका राष्ट्रीयकरण करे तो बहुत लाभ कमाया जा सकता है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आये दिन आयात लाईसैंसों के दुरुपयोग की बातें सामने आती रहती हैं, ने इस व्यापार सरकार को अपने हाथ में लेने का विचार किया है ? हाल ही में प्रकाश में आये चिथड़ा कांड पर अभी तक जनता रूष्ट है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करना चाहती ?

श्री ए० सी० जार्ज : आयात तथा निर्यात दोनों ही क्षेत्रों में सरकार की यह नीति रही है कि

इन दोनों मदों को उत्तरोत्तर सरणीबद्ध किया जाये । जहां तक आयात का सम्बन्ध है वर्ष 1968–69 में राज्य व्यापार का अंश 40 प्रतिशत था, 1969–70 में यह 45 प्रतिशत था, वर्ष 1970–71 में यह 52 प्रतिशत था, और 1971–72 में सरकारी क्षेत्र का अंश 64 प्रतिशत था । इसी प्रकार निर्यात के क्षेत्र में भी हम उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, गत वर्ष निर्यात में सरकारी क्षेत्र का अंश 16 प्रतिशत से अधिक था ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसे अपने हाथ में क्यों नहीं ले सकती । आये दिन यह आरोप लगाये जाते हैं कि लाईसेंस देने में पक्षपात किया जाता है ।

श्री ए० सी० जार्ज : अधिकाधिक आयात को अपने हाथ में रखने को प्राथमिकता दी जाती है । जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है यह एक ऐसा विषय है जिसके लिए आवश्यक विशेषज्ञता तथा निपुणता लानी होगी । सरकार का यह भी इरादा है कि कुछ समय के अन्दर निर्यात को भी अपने हाथ में ले लिया जाये ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister has said that the Government do not want to takeover export-import trade. May I know whether it is mainly due to the fact that licences do not make use of the licenses and sell them to others; and some of the officers of your Ministry earnlarge amounts by way of issuing licenses ? The Government do not want to take over this trade as it will put an end to this practice.

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य के विचारों से मैं असहमत नहीं हूँ ।

Mr. Speaker : You should have enquired from him in this regard.

कच्चे ऊन पर आयात शुल्क समाप्त किया जाना

*363. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे ऊन के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि और उस पर लगे भारी सीमाशुल्क के कारण अनेक छोटे कारखानों पर कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या मई और जून के महीनों में कच्चे ऊन का मूल्य 90 पैसे प्रति किलोग्राम था जो बढ़कर गत सितम्बर और अक्तूबर में 2 रुपये 2 पैसे हो गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या अधिक मूल्य और सीमाशुल्क का ऊनी कपड़ों की देश में बिक्री और इसके भारत से किये जाने वाले निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या उद्योग को संकट से बचाने के लिये सरकार का विचार 'ग्रीजी' ऊन पर आयात शुल्क समाप्त कर देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क), (ख) तथा (ग) : कच्ची ऊन की उपलब्धता की कमी तथा आयात की गयी कच्ची ऊन के मूल्यों में असामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऊर्णाविशेष निर्माताओं एवं अन्य व्यक्तियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ आयात की गई कच्ची ऊन पर सीमाशुल्क को समाप्त करने का आग्रह किया गया है । आस्ट्रेलिया में होने वाली नीलामियों में कच्ची ऊन की विभिन्न किस्मों के लिए बताये गये मूल्य 23 जून, 1972 को प्रति किलोग्राम 74 तथा 97 पैसे (अर्थात् 13.86 रुपये तथा 18.17 रुपये) के बीच थे, जबकि 13 अक्तूबर, 1972 को ये मूल्य 146 से लेकर 165 पैसे तक (अर्थात् 27.35 रुपये से लेकर 30.90 रुपये तक) बदलते रहे । आन्तरिक बिक्रियों तथा निर्यात पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव का कुछ समय बाद ही पता चलेगा, जब अगले मौसम के लिए तैयार माल की बिक्री प्रारम्भ होगी ।

(ध) ऊनी वस्त्रों के निर्माताओं की संस्थाओं एवं संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या हाल ही के चिथड़ा काँड तथा मूल्य वृद्धि में कोई सम्बन्ध है ?

श्री के० आर० गणेश : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्ची ऊन का मूल्य बढ़ गया है । इसका चिथड़ा कांड से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऊन उद्योग पूर्णतया ऊन के आयात पर निर्भर करता है, क्या देश में ऊन के उत्पादन में वृद्धि कराने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री के० आर० गणेश : उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । भेड़-पालन कार्यक्रम का विकास हुआ है और उत्पादित ऊन की मात्रा में वृद्धि हुई है ।

ब्याज की रियायती दर पर उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्रों को दिये गये ऋण

*365. **श्री सी० एम० सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुछ श्रेणियों के ऋण लेने वाले व्यक्तियों के लिये आरम्भ की गयी ब्याज की रियायती दर योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता की है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) और (ख)** : सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने उन शाखाओं के निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया है जहां ब्याज की विभेदी दर की योजना लागू की जानी है और उन्होंने योजना के अन्तर्गत हाल ही में उधार देना शुरू किया है । अब तक प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि उड़ीसा में 26 शाखायें चुनी गयी हैं और इनमें से 12 शाखायें आदिवासी जिलों में हैं । योजना के अन्तर्गत वितरित कुल रकम तथा उड़ीसा में उससे लाभान्वित हुए व्यक्तियों का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि बैंक एक ओर तो आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के तथा दूसरी ओर अन्य ऋण-कर्ताओं के ब्यौरे अलग-अलग नहीं रखते ।

केरल सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने का अनुरोध

*367. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किये जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) केरल सरकार ने अनाजों, दालों, चीनी, कपड़े, खाद्य तेलों आदि जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं का, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निर्धारित मूल्यों पर वितरण किए जाने की प्रार्थना की है ।

(ख) गेहूं और चावल का निर्धारित मूल्यों पर वितरण करने वाली उचित मूल्य की दुकानों का जाल पहले से ही बिछा हुआ है । 'लेवी' चीनी का वितरण भी उचित मूल्य की दुकानों की

मार्फत किया जा रहा है। कुछ राज्यों में खाद्य तेलों और दालों की एक सीमित मात्रा का वितरण भी उचित मूल्य की दुकानों की मार्फत किया जा रहा है। नियंत्रित किस्म के कपड़े के सारे उत्पादन को राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित उचित मूल्य की दुकानों, सुपर बाजारों, राष्ट्रीय सहकारी उप-भोक्ता संघ से सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकानों और मिलों की खुदरा दुकानों की मार्फत बेचने का निश्चय भी किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके मंत्रालय से इसका क्या सम्बन्ध है? मेरे विचार से इसका उनके मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या सभी मुसीबतें उनके मंत्रालय के सर मढ़ी जायेंगी?

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या मंत्री महोदय केरल में उचित दर दुकानों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार करेंगे?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे खेद है कि मैं केरल की उचित दर दुकानों की संख्या बताने में असमर्थ हूँ। सम्पूर्ण राज्य की दुकानों की संख्या मेरे पास उपलब्ध नहीं है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां उचित दर दुकानों का बहुत अच्छा प्रबन्ध है। और यही कारण है कि मुख्य मंत्री ने कहा है कि यदि उन्हें अात्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाये तो वे उनका उत्तम ढंग से वितरण कर सकते हैं।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : इन्हीं सुविधाओं के लिये और कितने राज्यों के केन्द्र से अनुरोध किया है? क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कोई आश्वासन दिया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बहुत से राज्य ऐसी सुविधायें भोग रहे हैं। केवल एक राज्य तो नहीं, अधिकांश राज्य ऐसी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : केरल राज्य में खाद्यान्नों की बहुत कमी है। क्या सरकार केरल के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर विशेष रूप से ध्यान देगी?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में प्रत्येक मुख्यमंत्री के अनुरोध पर ध्यान दिया जाना है, क्योंकि इस वर्ष, स्थिति सामान्य नहीं है। जिन राज्यों में फालतू खाद्यान्न होता था उनमें भी, सूखे की स्थिति के कारण, खाद्यान्नों की कमी है। कमी तथा बहुतायत वाले राज्यों में भेद करने वाला सामान्य मापदंड अब वास्तविक नहीं रहा है। परन्तु केरल में वास्तव में ही यह एक समस्या बनी हुई है। यहां प्रत्येक वर्ष ही खाद्यान्न की कमी रहती है। अतः इस मामले पर विचार किया जायेगा।

Shri Naval Kishore Sharma : May I know the number of tair price shops in the country?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : एक लाख से अधिक हैं।

Mr. Speaker : The question under discussion is limited to the request of Keral Govt. with the centre regarding the public distribution of essential commodities.

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : देश के अन्य भागों की तुलना में केरल में चीनी के मूल्य बहुत अधिक हैं। क्या सरकार उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण के हेतु, जो व्यवस्था वहां पहले से ही चल रही है वहां के लिये कोटे की और चीनी आबंटित करेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है। वित्त मंत्री केरल में चीनी की सप्लाई के बारे में किस प्रकार बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर किसी अन्य मंत्री द्वारा दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में पूछा गया है।

एक माननीय सदस्य : चीनी अत्यावश्यक वस्तुओं में आती है।

Shri Atal Bihari Vajpapee : May I know from the Finance Minister whether it is proposed to reduce the excise duty in sugar ?

Mr. Speaker : If it goes like this these will be no end to it. Reply only with respect to Kerla.

श्री यशवन्तराय चव्हाण : मैं निश्चित रूप से इसका उत्तर दूंगा। केरल में चीनी के कोटे का प्रबन्ध 1 अक्तूबर से लागू किया गया। गन्ने आदि के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए चीनी के 2 रुपये प्रति किलोग्राम फुटकर मूल्य में 20 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि की जायेगी। इस वृद्धि का प्रभाव उत्पादन शुल्क की दर में 30 प्रतिशत से कमी करके उसे 26 प्रतिशत कर देने से तथा नयी फसल में फुटकर मूल्य कम रहने से समाप्त हो जायेगा।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : मेरा प्रश्न इस प्रकार था। केरल में खुले बाजार में चीनी का मूल्य 4.50 पैसे प्रति किलोग्राम है। क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए उचित दर दुकानों से वितरण के लिये और अधिक चीनी का आबंटन करेगी।

एक माननीय सदस्य : महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ तक कोटे की चीनी का सम्बन्ध है, यह सार्वजनिक वितरण एजेन्सियों के माध्यम से बेची जाती है। जहाँ तक आवंटन का सम्बन्ध है मुझे विश्वास है कि कृषि मंत्री इस क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसकी आवश्यकता पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वित्त मंत्री का इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ? मुझे आशा है कि आप खाद्य मंत्री द्वारा आयकर के बारे में उत्तर दिये जाने पर भी आपत्ति नहीं करेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वित्त मंत्री इस प्रश्न का उत्तर ठीक ढंग से दे रहे हैं यद्यपि यह प्रश्न उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। केरल में किन-किन अत्यावश्यक वस्तुओं के लिये उचित दर की दुकान खोल की मांग की जाती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सामान्यतया, कपड़ा, खाद्य पदार्थ विशेषतया गेहूँ और चावल तथा मिट्टी का तेल अत्यावश्यक वस्तुयें हैं, इनका संदर्भ मुख्य मंत्री ने भी किया है। किसी सीमा तक औषधियां भी अत्यावश्यक वस्तुओं के अर्न्तगत आती हैं। अन्य बहुत सी वस्तुयें भी अत्यावश्यक वस्तुयें मानी जा सकती हैं, परन्तु ये वे वस्तुयें हैं जिनके बारे में मुख्य मंत्री ने कहा है।

आयकर अधिकारियों की दो श्रेणियों के वेतन-मानों तथा सेवा शर्तों में असमानता

*370. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही प्रकार का कार्य करने वाले तथा एक जैसे दायित्व वहन करने वाले आयकर अधिकारियों की दो श्रेणियां हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आयकर अधिकारियों की दो श्रेणियों के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों में असमानता के क्या कारण हैं ? और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर अधिकारियों की दो श्रेणियां हैं, अर्थात् आयकर अधिकारी श्रेणी I तथा आयकर अधिकारी श्रेणी II दोनों के सांविधिक कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व समान हैं क्योंकि वे अपने अधिकार आयकर अधिनियम से समान रूप से प्राप्त करते हैं।

(ख) अनेक समितियां तथा आयोगों अर्थात् प्रथम वेतन आयोग, प्रत्यक्ष-कर प्रशासन जांच समिति 1958–59, द्वितीय वेतन आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा प्रत्यक्ष-कर जांच समिति (वांचू समिति) ने दो श्रेणियां के विद्यमान रहने के बारे में विचार प्रकट किये हैं। सरकार तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, इन दो अलग-अलग श्रेणियों के विद्यमान रहने के बारे में अन्तिम निर्णय करेगी।

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, In April 1968 the Public Accounts Committee had recommended that the class II Cadre of Income Tax officers should be abolished but it has not been done so far. So that not tentatamount to the neglect of the Public Accounts Committee and if that does may I know the action taken against the persons concerned responsible for ?

Secondly, may I know whether it is not a fact that the working group of Administrative Reforms Commission had held the high officials of the finance department guilty of making misleading statements before the first and the second finance commission and if so, whether the Government have taken precautionary steps to avoid that situation before the Third Pay Commission ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न यह पूछा है कि क्या लोक लेखा समिति ने आयकर विभाग में अधिकारियों के दो श्रेणियों सम्वर्ग को समाप्त करने की सिफारिश की है। मुझे बताया गया है कि लोक लेखा समिति ने ऐसी सिफारिश की थी परन्तु बाद में विभागीय अधिकारियों ने लोक लेखा समिति के सदस्यों से बात-चीत की थी और लोक लेखा समिति की इस सिफारिश को वापस लेने के लिये सहमत कर लिया गया था।

जहाँ तक प्रशासनिक सुधार आयोग का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि कार्यकारी ग्रुप ने ऐसी सिफारिश की थी, पर पूरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्यकारी ग्रुप की सिफारिश स्वीकार नहीं की थी।

जहां तक तीसरे वेतन आयोग का सम्बन्ध है, सरकार उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है, और इस प्रतिवेदन के आधार पर ही वे अपने अन्तिम रूप में अपने विचार प्रकट करेगी।

Shri Phool Chand Verma : There are about 2200 posts of class II officers Cadre and about 1000 class one income Tax officers at present. During the ten years period no officer of the clast two officer's Cadre has been promoted to class I whereas 395 class I gazetted officer have been directly recrinted May I know as to why no class II officer has been promoted to class one during the last ten or seven years', and whether the Government would take any action against the officers found guilty in this regard ?

Mr. Speaker : You are asking a question not relevant to original one. You ask a direct question. You had asked about the abolition of class II officers Cadre now you have come to the question of promotion out of those class LI officers Cadre. How can you ask it ? You should be somewhat reasonable.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं मूल प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ जो इस प्रकार है :

(क) "क्या एक ही प्रकार का कार्य करने वाले तथा एक जैसे दायित्व वहन करने वाले आयकर अधिकारियों की दो श्रेणी हैं;" ?

इस भाग का उत्तर हां में दिया गया है।

मूल प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है :

"यदि हाँ, तो आयकर अधिकारियों की दो श्रेणी के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों में असमानता के क्या कारण हैं और..."

श्री फूलचन्द वर्मा पदोन्नति के अवसरों के विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। यह निश्चय ही सेवा शर्तों के प्रश्न के अन्तर्गत आता है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु श्री फूलचन्द वर्मा के प्रश्न में इससे भी कुछ अधिक पूछा गया है। अब वह यह पूछ रहे हैं कि क्या कुछ अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, कुछ अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया गया है आदि आदि। वह वेतनमानों की असमानता के विषय में पूछ सकते हैं। मैंने उनसे यही कहा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पदोन्नति के बारे में क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न वेतनमानों की असमानता के सम्बन्ध में पूछा गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं सदन की जानकारी के लिये प्रश्न को एक बार फिर पढ़ सकता हूँ... ?

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। श्री फूलचन्द वर्मा अधिकारियों की पदोन्नति आदि की बात पूछ रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether the promotion opportunities is not a part of service conditions ?

Shri Jagannath Rao Joshi : They are working on the same post since fifteen years, this is a part of the service conditions.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रश्न मूल प्रश्न से पूर्णतया सम्बद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य की यह जानकारी ठीक नहीं है कि आयकर विभाग में गत दस वर्षों से कोई भी द्वितीय श्रेणी का अधिकारी प्रथम श्रेणी में पदोन्नत नहीं किया गया है। वास्तव में वर्ष 1959 से उत्तरोत्तर 500 से अधिक श्रेणी दो के अधिकारियों को प्रथम श्रेणी में पदोन्नत किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को पता है कि इन दोनों श्रेणियों के अधिकारियों के केवल कार्य और दायित्व ही एक जैसे नहीं हैं अपितु पश्चिम बंगाल में आयकर के सभी महत्वपूर्ण विभागों में 80 प्रतिशत श्रेणी दो के अधिकारी ही कार्यभार संभालते हैं, प्रथम श्रेणी के नहीं, और इस पर भी उनके वेतनमान तथा भत्ते आदि वे नहीं हैं जो प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के हैं ? हम यह जानना चाहते हैं यह संस्थागत भेदभाव क्यों किया जा रहा है और इसे इस विभाग में स्थायी क्यों बनाया जा रहा है ?

श्री के० आर० गणेश : पहली बात तो यह है कि आयकर अधिकारियों के दो ग्रेड हैं अर्थात श्रेणी I तथा श्रेणी II, अतः उनकी सेवा शर्तों तथा वेतनमानों में अन्तर होगा।

माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का यही उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न बहुत स्पष्ट है। उन्होंने पूछा है कि क्या पश्चिम बंगाल में श्रेणी 2 के अनेक अधिकारियों द्वारा यह कार्यभार सम्भाला जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनमें से 80 प्रतिशत मामलों में।

श्री के० श्रार० गणेश : मैं यह नहीं कह सकता कि यह 80 प्रतिशत है परन्तु यह बता सकता हूं कि श्रेणी दो के बहुत आयकर अधिकारी पश्चिम बंगाल में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । इन्होंने प्रश्न का दो भागों में उत्तर दिया है । क्या वे अपने उत्तर के दोनों भागों को आपस में मिलाने का प्रयास करेंगे ? प्रथम तो उन्होंने कहा है कि इन अधिकारियों के दो वर्ग हैं और इसीलिए अन्तर होना ही चाहिए । इसके साथ ही वे कहते हैं कि यह सच है कि पश्चिम बंगाल में श्रेणी दो के अधिकारी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के पदों का कार्यभार सम्भाल रहे हैं । उनके उत्तर के दोनों भागों में क्या समानता है ? क्या उनका उत्तर अपने आप में परस्पर विरोधी नहीं है ? उन्हें इस बारे में अवश्य कुछ कहना चाहिए ।

श्री के० आर० गणेश : प्रथम वेतन आयोग से लेकर, द्वितीय वेतन आयोग, प्रत्यक्ष कर-प्रशासन जांच समिति, वांचू समिति ·····

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहां चले गए ? उनका प्रश्न तो बहुत सामान्य है ।

श्री के० आर० गणेश : उन्होंने मेरे से पूछा है कि क्या मेरे उत्तर के दोनों भागों में कोई सम्बन्ध है । अतः आप की अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले की जांच अनेक आयोगों ने की है···

अध्यक्ष महोदय : जब आप वांचू समिति का उल्लेख करते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं और केवल वांचू ही रह जाता है । आप स्वयं अपना उपहास कर रहे हैं ।

श्री के० आर० गणेश : मैं केवल यही बताने का प्रयास कर रहा था कि इन आयोगों ने आयकर विभाग में श्रेणी-दो की श्रेष्ठता के बारे में जांच की है । इनमें से अधिकांश आयोग श्रेणी-दो को समाप्त करने के लिए सहमत नहीं हैं । किन्तु वित्त मंत्रालय का अनुभव है कि जहां तक श्रेणी-दो के अधिकारियों का सम्बन्ध है इस बारे में बहुत पुष्ट मत है । यही कारण है उन्होंने तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के बारे में प्रश्न किया है और मैंने कहा है कि तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् सरकार इस पर विचार करेगी ताकि इस मामले पर सन्तुलित रूप में विचार किया जा सके ।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सीधे भर्ती हुए अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के बीच बहुत अधिक समय से विवाद चल रहा है और इन्होंने न्यायालय में मामला दायर कर दिया है ?

श्री के० आर० गणेश : उच्चतम न्यायालय ने 16-8-72 को दिए अपने फैसले में यह निर्णय लिया है । उस निर्णय के आधार पर ही वरीयता सूची तैयार की जायेगी ।

Shri Achal Singh : Is it a fact that certain income tax officers are being compulsarily retired at the age of 50 years, if so; why such an action is being taken ?

Mr. Speaker : We are discussing the matter of class I and class II officers. The matter of retirement will be taken up afterwardwards.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष ने मद्रास में हाल ही में यह आश्वासन दिया है कि श्रेणी-दो के अधिकारियों की प्रथम श्रेणी में पदोन्नतियां 31 दिसम्बर से पहले की जायेगी ? यदि हां, तो क्या इसे क्रियान्वित किया जा रहा है ?

श्री के० आर० गणेश : मुझे ऐसे किसी आश्वासन का पता नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार ऐसा कार्य 31 दिसम्बर से पहले करेगी या इस वर्ष में 31 दिसम्बर से पहले कोई निर्णय करेगी ?

श्री के० आर० गणेश : मैंने उत्तर दिया है कि तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी ?

बंगला देश को कोयले की सप्लाई

*371. **श्री झारखंडे राय** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगला देश को कोयला सप्लाई करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कोयला बंगला देश को कैसे भेजा जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बंगला देश की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने अपने वस्तु तथा सहायता अनुदानों के अन्तर्गत, 50,000 मे० टन कोयला सप्लाई किया है। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच व्यापार के अन्तर्गत, बंगला देश को 4 करोड़ रुपये तक के कोयले का वाणिज्यिक निर्यात करने की व्यवस्था है। इस के अनुसार खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने बंगला देश को 460,000 मे. टन कोयला सप्लाई करने के लिए पहले ही संविदाएं कर ली हैं।

(ख) बंगला देश को कोयले की ढुलाई इस समय रेल और साथ ही समुद्र द्वारा की जा रही है। तथापि, बंगला देश कोयले की कुछ मात्रा जलयानों तथा सड़क द्वारा ले जाने की संभाव्यता पर विचार कर रहा है।

Shri Jharkhande Rai : Since the formation of Bangla Desh Countries friendly to Pakistan have completely stopped supply of Coal to Bangla Desh, which has resulted acute shortage of coal there. The quantity of Coal to Bangla Desh assured by India is much less as compared to the demand of that country. How much quan ity of Coal has been demanded by Bangla Desh and what percentage of the demand we are fulfilling ?

श्री ए० सी० जार्ज : जैसा कि पहले उत्तर दिया गया है कि हमने पहले ही अपने वस्तु तथा सहायता अनुदानों के अन्तर्गत 50(00 मीटरी टन कोयला सप्लाई किया है। इसके अतिरिक्त खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 2.9 करोड़ रुपये के मूल्य का 4 लाख मीटरिक टन कोयला सप्लाई करने का करार किया है। यह कोयला वहां पर भेजा जा रहा है। परिवहन सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां सामने आई थीं। आरम्भ में विचार किया गया था कि कोयले की रेल और समुद्र के मार्ग से ढुलाई की जाए। चूंकि कुछ मालगाड़ी डिब्बों की कमी पड़ गई थी इसलिए हमने कुछ वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार किया था। अब बंगला देश की सरकार बजरों और सड़क मार्ग से कोयला ढोने का सुझाव दे रही है। इस पर शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

Shri Jharkhande Rai : What was the total quantity demanded by Bangla Desh and how much of that has been met ? What action Government is going to take to meet their remaining demand ?

श्री ए० सी० जार्ज : उनकी 3 लाख मीटरिक टन की मांग थी। इसे पूरा किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ राव : बंगला देश को जो कोयला सप्लाई करने का समझौता किया गया है उस का प्रति मीटरिक टन मूल्य क्या है ? क्या यह दर घरेलू दर से अधिक है और क्या यह दर पोत पर्यन्त मूल्य (एफ० ओ० बी०) अथवा रेल तक निष्प्रभार (एफ० ओ० आर०) है ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं इस समय यह सूचना देने में असमर्थ हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका सुझाव पर, कि घटिया किस्म का कोयला तापीय बिजली घरों में उपयोग में लाया जायेगा और बढ़िया किस्म का कोयला बंगला देश जैसे देशों को निर्यात किया

जाएगा, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो सुझाव है ।

प्रो॰ मधु दण्डवते : यह केवल सुझावमात्र ही नहीं है । इस मामले पर तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जा रही है । बंगला देश को कोयला निर्यात करने के बारे में इस मामले का बहुत गहरा सम्बन्ध है ।

श्री ए॰ सी जार्ज : गुण सम्बन्धी आवश्यकतायें तो सम्बन्धित सरकार अर्थात बंगला देश की सरकार द्वारा स्पष्ट की जायेंगी ।

Engineering Delegation's Tour to Asia and Japan

*374. **Dr. Laxminarain Pandeya** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether a Delegation of the Engineering Association of India toured Asia and Japan;

(b) the main points contained in the report submitted by this Delegation;

(c) whether Government have considered the report; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमत्री (श्री ए॰ सी॰ जार्ज) : **(क) से (घ)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हाँ ।

(ख) प्रतिनिधि मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया गए प्रतिवेदन में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की इंजीनियरी माल के निर्यातों में वृद्धि की संभाव्यताओं पर प्रकाश डाला गया है और उसमें अनेक क्षेत्रों में और अधिक भारतीय संयुक्त उद्यम तथा श्रम-प्रधान लघु उद्योग स्थापित करने की गुंजाइश का भी उल्लेख किया गया है । प्रतिनिधि मण्डल की मुख्य सिफारिशें ये हैं :

(1) भारत सरकार द्वारा इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं तथा प्रबन्ध सेवाओं में इस क्षेत्र के विकासशील देशों के उपयुक्त प्रत्याशियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने का एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए ।

(2) सिंगापुर में इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के वर्तमान कार्यालय को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा दो और कार्यालय, एक बैंकाक में तथा दूसरा टोकियो में, स्थापित किये जाने चाहियें ।

(3) भारतीय निवेश केन्द्र को एक कार्यालय टोकियो में स्थापित करना चाहिए ।

(4) श्रम प्रधान लघु उद्योग स्थापित करने के अवसरों का अध्ययन करने के लिए छोटे उद्योगपतियों का एक दल मलेशिया भेजा जाना चाहिए ।

(5) भारत में इंजीनियरी कारखानों तथा विनिर्माण की सुविधाओं को देखने के लिए इन देशों से प्रतिनिधिमण्डल बुलाये जाने चाहिए ।

(6) बैंकाक में राज्य व्यापार निगम के संगठन को सुदृढ़ किया जाना चाहिये और इसके प्रदर्शन कक्ष में सुधार किया जाना चाहिए तथा हांगकांग में राज्य व्यापार निगम का एक और कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए ।

(7) बैंकाक में भारतीय उत्पादों की एक प्रदर्शनी आयोजित की जानी चाहिए।

(8) जापान में औद्योगिक भारत का स्वरूप प्रस्तुत करने के सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए।

(9) डमडम तथा हल्दिया में निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए ताकि जापानी फर्में जापान तथा तृतीय बाजारों को निर्यात करने के लिए इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर सकें।

(ग) तथा (घ) : दल का प्रतिवेदन विचाराधीन है। सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

Dr. Laxminarain Pandeya : The Delegation, in its report has stated that there is scope for establishing more Indian Joint Ventures and labour intensive small scale industries in various fields. It has also been mentioned in the reply that negotiations of officers are going on. I want to know the countries with which you are negotiating and what has been the results thereof?

श्री ए० सी० जार्ज : माननीय सदस्य इंजीनियरिंग एसोसियेशन के शिष्ट मण्डल द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लेख कर रहे हैं। हम भारत सरकार द्वारा की गई किसी विशेष चर्चा का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। संभव है कि इस एसोसियेशन द्वारा की गई किसी विशेष चर्चा के बारे में मैं कोई उत्तर देने में असमर्थ रहूँ।

Dr. Laxminarain Pandeya : It is clearly mentioned in statement laid on the Table of the House that there is scope for establishing more Indian Joint Ventures and labour intensive small scale industries. I want to know as to what action has been taken in this connection and which are the countries with whom negotiations have been conducted. It is also mentioned in the end that necessary action is being taken inconsultation with the authorities concerned. Wha action is being taken in this regard?

श्री ए० सी० जार्ज : इंजीनियरिंग एसोसियेशन ने एक शिष्ट मण्डल प्रत्यायोजित किया था। इस शिष्ट मण्डल ने सुदूर पूर्व के अनेक देशों का दौरा करने के पश्चात् ही अपनी रिपोर्ट दी थी। हमें किसी विशेष चर्चा का पता नहीं है।

Dr. Laxminarain Pandeya : In recommendation No. 9 of the report submitted by this delegation it has been mentioned that Free Trade Zones at DumDum and Haldia should be immediately established so that Japanese Firms may establish industries in these Zones for export to Japan and Third Markets. What action has been taken in this regard because they are very eager to establi h industry in this Zone?

श्री ए० सी० जार्ज : अब केरल में निर्बाध व्यापार क्षेत्र कार्यशील है और निर्बाध व्यापार क्षेत्र के कार्यकरण का सुधार करने के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक कार्य किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र के कार्य से सन्तुष्ट हो जाने के पश्चात् ही भारत सरकार का विचार और अधिक निर्बाध व्यापार क्षेत्रों को बनाने का है।

श्री बी० के० दासचौधरी : पैरा न० 9 में दिए गए मंत्री महोदय के इस उत्तर को कि डम-डम तथा हल्दिया में निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए जिससे जापानी फर्म जापान तथा तृतीय बाजारों को निर्यात करने के लिए इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर सकें, दृष्टि में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना जाहता हूँ कि डम डम और हल्दिया में निर्बाध व्यापार क्षेत्र का विकास करने के सम्बन्ध में क्या विशिष्ट उपाय किए गये हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : वर्तमान स्थिति में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

*375. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की दो महत्वपूर्ण शाखाओं, संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन (यू० एन० आई० वी० ओ) तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, के बीच इस बारे में गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो गये हैं कि सहायता के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति किस प्रकार दी जाये;

(ख) क्या इन मतभेदों से भारत में संयुक्त राष्ट्र सहायता प्राप्त विकास कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इन मतभेदों को दूर करने के लिए भारत ने कोई पहल की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कुछ समय पहले, औद्योगिक परियोजनाओं की तैयारी उनके मूल्यांकन और अनुमोदन के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघीय औद्योगिक विकास संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासनों के बीच ममतभेद थे। लेकिन इन दो संगठनों और उसके अन्तर सरकारी शासी निकायों के बीच परस्पर विचार-विमर्श के बाद ये मतभेद समाप्त हो गये।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री एम० कतामुतु : यह तो स्वीकार किया जा चुका है कि यहां कुछ मतभेद है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि ये मतभेद किस प्रकार के हैं और हमें अपनी परियोजनाओं की मंजूरी लेने में इन मतभेदों ने हमको कैसे प्रभावित किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ये दोनों निकाय परस्पर सम्पूरक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघीय औद्योगिक विकास संगठन औद्योगिक परियोजनाओं, योजनाओं आदि का समन्वय करने सम्बन्धी विशिष्ट कार्य करती है, और इन परियोजनाओं को अधिकांश रूप में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसे अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने में वास्तव में यही एक मुख्य कठिनाई थी। पेशकश करने सम्बन्धी कुछ मतभेद थे किन्तु, संयुक्त राष्ट्र ने स्वयं कुछ संकल्प पारित किए और कुछ तदर्थ समितियाँ गठित की गई जिन्होंने प्रक्रिया सम्बन्धी तथा अन्य मामलों की जांच की और विचार-विमर्श किए गए जिनके फलस्वरूप उन्होंने इस विशेष मामले में अपनी गतिविधियों को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए मार्ग ढूंढ लिया है। मेरे विचार में इस कार्य के फलस्वरूप कार्य और अधिक प्रभाव कारी ढंग से चलेगा।

श्री एम० कतामुतु : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है; क्या मंजूरी लेने में कुछ विलम्ब नहीं हुआ था।

श्री यशवंतराव चव्हाण : मेरे विचार में ऐसा नहीं हुआ है।

Reserved Quota for Scheduled Caste in State Bank of India

*377. **Shri Dhan Shah Pradhan :**

Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether in many Branches of the State Bank of India, reserved quota for Scheduled Castes is not being strictly adhered to;

(b) wheth-r during the current year, 59 to 73 percent of the candidates belonging to other Castes have been given employment in the State Bank of India against the posts reserved for Scheduled Castes; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित पदों पर भरती के सम्बन्ध में स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती विभिन्न कारणों से नहीं की जा सकी ।

बैंक ने यह कहा है कि नौकरियों में इन जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित विशेष उपाय किये हैं :

(i) ये हिदायतें दी गयी हैं कि अधीनस्थ संवर्गों के सभी पद जहां तक सम्भव हो तब तक अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन-जातियों में से ही भरे जाएं जब तक कि उनकी भरती में हुई कमी पूरी न हो जाय ।

(ii) लिपिक वर्ग में भरती के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन-जातियों के लिये छूट दे दी गयी है ।

(iii) परिवीक्षाधीन अधिकारियों और लिपिकों के चुनाव के लिये लिखित परीक्षा में अर्हक स्तर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन-जातियों के लिये कम कर दिये गये हैं ।

(iv) रिक्त पदों की सूचना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के विशेष निकायों को भी दी जायगी ताकि वे उपयुक्त उम्मीदवार भेज सकें ।

Shri Dhan Shah Pradhan : So far the nature of difficulties came before the banks ? May I know whether no attempt is made to fill up the quota of S. Ts. ? What steps are being taken to fill up this reserved quota of S. Ts. ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विवरण में मैंने बताया है कि स्थिति संतोषजनक नहीं है । मैं यह बता चुका हूँ कि जब तक पिछली कमी को पूरा नहीं किया जाता तब तक सभी अधीनस्थ स्थानों को अनुसूचित जातियों और जन जातियों द्वारा भरने के अनुदेश दे दिए गये हैं । उनके सम्बन्ध में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी कम कर दिया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि शैक्षणिक योग्यता आड़े आ रही थी । अर्हता के स्तर को भी उनके सम्बन्ध में कम किया गया है । रिक्त स्थानों की सूचना विशेष निकायों/संस्थाओं को दी गई है ।

सामान्यतः तरीका यह है कि रिक्त स्थानों को सूचित किया जाता है और उम्मीदवारों को स्वयं की रोजगार कार्यालयों में दर्ज कराना होता है । ये रोजगार कार्यालय कुछ रुकावट डालते हैं । अतः अब हमने उनसे कहा है कि वे सीधे प्रार्थनापत्र भेज सकते हैं । इन कुछ कार्यकरण सम्बन्धी दिक्कतों को हमने दूर करने का प्रयत्न किया है···**(व्यवधान)**

Shri Dhan Shah Pradhan : What procedure is being adopted for filling the posts in the new branches ? May I know whether he is aware of the fact that the selection of the persons to be appointed is due already in advance and advetizement for the posts is just an eye wash ?

Shri Yeshwantrao Chavan : I have no such information with me. If the hon. members gives some information I will make the inquiry, but I cannot say that this cannot happen.

Shri Bibhuti Mishra : There is much irregularities in the appointments in the Banks on subordinate posts so for as other communities are concerned. As such for the appointments a commission should to set up to enquire whether big officers should make the appointments after taking interview. I want to know the whether government is going to do such a thing ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह विचार निस्सन्देह अच्छा है। ये बैंक देश-व्यापी हैं। तथा इनकी सख्या 14 है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि नियुक्तियों को किस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाये।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के स्थानों को भरने से सम्बन्धित नियमों का पालन न करने के लिए क्या किसी अधिकारी को जिम्मेदार बताया गया है और यदि हां तो नियमों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि कोई अधिकारी जानबूझ कर नियमों का पालन नहीं करता तो उस अधिकारी अथवा नियुक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अब तक किसी अधिकारी के विरुद्ध मुझे प्रमाण नहीं मिले हैं। बल्कि मुझे भर्ती की पद्धति में खराबी लगती है। अतः हमने पहले इसमें सुधार करने का निर्णय किया है। यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें होंगी और हमारे सामने लाइ जायेंगी तो हम निश्चय ही उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।

श्री कार्तिक उरांव : क्या सरकार को स्टेट बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की भर्ती सम्बन्धी व्यवस्था की जानकारी है ? उन्होंने परीक्षा और साक्षात्कार के साथ आवेदन करने के लिए हाई स्कूल में 40 प्रतिशत अंकों की अर्हता रखी है। यदि हां, तो क्या सरकार 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को सीधे ही भरती करने के निर्देश देगी, फिर साक्षात्कार और परीक्षा में उनके कितने ही अंक आए। क्या इस स्थिति से पार पाने का कोई अन्य तरीका भी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विवरण में बताया गया है कि हम अर्हता अंक कम करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए नियुक्ति और आसान बना रहे हैं। यदि इसमें भी असफलता मिलती है तो हम श्री कार्तिक उरांव के सुझाव पर गम्भीरता से विचार करेंगे।

***वार्षिक व्यापार योजना पर भारत-रूस वार्ता**

†378. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष के लिए वार्षिक व्यापार योजना पर भारत-रूस वार्ता 13 नवम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। वार्ताएं 31 से 25 नवम्बर, 1972 तक हुईं।

(ख) इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप वर्ष 1973 के लिए व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत और सोवियत संघ के बीच आदान प्रदान किए जाने वाले माल की सूचियों को अन्तिम रूप दिया गया है और 411 करोड़ रु० से अधिक के व्यापार की व्यवस्था की गई है।

Shri Duban Lal Berwa : The amount of trade to be undertaken, how much will be the import and export and what steps are being take to balance the both ?

श्री ए० सी० जार्ज : 1973 में 151.9 करोड़ रुपये के आयात और 259.8 करोड़ रुपये के निर्यात की आशा है । असमानता को रूसी सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधाओं के समान किये जाने की आशा है ।

Shri Duban Lal Berwa : I asked that how this imbalance of Rs. 300 crores will be balanced and the commodities to be imported and exported ?

श्री ए० सी० जार्ज : मुझे डर है कि माननीय सदस्य का हिसाब गलत है । मैंने कहा था कि 151.9 करोड़ रुपए का आयात तथा 259.8 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ । इस अन्तर को आयात के भुगतान तथा भूतकाल में रूस द्वारा दिए गये विभिन्न आर्थिक ऋणों के भुगतान से, जिसका 1973.में भुगतान होगा, पूरा किया जायेगा ।

Shri Duban Lal Berwa : May I know whether whole of this import will be done by State Governments, or Central Government or by the Private firms ?

श्री ए० सी० जार्ज : जो वस्तुएं राज्य व्यापार निगम की मार्फत आयात की जाती हैं उनका आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा । अन्य वस्तुओं का आयात निजी फर्में करेंगी ।

Shri Ambesh : May I know whether good skins ere being exported from here and on account of that good material do not remain here and that is why Government is facing difficulties in improving leather industry ?

Mr. Speaker : This question is not about leather.

Shri Atal Bihari Vajpayee : So for private parties were also getting a chance to export shoes to U.S.S.R. May I know whetker it is correct that Government have decided to take this trade into their hands ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नई दिल्ली में अगले वर्ष के लिए वार्षिक व्यापार योजना के बारे में हुई बातचीत के सम्बन्ध में है । इसका उत्तर वह पहले ही दे चुके हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या भविष्य में रूस को जूते राज्य व्यापार निगम द्वारा ही निर्यात किए जायेंगे और निजी फर्मों को जूते निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : चमड़े के सम्बन्ध में इसके एकदम बाद प्रश्न संख्या 379 आ रहा है तब मैं उसका उत्तर दूंगा । श्री वाजपेयी के प्रश्न का जहाँ तक सम्बन्ध है, हमने पिछले महीने में ही रूस को ही नहीं वरन् सभी देशों को जूतों का निर्यात राज्य व्यापार निगम की मार्फत करना शुरू किया है ।

विश्व मंडी में चमड़ा उद्योग का असंतोषजनक कार्य

†379. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मंडी में हमारे चमड़ा उद्योग का कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चमड़े तथा चमड़े की बनी वस्तुओं के लिए मंडियों की खोज करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हमारे चमड़ा उद्योग का निर्यात निष्पादन विगत कई वर्षों से बहुत प्रभावोत्पादक रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पम्पन गौडा : इस वर्ष के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में कितने कम अथवा अधिक हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : 1971-72 में अर्ध-तैयार चमड़े तथा चमड़े के माल से 98.6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई थी। इस वर्ष छः महीने में ही हमने 1971-72 की सीमा को पार कर लिया है। इसके कारण तैयार चमड़े अथवा चमड़े के माल के उद्योग में कुछ संकट आ सकता है।

Shri Bhagirath Bhammar : Hon. Minister said that leather trade is going on very sound. I want to know that what types of leather is being exported and which is the best out of them. It has good demand in the world market and fetching good price.

श्री ए० सी० जार्ज : निर्यात किए जाने वाले चमड़े की तीन सामान्य किस्में हैं (1) कच्चा चमड़ा और खालें (2) अर्ध-तैयार चमड़े के अन्तर्गत कमाया हुआ ई० आई० तथा कमाया हुआ कुरम चमड़ा (3) जूतों और चप्पलों समेत चमड़े का माल। चमड़े के माल का विस्तृत विवरण में नहीं दे सकता। पर इस वर्ष हमारी कारगुजारी अच्छी रही। अर्ध-तैयार चमड़े के सम्बन्ध में हमें गत वर्ष से अधिक लाभ मिल चुका है।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग तथा आयकर विभाग, पटना में काम कर रहे कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि

*380. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सराजस्व बोर्ड ने पटना स्थित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग तथा आयकर विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण हेतु पटना में भूमि खरीदने के लिए 1964 में 3,50,000 रुपये की राशि मंजूर की थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और आयकर विभाग के कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने 19 अगस्त, 1971 को उनसे बात-चीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त भूमि को खरीदने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और भूमि कब तक खरीद ली जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पटना में भूमि खरीदने के लिये 1964 में स्वीकृत 3.50 लाख रुपये की रकम में से, 2.70 लाख रुपये पटना नगर-सुधार मंडल के पास इस निमित्त जमा करा दिये गये थे। भूमि प्राप्त करने में, उच्च न्यायालय में रिट दाखिल किये जाने के कारण, देरी हुई। बाद में राज्य सरकार ने अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित सारी भूमि छोड़ दी, और इसलिए पटना नगर सुधार मंडल ने उनके पास जमा रकम नवम्बर 1968 में वापस कर दी। तब से, राज्य सरकार तथा प्रायवेट एजेन्सियों आदि की मार्फत उपयुक्त जमीन खरीदने के लिए बड़ी कोशिशें की गई हैं लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है। कोशिशें अभी भी जारी हैं।

Shri Ramavtar Shastri : May I know whether Excise and Income tax employees Association, Patna has written a letter to Excise and Income Tax Commissioner regarding 7.79 acre non agricultural land ? If so, the details thereof ?

Shri K. R. Ganesh : I have no information whet er a letter was written or not. I can only say this much that the committee set up by the collector have the central excise collector

and B custom collector and the representatives of the organisation as its members. Its duties are to find out the land and that they are doing.

Shri Ramavtar Shastri :May I know whether the collector of that place has written any letter to your officers ? If so, details thereof ?

Mr Speaker : It is out of its scope.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ब्रिटेन, अमरीका, कोमीकोन और मध्य पूर्व के देशों के साथ निर्यात आयात व्यापार की मात्रा

*362. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ब्रिटेन, अमरीका तथा उत्तर अतलान्तिक संधि संगठन के देशों और कोमीकोन तथा पश्चिम एशिया के देशों के साथ कुल कितना निर्यात और आयात व्यापार हुआ; और

(ख) विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के प्रयोजनार्थ आयात और निर्यात व्यापार में सन्तुलन स्थापित करने अथवा रुपयों में भुगतान वाले देशों के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) नाटो, कोमीकोन और पश्चिमी एशिया के साथ हुआ कुल निर्यात और आयात इस प्रकार है :

		(करोड़ रु०)	
	1969–70	1970–71	1971–72
(1) नाटो	1360	1405	1603
(1) ब्रिटेन	268	297	386
(2) सं० रा० अमरीका	705	660	680
(2) कोमीकोन	551	545	517
(3) पश्चिमी एशिया	231	253	283

(ख) व्यापार सन्तुलन की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्यात बढ़ाने और यथासम्भव सीमा तक आयातों में कमी करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। निर्यातों के रुख पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जैसे ही और जब आवश्यकता होती है सुनियोजित कार्यवाही की जाती है।

पूर्व यूरोपीय देशों को निर्यातों में वृद्धि की गुंजाइश का लाभ उठाने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनमें इन देशों के साथ वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार वार्तायें शामिल हैं। समय समय पर इन देशों में आयोजित होने वाले मिलों प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिये भारतीय फर्मों / सरकारी क्षेत्र के संगठनों और निर्यात संवर्धन परिषदों को प्रोत्साहित किया जाता है। इन देशों में निर्यात सम्भाव्यताओं का अध्ययन करने के प्रयोजनार्थ बिक्री-सह-अध्ययन दलों और बाजार सर्वेक्षणों की व्यवस्था की गई है। उन देशों के खरीदारी प्रतिनिधि-मंडलों को हमारे देश के उन विभिन्न विनिर्माता केन्द्रों को देखने की सुविधायें दी जाती हैं जो उन देशों को निर्यात करते हैं।

'बेरियम कार्बोनेट' खरीदने के लिये रूस का निर्णय

*364. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने 1974 से भारत से प्रतिवर्ष 10,000 टन 'बेरियम कार्बोनेट' खरीदने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुए करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : सूचना मिली है कि एक भारतीय फर्म ने 1972-73 के दौरान सोवियत संघ को 1000 मे० टन बेरियम कार्बोनेट पाउडर की सप्लाई के लिये संविदा की है ।

चमड़ा और खाल का अनियत्रित निर्यात

*366. **श्री सूरज पांडे** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर चमड़े और खालों के अनियंत्रित निर्यात से जूता-चप्पल उद्योग में सकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो चमड़े और खालों के अनियंत्रित निर्यात को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या इस अनियंत्रित निर्यात से रूस को 15 लाख जोड़े जूतों के आर्डर की सप्लाई में बाधा पड़ेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह सही है कि जूता उद्योग अपने लिए अपेक्षित चमड़े की कमी महसूस कर रहा है ।

(ख) अर्ध-साधित चमड़ियों तथा खालों के निर्यातों को विनियमित करने के लिये कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम को आशा है कि वह इस आदेश को निष्पादित कर लेगा ।

Report of Third Pay Commission

*368. **Dr Govind Das Richharia** : Will the Minister of Finance be pleased to state the time likely to be taken by Government in taking a final decision on the Report of the Third Pay Commission after its receipt by Government by the end of the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : Every effort will be made to take a final decision on the recommendations of the Third Pay Commission as quickly as possible. It is, however, not possible at this stage, when the Report has yet to be received, to give a forecast of the time requisite for this purpose.

Capital invested by L. I. C. in industries, housing projects and companies in Madhya Pradesh

*369. **Shri G C. Dixit** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the capital invested by the Life Insurance Corporation in various industries, housing projects and Government run Companies in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) the main features of the industries and projects on which the capital has been invested ; and

(c) the amount of profits earned on each of these investments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) & (b) : LIC's investments in the various industrie , housing proje:ts and Government run Companies in Madhya Pradesh during the last three years are as under :

I. Industry	(Rupees in lakhs)		
	1969-70	1970-71	1971-72
Coal	—	0.3	—
Cotton Textiles	—	—	0.50
Electrical Goods	0.02	4.87	0.54
Mining	4.39	—	—
Sugar & Breweries	—	—	35.00
Textiles (other than Cotton)	19.29	7.62	3.86
Miscellaneous	—	0.25	0.63
	23.70	13.12	40.53
II. (i) Loans to Government of Madhya Pradesh for various Housing schemes	55.00	55.00	65.00
(ii) Loans for construction of houses under various mortgage schemes of LIC.	*	*	27.82

*Similar information for the financial years 1969—70 & 1970—71 is not available with LIC.

III. No investments have been made by the L.I.C. in Government companies and Government run companies in Madhya Pradesh during the last three financial years.

(c) The income on the loans advanced by the L.I.C. is derived from the interest realised on such loans. In the case of investments in shares of companies the field thereon is known only when the dividends are declared. The LIC made a profit of Rs. 9448/- during 1971—72 on the redemption of debentures of a public limited company.

पटसन की वसूली में कमी

*372. **श्री रामभगत पस्वान** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पटसन की वसूली में कमी आयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या गारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) : देश के अन्दर पटसन प्राप्त करने का काम भारतीय पटसन निगम द्वारा किया जा रहा है जबकि विदेशों से प्राप्त करने का काम इस निगम तथा भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा संयुक्त रूप के किया जा रहा है। प्राप्त की जाने वाली पटसन की मात्राओं का निर्धारण समय-समय पर फसल के परिमाण, मूल्य प्रवृत्तियां आदि जैसे विभिन्न कारणों को ध्यान में रखसे हुए किया जाता है। 1972–73 में देश में पटसन तथा मेस्टा की फसल केवल 57 लाख गांठें होने का अनुमान है और कमी को आयात करके पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी पटसन उत्पादक राज्यों में पटसन की कीमतें कानूनी आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमतों से ऊंची रही हैं, पटसन निगम द्वारा कोई समर्थन कार्यवाही नहीं की गई है। तथापि, कम फसल तथा स्थिति के अनुसार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक खरीदारियां की जा रही हैं।

भारत बल्गारिया व्यापार करार

*373. **श्री ई० वी० लिखो पाटिल :**

श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्गारिया को भारतीय वस्तुयें सप्लाई करने हेतु भारत और बल्गारिया के बीच करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं और बल्गारिया को कौन-कौन सी वस्तुयें निर्यात की जायेंगी ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं। 1973 के लिए व्यापार संलेख पर दिसम्बर, 1972 जनवरी, 1973 के दौरान सोफिया में वार्ता की जानी है और उसे अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बम्बई से धन की चोरी

*376. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 वनम्बर, 1972 को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बम्बई से एक लाख रुपयों क बण्डल जिस में सौ-सौ रुपयों के नोट थे, चुरा लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गयी है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बृहस्पतिवार, 9 नवम्बर, 1972 को बैंक के बम्बई कार्यालय के उपकोषपाल (बैंकिंग) जब दो टैलरों से प्राप्त कुछ मांगपत्रों (इण्डैंट्स) की पूर्ति के लिए दो अलग-अलग बक्सों में रखे करेंसी नोटों की पुन: जांच कर रहे थे तब उन्हें यह मालूम हुआ कि एक बक्से में से सौ-सौ रुपये के मूल्य के 1000 नोट अर्थात् कुल 1,00,000 रुपये के नोट गायब हैं। बैंक ने यह तसल्ली करने के बाद कि गायब बण्डलों का कोई सुराग नहीं मिला है, मामले की सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस की जांच का काम आगे बढ़ रहा है।

चम्बल, घाटी में लिए विश्व बैंक से सहायता

3525. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक दल ने चम्बल घाटी के क्षेत्रों का हाल में दौरा किया है और यह विचार व्यक्त किया है कि विश्व बैंक की परियोजना पांच वर्ष के समय में पूरी हो सकती है ;

(ख) क्या विश्व बैंक दल ने योजना के लिए सहायता देने का कोई आश्वासन दिया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दल के दौरे के अनुसरण में सरकार ने परियोजना के लिए अपेक्षित धन के बारे में अपने अनुमान भेजे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) यह देखने के लिए कि राजस्थान के चम्बल-सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, विश्व बैंक के एक दल ने, अभी हाल ही में वहां का दौरा किया था ।

(ख) दल ने इस बात का संकेत दिया था कि बैंक, चम्बल घाटी के सिंचाई क्षेत्र की विकास परियोजना के लिए सहायता देने के बारे में विचार कर सकता है ।

(ग) चम्बल सिंचाई क्षेत्र के विकास की एक परियोजना तैयार की जा रही है । अतः इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि इस परियोजना के लिए कितनी रकम की आवश्यकता है ।

Foreign Technicians and Engineers in Central Industrial Establishments

3525. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1811 on the 11th August, 1972 regarding foreign Technicians and Engineers in Central Industrial Establishments and state :

(a) whether the information referred to in part (b) of the question has since been collected and when it would be laid on the Table of the House ; and

(b) if not, the time likely to be taken in collecting the required information ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The information has since been collected and is as follows :

"According to information received from the concerned Central Government industrial and commercial undertakings, the amount of expenditure being incurred in Indian currency on the salaries of foreign technical personnel employed on regular and short-term basis is about Rs. 130 lakhs per annum."

(b) Does not arise.

जूट मालिकों द्वारा जूट के निर्यात में कमी

3527. **श्री कमला मधुकर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के जूट मालिकों ने, सरकार द्वारा जूट के निर्यात पर लगाये गये शुल्क को विफल करने के लिये ही जूट के निर्यात में हाल में कमी की है; और

(ख) क्या सरकार ने उनके दबाव में आकर जूट पर लगे निर्यात शुल्क में कटौती की है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान पटसन माल के निर्यात आँकड़े, पिछले वर्ष की उसी अवधि के आँकड़ों से कुछ कम हैं । ऐसा मुख्यतः संश्लिष्टों से कड़ी प्रतियोगिता व कुछ अन्य बातों तथा इस वर्ष कच्चे पटसन की कमी के परिणामस्वरूप पटसन माल की ऊंची कीमतों के कारण हुआ है ।

(क) इस मद को संश्लिष्ट प्राइमरी वस्तुओं से प्रतियोगी बनाने हेतु 1-11-72 से प्रति वर्ग गज 9 औंस अथवा अधिक वजन वाले प्राइमरी पटसन कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क 400 रु० प्रति मे० टन घटा दिया गया है ।

नियंत्रण में ली गई सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिये विशेष उपाय

3528. **श्री एम एस० शिवस्वामी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अपने नियंत्रण में ली गई सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिये कोई विशेष उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : 57 सूती वस्त्र मलों में से, जिनका प्रबन्ध, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन सरकार द्वारा ग्रहण किया जा चुका है, अब तक 45 मिलों के सम्बन्ध में आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को, जिसमें कुल 1685.97 लाख रु० की वित्तीय व्यय अन्तर्ग्रस्त है, मंजूरी मिल चुकी है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 3950/72]

1968 में भर्ती हुए आयकर अधिकारियों की वरिष्ठता

3529. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से 200 आयकर अधिकारियों की भर्ती का तरीका वही था जोकि 1956 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में विशेष भर्ती के लिए अपनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो सीधी भर्ती से आये इन आयकर अधिकारियों की वरिष्ठता भी उन्हीं सिद्धांतों पर निर्धारित की गई है जिस पर भारतीय प्रशासनिक सेवा की विशेष भर्ती के माध्यम से आये लोगों की वरिष्ठता निर्धारित की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं। 1968 में आयकर अधिकारियों (श्रेणी II) के 200 पदों पर, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से तदर्थ भर्ती द्वारा भरने का फैसला किया गया था, भरती का तरीका कई प्रकार से वैसा ही नहीं था जैसाकि 1956 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में विशेष भर्ती द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनाया गया था।

(ख) **तथा** (ग) : जी नहीं। उनकी वरिष्ठता आयकर अधिकारी (श्रेणी–II) की वरिष्ठता के सम्बन्ध में विद्यमान अनुदेशों को देखते हुए निर्धारित की गई थी।

संयुक्त राज्य अमरीका से आर्थिक सहायता

3530. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव ने यह मांग की है कि भारत को आर्थिक सहायता पुनः चालू की जाये; और

(ख) यदि हां, तो भारत को अमरीका से कितनी आर्थिक सहायता मिलने की आशा है और इसका भारत के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पाँचवीं योजना में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिये मध्य के लिये मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध

3531. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास में सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : पर्यटन विभाग को राज्य सरकार से कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

रबड़ का विपणन

3532. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 8 (2) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रबड़ के विपणन को बढ़ाने का कार्य रबड़ बोर्ड का है;

(ख) यदि हां, तो रबड़ के विपणन के कार्य को राज्य व्यापार निगम को सौंप जाने के क्या कारण हैं जबकि रबड़ बोर्ड के पास इस प्रयोजन हेतु धन, तकनीकी तथा वैज्ञानिक कर्मचारी तथा संगठनात्मक सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ग) क्या उच्चस्तर पर राज्य व्यापार निगम तथा उत्पादकों और बोर्ड के बीच सम्पर्क कार्य करने वाली सहकारी समितियों के स्थान पर बोर्ड में कोई नया ढांचा बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) लघु उपजकर्ताओं से खरीदारियां बढ़ाने और रबड़ की बाजार कीमतों में, जो अधिसूचित कीमतों से नीचे थीं, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो, त रबड़ का समीकरण भंडार बनाने की दृष्टि से, रबड़ की खरीदारी तथा विपणन का कार्य राज्य व्यापार निगम को सौंपने का विचार था। रबड़ बोर्ड को यह कार्य सौंपने से उनके समय, शक्ति तथा संसाधनों को कमज़ोर करने के अलावा, रबड़ बोर्ड के अन्तर्गत सहवर्ती, वित्तीय शाखा-प्रशाखाओं सहित एक पृथक विभाग की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। यह महसूस किया गया कि इससे असली उद्देश्य, अर्थात् रबड़ उद्योग का विकास करने का उद्देश्य, जिसके लिये वह स्थापित किया गया था, समाप्त हो जायेगा।

(ग) तथा (घ) : रबड़ बोर्ड ने हाल में रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8क के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वदेशी बाजार में रबड़ खरीदने और विनिर्माताओं तथा अन्य अभिकरणों को उसे बेचने की अनुमति मांगी है। उन्होंने प्रचलित बाजार कीमतों को अधिसूचित कीमत स्तर तक लाने के ख्याल से बाजार से देशी रबड़ उठाने के लिये 20,000 मे० टन प्राकृतिक रबड़ का समीकरण भंडार बनाने की प्रस्थापना की है और रबड़ बोर्ड की प्रस्थापना विचाराधीन है।

रबड़ बोर्ड के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रादेशिक परिष्करण केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव

3533. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ उगाने वाले महत्वपूर्ण केन्द्रों में रबड़ बोर्ड के अन्तर्गत केन्द्रीय परिष्करण फैक्टरियाँ तथा प्रादेशिक परिष्करण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे केन्द्र खोलने के लिए सरकार का विचार पहल करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) से (ग)** : रबड़ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्थापनाएं हैं : (1) बोर्ड के रबड़ गवेषणा संस्थान के अन्तर्गत तकनीकी रूप से निर्दिष्ट प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन के लिये परिष्करण एकक की स्थापना तथा (2) सहकारी क्षेत्र के माध्यम से परिष्करण केन्द्रों की स्थापना। इन पर विचार किया जा रहा है।

आयात तथा निर्यात नियंत्रक का वेतनमान

3534. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात नियंत्रक का वेतनमान उसके पद के भारी कार्य तथा जिम्मेदारियों के अनुकूल नहीं है;

(ख) क्या सहायक नियंत्रकों तथा नियंत्रकों के पदों के विलय से पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं; और

(ग) क्या सरकार सारे मामले पर नये सिरे से विचार करेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नियंत्रक (श्रेणी–2) के पद का वर्तमान वेतनमान (रु० 400–900), जो कि मूल वेतनमान (350–350–380–380–30–650) से अच्छा कर दिया गया है, द्वितीय वेतन आयोग ने पद से सम्बद्ध कार्यों तथा जिम्मेदारियों को देखते हुए निर्धारित किया था ।

(ख) जी नहीं । आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के पुनर्गठन के फलस्वरूप नियंत्रक (श्रेणी–1) के भूतपूर्व पदों के समाप्त होने से अब सहायक नियंत्रक जिसका नाम बदलकर नियंत्रक श्रेणी–2 कर दिया गया है) सीधे उप-मुख्य नियंत्रक (रु० 900-50-1250) के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हो गये हैं ।

(ग) तृतीय वेतन आयोग केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी पदों के, जिनमें आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन के पद शामिल हैं, वेतन ढांचे के सम्बन्ध में पहले ही विचार कर रहा है ।

हौजरी उद्योग को मुआवजे का आवासन

3535. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मत्रालय ने हौजरी उद्योग को जिसको चीथड़ा काण्ड के कारण भारी हानि हुई है, हानि का मुआवजा देने का आश्वासन दिया है;

(ख) क्या **अक्तूबर** 1972 के अन्त में हौजरी उद्योग के प्रतिनिधि उनके मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मिले थे और सरकार द्वारा उनको दी गई पेशकश के बारे में अपनी कठिनाइयां बताई थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मुआवजे सम्बन्धी पेशकश का स्वरूप क्या है और उद्योग द्वारा उसको स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

Income-Tax Outstanding Against M/s Mckenzies Ltd. Bombay

3536. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the year upto which the Company named Mckenzies Limited, 59, Apollo Street, Bombay has been assessed for purposes of ncome-tax ;

(b) the amount of Income-tax outstanding against the Company to date and the financial year in respect of which this amount is due ; and

(c) the action being taken by Government to realise the outstanding amount ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The assessments of M/s Mckenzies Ltd., 59 Apollo Street, Bombay have been completed upto the assessment year 1967-68.

(b) The amount of Income-tax outstanding, the assessment years to which it relates and the financial years in which the demand was raised are as under :

Assessment year	Amount of arrear due Rs.	Financial year in which demand was raised
1959—60	36,357	1971—72
1963—64	1,35,035	1971—72
1967—68	94,957	1972—73

(c) Tax recovery certificates have been issued to the Tax Recovery Officer. The assets of the Company have, however, been taken over by the Court Receiver with whom a claim has been filed by the Department.

1970–71 और 1971-72 में 5 स्टार होटलों में कमरे लेने वाले भारतीयों तथा विदेशियों की संख्या

3537. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन भारतीयों तथा विदेशियों की संख्या कितनी है जिन्होंने 1970-71 और 1971-72 में 5-स्टार होटलों में कमरे लिये थे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : वर्ष 1971 और 1972 (जनवरी-सितबंर) के दौरान होटलों में ठहरने वाले भारतीयों और विदेशियों की संख्या दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

होटलों में ठहरने वाले भारतीयों और विदेशियों की संख्या

होटल का नाम	1971		जनवरी-सितम्बर 1972	
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी
होटल ओबेराय प्लेस, श्रीनगर*	2642	2096	3035	1282
होटल क्लार्क्स-शीराज, आगरा	4301	21851	2871	9796
अशोक होटल, नई दिल्ली	23160	35447	20040	21730
होटल ओबेराय इन्टर कान्टीनेंटल, नई दिल्ली	35768	76156	21207	54700
ताज महल होटल, बम्बई	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
सन-एन सैंड होटल, बम्बई	3292	28029	3607	22196
होटल रामबाग पैलेस, जयपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लेक पैलेस होटल, उदयपुर†	1249	3684	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

* होटल शीतकाल में जनवरी से मार्च तक बन्द रहता है ।

† होटल नवीकरण के लिये मई से अगस्त 1971 के दौरान बन्द रहा ।

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में श्रमिकों की नियुक्ति

3538. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मैंत्रालय के अन्तर्गत उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनके निदेशक मण्डलों में श्रमिकों को नियुक्त किया गया है और अब तक नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) उनके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में मजदूरों को कब नियुक्त किया जायेगा; और

(घ) उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनको सर्वप्रथम इस प्रयोग के लिये चुना गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : नागर विमानन विभाग कर्मचारी संघ के महा सचिव, श्री एस० मधुसूदन भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के एक अंशकालिक सदस्य हैं।

(ख) से (घ) : सरकार ने कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय अथवा वाणिज्यिक यूनिटों को छोड़ कर–प्रबंधक वर्ग के बोर्डों पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने के लिए एक स्कीम परीक्षण के तौर पर चालू करने का निर्णय किया है। प्रथमतः, इस स्कीम को हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, में क्रियान्वित करने का निर्णय किया गया है।

फर्मों द्वारा ऊनी वस्त्रों का अवैध आयात

3539. **श्री एम० नागेश्वर राव** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री ऊनी बने बनाये कपड़ों के अवैध रूप से आयात के बारे में 17 नवम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 937 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन फर्मों तथा व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनको उक्त प्रयोजन हेतु आयात लाइसेंस दिये गये थे और लाइसेंसों का मूल्य क्या था ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : आयात व निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन द्वारा जारी किये गये सभी आयात लाइसेंसों व रिलीज आदेशों के विवरण, जिनमें पार्टी का नाम और पता, आयात की जाने वाली वस्तुएं और उनके मूल्य दिये जाते हैं, औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों और निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं, जिनकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं;

देश में हवाई अड्डों पर आग बुझाने के अपर्याप्त यूनिट

3540. **श्री के० कोडंडारामी रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के पायलटों ने इस बात के प्रति विरोध प्रकट किया है कि देश में हवाई अड्डों पर आग बुझाने के यूनिट अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो अपर्याप्त यूनिट होने के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) से (ग) : भारतीय वाणिज्यिक विमान चालक संघ महसूस करता है कि कुछ हवाई अड्डों पर अग्निशामक व्यवस्था को और अधिक परिपुष्ट करने की आवश्यकता है। कुछ क्रैश फायर टैंडरों का आयात करने तथा इन यंत्रों का देश में ही निर्माण करने की प्रगति को तीव्रतर करने के लिये कार्यवाही को जा रही है।

1971 में हथकरघा तथा रेशम की वस्तुओं के निर्यात में कमी

3541. **श्री के० कोडंडारामी रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 में हथकरघा तथा रेशम की वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हथकरघे के सूती तथा ऊनी माल के निर्यात 1970 की अपेक्षा 1971 में अधिक थे लेकिन हथकरघे के रेशमी माल के निर्यात 1971 में गिर गये।

(ख) 1971 में हथकरघे के रेशमी माल के निर्यात में गिरावट के मुख्य कारण यह थे : विदेशों में रूमालों तथा उतरीय की मांग में गिरावट तथा फैशन प्रवृत्ति में परिवर्तन और भारत में कच्चे रेशम की ऊंची कीमतें जिसके परिणामस्वरूप रेशमी माल की ऊंची उत्पादन लागत।

इजरायल के साथ व्यापार

3542. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय कम्पनियों के नाम तथा पते क्या हैं, जो इजरायल के साथ व्यापार कर रही हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार इजरायल को मुख्य रूप से क्या निर्यात किया गया तथा इजरायल से मुख्य रूप से क्या आयात किया गया और ऐसे सौदों से हमारे देश ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) तथा (ख)** : यह जानकारी, आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक और वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महा-निदेशक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों में पहले ही उपलब्ध है।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को चयन ग्रेड देने के नियम

3543. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिकारियों को चयन ग्रेड देने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई नियम निर्धारित कर रखा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : **(क) तथा (ख)** : सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था के सम्बन्ध में द्वितीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के दसवें अध्याय के पैराग्राफ 10 में कुछ विस्तृत निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। मंत्रालयों/विभागों से जब विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तब उन सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए, प्रत्येक मामले पर, उसके गुण दोष के आधार पर, विचार किया जाता है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में संशोधन

3544. **डा० ह्रिप्रसाद शर्मा** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग के भूतपूर्व चेयरमैन, श्री अलिगिरि स्वामी ने सुझाव दिया था कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम में कुछ रूप-भेद किए जाएं;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा सुझाए गए रूप-भेद क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके प्रकाश में उक्त अधिनियम में संशोधन करने का है, यदि हां, तो कब तक ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सुझाये गये आशोधन, कुछ प्रगट हुई विषमताओं को दूर करने की दृष्टि से, अधिनियम के कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक तथा मौखिक परिवर्तनों तथा इन उपबन्धों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के, सम्बन्ध में हैं ।

(ग) मामला परीक्षान्तर्गत है ।

बेलापुर शुगर और सम्बद्ध उद्योगों संबधी जांच प्रतिवेदन

3546. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलापुर शुगर और सम्बद्ध उद्योगों की जांच के लिए विधि बोर्ड द्वारा नियुक्त जांच समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वह कब प्राप्त हुआ और उसमें मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने प्रतिवेदन के आधार पर क्या कार्यवाही की है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार को, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ।

(ख) तथा (ग) : निरीक्षण रिपोर्ट 5–10–1972 को प्राप्त हुई थी । इसकी कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा परीक्षा की जा रही है ।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के अध्यक्ष के सुझाव

3546. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक एक अक्तूबर, 1972 के हिन्दुस्तान टाईम्स में "स्टील शार्टेज ड्रैग आन इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यह सिद्धान्त असफल रहा है कि निर्यात बढ़ाने और विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिये घरेलू मांग की अवहेलना की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तथा सरकार निर्यात बन्द करने के लिये अपनी नीति में परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

विदेशी व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष ने केवल क्षमता के पूर्ण उपयोग और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर ही जोर दिया है ताकि न्यायोचित लागत पर निर्यात के लिये पर्याप्त अधिशेष का सृजन हो जाये। निर्यात बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में फोर्ड फाउडेंशन में नियुक्त विदेशी

3547. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फोर्ड फाउंडेशन में कितने विदेशी कार्य कर रहे हैं;

(ख) फोर्ड फाउंडेशन में कार्य करने के लिए गत तीन वर्षों में कितने विदेशी भारत आए और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि फोर्ड फाउंडेशन में कार्य कर रहे विदेशियों की संख्या हाल ही में अचानक घट गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कारण भारत से वापस गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या फोर्ड फाउंडेशन में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम, अमरीकी समाचार पत्रों अथवा जर्मन जनवादी गणतंत्र की पत्रिकाओं में प्रकाशित उस सूची में हैं जो सी० आई० ए० के प्रसिद्ध व्यक्तियों की मुद्रित सूची है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) दस ।

(ख) छः । इनके नाम संलग्न विवरण I में दिये गये हैं ।

(ग) पिछले कुछ वर्षों में फोर्ड-प्रतिष्ठान अपने काम के तरीकों और संगठन में संशोधन करती रही है । भारत सरकार के साथ सलाह करने के बाद, प्रतिष्ठान ने बताया है कि वह अपनी सहायता, तदर्थ परियोजनाओं अथवा संस्थाओं के बजाय कुछ चुने हुए क्षेत्रों तक ही सीमित रखने को तरजीह देगा । इसके अलावा, भारत में संस्थात्मक सामर्थ्य में भी काफी वृद्धि हुई है और विदेशों से सलाहकार और विशेषज्ञ प्राप्त करने की आवश्यकता में भी तदनुरूप कमी हो गयी है । आत्म-निर्भरता की दिशा में हमने जो प्रगति की है उसके सन्दर्भ में, अत्यावश्यकता की कसौटी को अत्यन्त कड़ाई से लागू करने के बाद ही सहायता स्वीकार को जा रही है। इन परिवर्तनों के कारण फोर्ड प्रतिष्ठान में काम करने वाले विदेशियों की संख्या कम हो गयी है । फोर्ड प्रतिष्ठान में काम करने वाले उन व्यक्तियों के नाम, जो पिछले तीन वर्षों में भारत से चले गये हैं, संलग्न विवरण II में दिये गये हैं ।

(घ) हमें इसकी जानकारी नहीं है ।

विवरण I

उन विदेशियों के नाम जो पिछले तीन वर्षों में भारत में फोर्ड प्रतिष्ठान में काम करने के लिए आये :

1 श्री चार्ल्स आर० बेली
2 श्रीमती कैथरीन ई० क्लार्क
3 डा० जान सी० कूल
4 श्री डेविडसन आर० ग्वाट्किन
5 डा० फ्रैंड हार्वे हेरिंग्टन

6 हेरी ई० विलहेल्म

विवरण II

उन विदेशियों के नाम जो पिछले तीन वर्षों मे भारत में फोर्ड प्रतिष्ठान में अपना काम पूरा करके चले गये :

1 श्री राबर्ट एस० क्वीनर

2 श्री विलियम एस० रीड

3 डा० एडवर्ड ए० कीलोक

4 श्री इम्रान मार्टिन

5 डा० डगलस एन्समिंगर

6 डा० राबर्ट पी० वारल

7 श्री जेम्स क्यू० हेरिसन

8 श्री हेरल्ड हाऊ

9 श्री डोनाल्ड ए० विलियम्स

10 डा० नार्मन सी० डाह्ल

11 डा० मार्टिन ई० एबल

12 डा० राल्फ रेट्जलाफ

13 श्री केविन आर० मेनसेल

14 डा० जेम्स एल० गोड्डार्ड

15 श्री डब्ल्यू० वेस्ली कोक्रेन

उपहार योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का आयात

3548. **श्री राम भगत पासवान** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि सरकारी क्षेत्र के परियोजना तथा उपकरण निगम के माध्यम से उपहार योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का बड़ी संख्या में आयात किया जाए ; और

(ख) यदि हां तो उपहार योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) और (ख)** : ट्रैक्टरों की अपर्याप्त सप्लाई के संदर्भ में, 1968 में एक योजना चालू की गई थी जिसके द्वारा देश में कृष्य भूमि रखने वाले कृषक अपने स्वयं के उपयोग के लिए, विदेशों में रहने वाले अपने निकट सम्बन्धियों से उपहार के रूप में ट्रैक्टर आयात कर सकते हैं। इस समय यह योजना 31-3-1973 तक वैध है।

2. इस योजना के अर्न्तगत, ट्रैक्टरों के आयात के लिए आवेदन पत्र प्रदाता के ऐसे विवरणों सहित दिये जाने चाहिए जो विदेशों में सम्बद्ध भारतीय मिशन द्वारा प्रमाणित किए गए हों। आदाता आवेदक के विवरण, राज्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं। कृषि मंत्रालय की सिफारिशों पर पात्र आदाताओं को ट्रैक्टर आयात करने के लिए सीमा निकासी परमिट प्रदान किए जाते हैं।

3. इस योजना के अर्न्तगत ट्रैक्टरों के केवल निर्दिष्ट माडलों के आयात की अनुमति दी जाती है। ट्रैक्टरों के साथ, सीमा निकासी परमिटों के अंकित मूल्य के 30 प्रतिशत तक कुछ निर्दिष्ट कृषि औजार तथा ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के आयात की भी अनुमति दी जाती है। विदेशों में रहने वाले

भारतीय, और जो भारत लौट रहे हैं, अपने स्वयं के उपयोग के लिए इस योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों का आयात करने के पात्र हैं।

4. सीमा निकासी परमिट इस शर्त के साथ जारी किए जाते हैं कि आयात किए जाने वाले ट्रैक्टरों का उपयोग आवेदक द्वारा कृषि में स्वयं अपने काम में किया जायेगा और वह लाइसेंसिंग प्राधिकारी से लिखित अनुमति किए बिना, किसी भी तरीके से ट्रैक्टर का कोई भी भाग किसी को नहीं सौंपेगा।

5. उपहार योजना के अन्तर्गत, पात्र आवेदकों को ट्रैक्टर सीधे आयात करने के लिये सीमा निकासी परमिट दिए जाते हैं। तथापि उपहार योजना के अन्तर्गत कृषकों के लाभ के लिए भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि० के माध्यम से ट्रैक्टरों के ल्क आयात के प्रबन्ध भी किए गए हैं। पात्र प्रदाता तथा अरक्षताओं इस सुविधा से लाभ उठाना चाहते हैं, वे परियोजना तथा उपस्कर निगम से उनके माध्यम से ट्रैक्टर आयात करने के लिए सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं बशर्ते इस योजना के लिए लागू सभी शर्तों को पूरा करते हों। इस उद्देश्य के लिए भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि० को बल्क सीमा निकासी परमिट पहले ही दे दिया गया है।

तकनीकी क्षेत्रों में भारत-अमरीकी पारस्परिक सहयोग

3549. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी क्षेत्रों सम्बन्धी भारत-अमरीकी पारस्परिक सहयोग अब भविष्य में केवल पांच क्षेत्रों में ही रहेगा;

(ख) यदि हां, तो ये पांच क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(ग) पारस्परिक सहयोग के क्षेत्रों में कमी करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी प्रगति तथा विदेशी सहायता और सहयोग की दिशा में हमारे चयनात्मक दृष्टिकोण के सन्दर्भ में भारत स्थित अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण मिशन के साथ हुई बात-चीत के आधार पर दोनों देश आपस में इस बात पर सहमत हैं कि इस समय भारत को दी जाने वाली द्विपक्षीय अमरीकी तकनीकी सहायता 30 सितम्बर, 1972 के बाद इन क्षेत्रों तक सीमित होगी :

1. कृषि विश्वविद्यालय विकास
2. चावल अनुसंधान और पोषक खाद्य पदार्थ
3. भूमि और जल प्रबन्ध
4. ग्रामीण बिजली सहकारी समितियों का विकास
5. विज्ञान शिक्षा सुधार
6. भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति

इनमें से दो परियोजनाएं निम्नलिखित तारीखों को समाप्त हो जायेंगी :

(i) पोषक खाद्य विकास 31 जनवरी, 1973

(ii) भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति 30 अप्रैल, 1973

शेष परियोजनाओं को, फिलहाल 30 जून, 1973 तक जारी रखने के लिए अनुमति दी गयी है।

Investigation into Charges against Hindi Daily 'Avantika'

3550. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6488 on the 17th May, 1972 regarding Hindi Daily 'Avantika' and state :

(a) the authority which has been asked to conduct investigation into the charges against the daily newspaper for misuse of newsprint along with the date on which the case was handed over to it; and

(b) the time by which the authority would submit its report to Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) The matter is under scrutiny by the Legal Wing of the investigating agency. It is not in the public interest to disclose the name of the investigating agency at this stage. The question of misuse of newsprint by the Hindi Daily "Avantika" was being investigated departmentally. The case was handed over to the appropriate investigating agency on 22-11-72.

(b) As the investigation is still proceeding, it is not possible to indicate at this stage, the time by which the agency will submit its report to the Government.

हिंडलको के एकमात्र विक्रय एजेंट

3551. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिंडलको के पूर्वी क्षेत्र में एकमात्र विक्रेता एजेन्टों, परैषण एजेन्टों तथा स्टाकिस्टों के नाम और पते क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि इन विक्रेता एजेंटों और स्टाकिस्टों के पास गोदाम नहीं हैं और इसके बावजूद वे माल को खेपों के आधार पर अन्तरित करवा लेते हैं जिससे केन्द्र और राज्य सरकारों को लाखों रुपयों के रूप में बिक्री कर की हानि होती है ; और

(ख) क्या सरकार इस आरोप की पूरी जांच करवाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : **(क) से (ग)** : (राज्यीय तथा केन्द्रीय) बिक्री-कर का प्रशासन राज्य सरकारों में निहित है। इस लिए प्रश्न में माँगी गयी सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से मंगवायी गयी है और राज्य सरकार से प्राप्त होते ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

हरियाणा से वापस लिये गये शान्ति स्वयं-सेवकों को अन्य राज्यों में नियुक्त करना

3552. **श्री राजसिंह देव** :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा से हटाये गये शान्ति कोर के स्वयंसेवकों को अन्य राज्यों में काम पर लगाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) तथा (ख)** : अमरीकी शान्ति दल के हरियाणा राज्य से हटाये गए 12 स्वयंसेवकों में से दो स्वयंसेवक राजस्थान सरकार के अनुरोध पर, राजस्थान

राज्य के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। यह निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया गया है जिसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।

कोलम्बो योजना की परामर्शदात्री समिति की बैठक

3553. **श्री पी० वेंकटासुब्बय्या :**
श्री भान सिंह भौंरा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना की परामर्शदात्री समिति की हाल ही में नई दिल्ली में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) उस में क्या निर्णय किये गये थे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) कोलम्बो आयोजना की सलाहकार समिति की बैठकों में अपनायी जाने वाली सामान्य प्रथा के अनुसार, मंत्रियों द्वारा कुछ मुख्य प्रश्न निर्धारित किये गये और उन पर विचार-विमर्श किया गया। वे प्रश्न हैं :

(1) दवाओं के दुरुपयोग के आर्थिक और सामाजिक परिणाम।

(2) कृषि के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और हरित क्रान्ति की दूसरी पीढ़ी की समस्याएं।

(3) जन-शक्ति के उपयोग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग।

(4) विकासशील देशों को ऋण-भार की समस्या जिसमें सहायता की शर्तें और सम्बन्धी समस्याएं भी शामिल हैं।

(ग) कोलम्बो आयोजना की सलाहकार समिति की बैठकें बन्द कमरों में होती इन बैठकों के माध्यम से, मंत्रियों को आर्थिक और विकास सम्बन्धी सामान्य रुचि के मामलों पर विचारों का आदान प्रदान करने और चर्चा करने का मंच उपलब्ध होता है। यह काम अलग अलग सदस्य-सरकारों का है कि वे उठाये गये विभिन्न विषयों पर विचार करें और उनके क्रियान्वयन के बारे में अपनी-अपनी नीतियों और विनियमों के अनुसार अथवा द्विपक्षीय ठहरावों द्वारा फैसले करें।

सलाहकार समिति द्वारा सभी सदस्य-सरकारों पर सामान्य रूप से लागू होने वाले जो मुख्य फैसले किये गये, वे ये हैं :

(1) बंगला देश और फिजी की सरकारों को कोलम्बो आयोजना की सलाहकार समिति का पूर्ण सदस्य बना लिया गया;

(2) समिति ने सिंगापुर में तकनीशन अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एक प्रादेशिक केन्द्र की स्थापना करने का फैसला किया और इसका नाम कोलम्बो आयोजना कर्मचारी तकनीशन शिक्षा विद्यालय (कोलम्बो प्लान स्टाफ कालेज फार टेक्निशन एजुकेशन) रखा;

(3) इसने आगामी वर्ष के लिए कोलम्बो आयोजना के लिए एक औषध सलाहकर की नियुक्ति की;

(4) इसने कोलम्बो आयोजना की सलाहकार समिति की अगली बैठक 1973 में वेलिंग्टन में

करने के लिए न्यूजीलैंड सरकार का आमंत्रण स्वीकार कर लिया; और

(5) इसने स्वीकार किया कि अगली बैठक में चर्चा का विशेष विषय यह होगा संयुक्त उद्यम: आर्थिक विकास में उनकी भूमिका और सहायता कार्यक्रमों से उनका सम्बन्ध।

एक निजी केबल कम्पनी द्वारा पोलीथिलीन पाउडर की बिक्री के सम्बन्ध में कथित घोटाला

3554. **श्री एन० के० पी० साल्वे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 अगस्त, 1972 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि केन्द्रीय जांच ब्यौरा, एक निजी केबल कम्पनी द्वारा 2200 टन पोलीथिलीन पाउडर की बिक्री के सम्बन्ध में लाखों रुपये के घोटाले की जांच कर रहा है; और

(ख) क्या संघ सरकार (गृह मंत्रालय) ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की आपत्तियों को सही न मान कर फर्म को उसे बेचने की अनुमति दे दी है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। दिनांक 20 अगस्त 1972 के इकानामिक टाइम्स में उल्लिखित मात्रा से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह लेख मैसर्स ओरियन्टल पावर केबल कं० के बारे में है, आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी द्वारा आयातित कम घनत्व वाले पोलिथिलीन मोल्डिंग पाउडर की लगभग 2000 मे० टन की अतिरिक्त मात्रा को अन्य वास्तविक प्रयोक्ताओं को आगे दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। इसको वास्तविक प्रयोक्ताओं को दिये जाने के लिए आदेश पूर्णत: "कोई लाभ नहीं" के आधार पर दिया जायेगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरौ ने इस माल के निबटान के सम्बन्ध में कोई मत नहीं दिया था।

एब अन्य फर्म अर्थात् मैसर्स एशियन केबल के सम्बन्ध में, केन्द्रीय जांच ब्यूरौ ने जांच की। आयातित कम घनत्व वाले 980 मे० टन पोलिथिलीन मौल्डिंग पाउडर में से उनके पास 350 मे० टन पाउडर उपलब्ध था। केन्द्रीय जांच ब्यूरौ ने इसके निबटान के सम्बन्ध में अपना कोई मत नहीं व्यक्त किया था। यह सामान अन्य वास्तविक प्रयोक्ता को "कोई लाभ नहीं" आधार पर दे दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

तकनीकी ऋणों के आधार पर विदेशों के साथ करार

3555. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी ऋणों के आधार पर कुछ देशों के साथ भारत सरकार द्वारा किये गये व्यापार करार कौन-कौन से हैं;

(ख) ये नये करार किन किन वस्तुओं के लिये किये गये हैं और 1 जून, 1972 से 31 मार्च 1973 तक की अवधि में भारत द्वारा उन देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है; और

(ग) करारों की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है।

1972-73 में निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य

3556. **श्री पी० गंगा देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय 1972-73 में निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य में वृद्धि करना चाहता है, यदि हाँ, तो कितनी;

(ख) गत तीन वर्षों में वृद्धि की औसत दर क्या रही; और

(ग) क्या निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य में गत वर्ष बहुत कम वृद्धि हुई और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष 1972-73 के लिए मंत्रालय ने 1760 करोड़ रु० का लक्ष्य (जैसा कि चतुथ योजना के मध्यावधि पुनरावलोकन में दिया गया है) प्राप्त कर लिया है। इसका अर्थ होगा 1971-72 की तुलना में 9.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि।

(ख) चतुर्थ योजना के पहले तीन वर्षों में हमारे निर्यातों की वृद्धि की औसत दर 5·8 प्रतिशत प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि दर के आस-पास आती है।

(ग) वर्ष 1971-72 के दौरान हमारे निर्यातों के सम्बन्ध में वृद्धि की दर 4.6 प्रतिशत थी। हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारणों में मुख्य ये हैं (1) निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक कुछ मूलभूत कच्चे माल (इस्पात, अलौह धातुएं, रुई आदि) की आन्तरिक सप्लाई की लगातार कमियां (2) भारत-पाक युद्ध के कारण परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां तथा पोत लदान में विघटन, (3) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट जिससे विदेशी व्यापार की अनिश्चितताएं बढ़ गई, (4) विश्व इस्पात उद्योग में मंदी जिससे लौह अयस्क, फैरो-मैंगनीज आदि के निर्यात पर प्रभाव पड़ा (5) कुछ विकसित देशों द्वारा अपनाई गई निर्बन्धात्मक व्यापार नीतियां तथा (6) जहाजों में जगह की कमी तथा भाड़ा दरों में वृद्धि।

राज्य व्यापार निगम में प्रबन्धकों तथा निदेशकों के रिक्त पद

3557. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम में प्रबन्धकों तथा निदेशकों के कितने पद रिक्त हुए हैं; और

(ख) प्रत्येक पद कितने समय तक रिक्त रहा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम में कोई प्रबंधकीय पद खाली नहीं था। जहां तक निगम में पूर्णकालिक निदेशकों के पदों का संबंध है, 1969–70 और 1970–71 में कोई जगह खाली नहीं हुई। तथापि निदेशक की एक जगह 1 सितम्बर, 1971 को खाली हुई और उसे 6 मई, 1972 को भर लिया गया।

Failure to Achieve Export Target

3558. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the country has failed to achieve the targets regarding exports to foreign countries during the last two years ;

(b) if so, the targets fixed for the increase of exports during the last two years and the degree of success achieved in this regard ; and

(c) the reasons for the failure in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (**Shri A. C. George**) : **(a) & (b)** : India's exports including re-exports increased by 8 6% in 1970-71 and by 4.6% in 19 1-72.

Thus the growth rate of our exports for the last two years works out at an annual average of 6.6% against the Fourth Plan target of 7% annual rate of growth.

(c) India's exports suffered because of a number of adverse factors, both Internal and external. These included mainly : (i) continuing shortages of domestic supply of certain basic raw materials (steel, non-ferrous metals, cotton etc.) needed by export production, (ii) Transport bottlenecks and dislocation in shipments due to Indo-Pak hostilities, (iii) the Internation monetary crisis which added to the uncertanties of foreign trade, (iv) recessions in world steel industry which affected export of iron ore, ferro-manganese etc. (v) restrictive trade policies pursued by certain developed countries and (vi) inadequate shipping space and increasing freight rates.

पांचवी योजना में निर्यात बढ़ाने के लिए कार्यवाही

3559. **श्री सरजू पांडे** : : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता में भारी कटौती करने तथा पांचवीं योजना के अन्त तक इसे पूरी तरह समाप्त करने के निर्णय से पाँचवीं योजना के दौरान देश के निर्यात में तेजी से तथा अत्यधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी पांच वर्षों में देश के निर्यात प्रयासों को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) पांचवीं योजना अवधि में निर्यात से होने वाली आय के बारे में क्या अनुमान है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) से (ग)** : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् 1978–79 तक शून्य निवल रियायती सहायता के रूप में आत्मनिर्भरता की नीति और भुगतान संतुलन (निर्यातों सहित) से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए जितने तथा जिस तरह के प्रयत्नों की आवश्यकता है, उनको सावधानी पूर्वक तैयार करने की आवश्यकता होगी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रखे जाने वाले उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम तथा नीतियां विचाराधीन हैं तथा इस विषय पर योजना आयोग के दृष्टिकोण दस्तावेज को जब अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तब उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

Production and Consumption of Opium in India

3560. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The annual production of opium in India ;

(b) the quantity of opium exported to foreign countries annually and the quantity of opium consumed in India itself ; and

(c) The annual quantity used in medicinal preparations in India and the quantity consumed in India as intoxicant ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The quantity of opium produced in this country during the last three years is as under :

Year	Quantity of opium produced at 90° consistence (Kgs.)
1969	868,248
1970	793,883
1971	882,512

(Figures for the year 1972 are still in the process of accountal).

(b) and (c) : The statistics of the quantity of opium exported to foreign countries for medical and scientific purposes and that consumed in India for supply to registered opium

addicts for medical purposes as well as for the manufacture of opium alkaloids and for use in hospitals etc. in this country during the last three years are given below :

Year	Quantity of opium exported at 90° consistence	Quantity of opium issued for supply to opium addicts at 90° consistence	Quantity of opium used for the manufacture of opium alkaloids and in hospitals at 90° consistence
	(Kgs.)	(Kgs.)	(Kgs.)
1969	662,658	3,101	63,996
1970	8 8,668	2,315	55,271
1971	893,806	?,523	58,119

भारत में युवकों द्वारा अफीम का प्रयोग

3561. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की सूचना मिली है कि आजकल युवक अफीम के आदी होते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो युवकों में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं। कुछ इक्के-दुक्के मामलों को छोड़कर अफीम का व्यसन सामान्यतः वृद्ध व्यक्तियों तक ही समिति जान पड़ता है। किन्तु गांजा तथा चरस और ऐम्फेट-एमाइन्स; बार्बिचुरेट्स आदि जैसे अन्य औषधि द्रव्यों के दुरुपयोग की ओर कुछ युवकों की प्रवृत्ति पर सरकार का ध्यान गया है।

(ख) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार दोनों की संबंधित प्रवर्तन एजेंसियां, उदाहरणार्थ राज्य आबकारी विभाग, पुलिस, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सीमा-सुरक्षा दल, रेलवे सुरक्षा दल, सभी अपने अपने कर्त्तव्यों का पालन करते समय मादक तथा अन्य औषधीय-द्रव्यों के अवैध-व्यापार को खत्म करने में लगे हुए हैं। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार, दोनों के औषधीय-द्रव्य नियंत्रण प्राधिकारी भी सतर्कता रखते हैं और इन औषधीय-द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निवारक उपाय करते हैं। भारत के नार्कोटिक्स आयुक्त के अधीन केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो, समन्वयकारी अभिकरण के रूप में कार्य करता है।

अफीम, गाँजा तथा चरस जैसे मादक-पदार्थों एवं अन्य औषधीय-द्रव्यों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय भी किये हैं :

(i) गैर-डाक्टरी प्रयोजनों के लिए अफीम के उपभोग पर 1 अप्रैल, 1959 से इस देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है; उस तारीख के बाद अफीम के रजिस्टर्ड व्यसनियों को डाक्टरी आधार पर अफीम की सप्लाई की जाती है।

(ii) भारत में काफी लम्बे अरसे से (25 वर्ष से अधिक समय से) चरस के उत्पादन तथा उपभोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(iii) बिहार, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश को छोड़कर, सभी राज्यों में गैर-डाक्टरी प्रयोजनों के लिए गांजे के उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(iv) अन्य औषधीय-द्रव्यों अर्थात् बार्बिचुरेट्स, ऐम्फेटएमाइन्स आदि के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक समझौता किया गया है। इन औषधीय-द्रव्यों के आयात, विनिमय तथा वितरण पर अस्थायी नियंत्रण रखने के बारे में विचार किया जा रहा है।

रबड़ बागान के लिए केरल को केन्द्रीय सहायता

3562. **श्री वरके जार्ज** : क्या :**विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान निगम द्वारा रबड़ बागान के लिए केरल राज्य सरकार को अतिरिक्त सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रति एकड़ 3,000 रु० की दर से 4.5 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था करते हुए 75,000 एकड़ भूमि में रबड़ रोपण के लिए केरल सरकार को ऋण सहायता (100 प्रतिशत) प्रदान करने संबंधी केन्द्र की ओर से प्रायोजित एक योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी। 4.5 करोड़ रुपये की पूरी धनराशि राज्य सरकार को दे दी गई है। चौथी योजना अवधि से वह योजना राज्य क्षेत्र को अन्तरित हो गई है और अब यह केरल सरकार का काम है कि वह अपने कोष में से आवश्यक धनराशियां उपलब्ध करे।

विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि मंडल

3563. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के पहले 8 महीनों में विभिन्न देशों को कितने सरकारी तथा अर्ध-सरकारी प्रतिनिधि-मंडल भेजे गये और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल पर कितनी धन-राशि खर्च हुई; और

(ग) उपरोक्त देशों में इन प्रतिनिधि-मंडलों का क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : **(क) से (ग)** : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

कपास के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देना सुनिश्चित करना

3564. **श्री बी० पी० साठे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में पैदा की जाने वाली कपास की विभिन्न बढ़िया किस्मों के लिए निश्चित लाभप्रद मूल्यों की सिफारिश करने का कार्य कृषि मूल्य आयोग को सौंपा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कपास के मूल्यों में मंदी की प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) और (ख)** : कृषि मूल्य आयोग को जो कार्य सौंपा गया है, वह संक्षेप में यह है कि वह कुछ कृष्य वस्तुओं के संबंध में, जिनमें रुई भी शामिल है, मूल्य नीति के विषय में सरकार को सलाह दे ताकि अर्थ-व्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के स्वरूप में एक संतुलित तथा समन्वित मूल्य नीति बनाई जा सके और साथ ही उपजकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं के हित को भी समुचित रूप से ध्यान में रखा जा सके। मूल्य नीति तथा मूल्य ढांचे के विषय में सिफारिश करते समय अन्य बातों के साथ साथ, आयोग, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख सकता है :

(1) सुधरी हुई प्रौद्योगिकी अपनाने तथा अधिकतम उत्पादन करने हेतु उपजकर्ताओं को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता;

(2) भूमि का उत्पादन सम्बन्धी अन्य स्रोतों का सुव्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता;

(3) शेष अर्थव्यवस्था, विशेषतः निर्वाह खर्च, मजदूरी का स्तर, औद्योगिक लागत ढाँचे आदि पर मूल्य नीतियों का संभावित प्रभाव ।

रुई के मूल्यों को स्थिर करने हेतु निम्नलिखित उपाय करने का विचार है :

(1) कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में रुई के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये जा रहे हैं ।

(2) भारतीय रुई निगम वाणिज्यिक आधार पर रुई की खरीद करेगा ।

(3) रुई के संबंध में स्टाक सीमा को समाप्त कर दिया गया है ।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने रुई ऋण नीति की घोषणा की है जिसमें कुछ दिशाओं में उदारता बरती गयी है ।

भारतीय निवेश केन्द्र (इण्डियन इन्वेस्टमेंट सेंटर) में प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी

3565. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर में इस समय कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और प्रत्येक अधिकारी कितने समय से वहाँ प्रतिनियुक्ति पर है;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिए 4 वर्ष की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के बावजूद, उक्त सेन्टर में प्रति नियुक्त अधिकारियों को अनिश्चित काल के लिए वहाँ रखा जा रहा है; और उनमें से कुछ को कार्मिक विभाग की पूर्व अनुमति के बिना पुनः नियोजित भी किया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को जो इण्डियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर के न्यूयार्क कार्यालय के रेजीडेंट निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था, अपने संवर्ग के वेतन के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति भत्ता देने की अनुमति दी गई थी जोकि साधारणतया नहीं ले सकते; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) से (ग)** : भारतीय निवेश केन्द्र में इस समय 21 सरकारी अधिकारी प्रतिनियुक्त हैं जिनमें से अधिकारी 4 वर्ष के अधिक समय से प्रतिनियुक्त हैं। इन चार अधिकारियों में से दो अधिकारी ऐसे हैं जिनका स्थायी रूप में निवेश केन्द्र की सेवा में रख लिया जाना सक्षर प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें वहां खपा लेने के बारे में शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। एक अन्य अधिकारी को शीघ्र ही उसके मूल विभाग में वापस भेजा जा रहा है । जहां तक शेष एक अधिकारी का सम्बन्ध है, उसका मूल विभाग इस बात पर सहमत हो गया है कि वह प्रतिनियुक्ति की 4 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के बारे बाद एक और वर्ष तक केन्द्र में काम कर सकता है और यह मामला अब सरकार के विचाराधीन है ।

वर्तमान कार्यकारी निदेशक भारतीय निवेश केन्द्र में 18 मार्च 1970 से प्रतिनियुक्त हैं और वे 3 दिसम्बर 1972 से केन्द्रीय सरकार की सेवा से निवृत हो गये। निवेश केन्द्र ने उन्हें उसी तारीख से 2 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त कर लिया है जिसके लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करना

आवश्यक नहीं था। ।

(घ) और (ङ) : भारतीय शासन सेवा (आई० ए० एस०) के उस अधिकारी को, जिसकी नियुक्ति 1966 में भारतीय निवेश केन्द्र के न्यूयार्क कार्यालय में उप निवासी निदेशक के रूप में की गयी थी, न्यूयार्क के लिए प्रस्थान करने से पूर्व, लगभग 6 सप्ताह की अवधि के लिए नई दिल्ली के मुख्य कार्यालय में ठहरने को कहा गया था ताकि वह केन्द्र की कार्यप्रणाली से परिचित हो सके। इस अवधि में उसे 300 रुपये मासिक के विशेष वेतन सहित वही वेतन तथा भत्ते दिये गये जो उसने उद्योग मंत्रालय में उप-सचिव के पद पर रखते हुये अन्तिम वेतन और भत्तों के रूप में प्राप्त किये थे। कार्यालय में काम करने की अवधि के लिए उस अधिकारी को विशेष वेतन के रूप में लगभग 400 रुपया अदा किया गया। पता लगा है कि यह रकम उस अधिकारी के लिए आग्रह्य थी और इसलिए उक्त अधिकारी से यह रकम वापस माँगी गई है।

नारियल जटा उद्योग के पुनर्गठन के बारे में केरल को भेजा गया अध्ययन दल

3566. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में नारियल जटा उद्योग सम्बन्धी अध्ययन करने और विशेषकर सहकारी क्षेत्र में इसके पुनर्गठन के उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग ने केरल में एक दल भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उस दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सम्पूर्ण कयर उद्योग के लिये एक विकास कार्यक्रम तैयार करने के प्रयोजनार्थ केरल राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी स्कीम पर विचार करने के लिए जुलाई, 1969 में योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन दल स्थापित किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) अध्ययन दल ने राज्य सरकार की स्कीम के लिए 6.99 करोड़ रु० की संभावित वित्तीय आवश्यकताओं का फिर से आकलन किया और शेयर पूंजी में भागीदारी द्वारा और ऋण देकर, सहकारी क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए चतुर्थ योजना अवधि के दौरान राज्य योजना में 3.54 करोड़ रु० की व्यवस्था करने की सिफारिश की है। कार्यकारी पूंजी सम्बन्धी वित्तीय आवश्यकताएं संस्थागत वित्त व्यवस्था से पूरी की जानी थी। इसने उत्पाद विकास और विविधीकरण के लिए कयर बोर्ड द्वारा गवेषणा तथा प्रशिक्षण का विस्तार करने की सिफारिश की। अध्ययन दल ने कयर तथा कयर उत्पादों के लिए आन्तरिक बाजार बढ़ाने के प्रयोजनार्थ और अधिक प्रदर्शन कक्षों तथा बिक्री भण्डार खोलने, कच्ची तथा गली कीलन की कीमतें नियंत्रित करने और तैयार उत्पादों पर से बिक्री कर हटा देने की भी सिफारिश की। निर्यातों में वृद्धि करने के लिए इसकी सिफारिशें ये थीं : रेशे पर से निर्यात शुल्क का हटाया जाना, सूत पर शुल्क का कम किया जाना, क्वालिटी नियंत्रण और लदानपूर्व निरीक्षण सभी कयर उत्पादों के सम्बन्ध में लागू किया जाना, क्रील किस्म चटाइयों का यंत्रीकरण और नये बाजारों की तलाश। कयर बोर्ड के सगठन और प्रशासन के सम्बन्ध में भी सिफारिशें की गयी थी।

Orders for Railway Wagons placed with Foreign Countries

3567. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of orders placed with the Government by foreign countries for the supply of Railway wagons during 1971—72 ;

(b) the number of orders in respect of which supply has been made and the number of those in respect of which supply has not been made ; and

(c) the reasons for which supply has not been made so far and the time by which supply would be made?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George): (a) Nil, Sir.

(b) & (c): Do not arise.

पारादीप (उड़ीसा) में तूफान की पूर्व सूचना देने के लिये अधिक शक्तिशाली राडार यूनिट

3568. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के समुद्री तट क्षेत्र में तूफान की पूर्व सूचना प्रणाली में सुधार करने के लिये पारादीप में शक्तिशाली राडार यूनिट स्थापित करने के बारे में सरकार ने निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति की गई है तथा यह यूनिट कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगी ; और

(ग) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) उपस्कर के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। राडार जिस भवन में स्थापित होगा, उसका निर्माण हो रहा है तथा उसके फरवरी के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है। राडार स्टेशन का परिचालन मार्च, 1973 के अन्त तक प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

(ग) लगभग 16.20 लाख रुपये।

समाजवादी देशों को वैगनों का निर्यात

3569. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाजवादी देशों को वैगन निर्यात किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या 1972 में कुछ देशों के साथ नए करार किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे देश कौन कौन से हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) हंगरी, पोलैंड तथा यूगोस्लाविया को वैगनों का निर्यात किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई क्षेत्र में ऊन उद्योग में हड़ताल

3570. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई क्षेत्र में 22 मिलों में से 21 मिलों में अनिश्चित काल तक हड़ताल होने के कारण भारतीय ऊन उद्योग की स्थिति डावांडोल हैं ;

(ख) क्या इन मिलों के श्रमिक 11 अक्तूबर, 1972 से हड़ताल पर हैं ; और

(ग) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण हैं और क्या 13 नवम्बर तक उद्योग को तीन करोड़ रुपयों का घाटा हो चुका है तथा उनमें 15 करोड़ रुपयों के मूल्य का तैयार माल जमा पड़ा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बम्बई क्षेत्र में 21 ऊनी मिलों में हड़ताल इस बीच समाप्त हो गई है। तथापि, क्योंकि हड़ताल मौसम में हुई थी अतः इन एककों को काफी हानि हुई है तथा ऊनी वस्त्रों के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी हां।

(ग) वेतन वृद्धि, बोनस, छुट्टी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित अपनी माँगों को मनवाने के लिए श्रमिकों ने हड़ताल की थी। इंडियन वूलन मिल्स फैडरेशन के अनुमान के अनुमार हड़ताल से प्रभावित 21 मिलों को 3 करोड़ रु० का घाटा हुआ तथा उनमें 15 करोड़ रुपये के मूल्य का तैयार माल जमा हो गया।

Export of Indian Films by S.T.C.

3571. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Foreign rade** be pleased to state :

(a) whether t' e State Trac'ing Corporation has taken a decision to export Indian films ; and

(b) if so, the names of Indian films proposed to be exported during the current year and during the next two years indicating the names of the countries to which these will be exported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A.C. George) : (a) & (b) : Export of films has been canalised through State Trading Corporation with effect from 1-11-72 and that organisation will work out plans for promoting exports of Indian films to foreign countries.

Financial Assistance to Educated Unemployed and Engineers By Nationalised Banks

572. **Shri Hari Singh** :
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the nationalised banks have formulated any scheme to provide financial assistance to educated unemployed and Engineers; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Shushila Rohatgi) : (a) & (b) : The public sector banks have formulated various schemes under which the educated unemployed persons, including the engineers can avail of credit facilities provided they have viable proposals. The salient features of the schemes vary to some extent from Bank to Bank. Generally while entertaining such proposals due weightage is given by the banks to the applicant's technical qualifications and other characteristics of a non-financial nature. The assistance is estimated on a need-based approach and as far as possible it is ensured that applicants are not denied credit merely for want of a third party guarantee provided the quality of the applicants is otherwise satisfactory.

बैंकों में डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि

3573. **श्री वीरेन्द्रसिंह राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गत दो वर्षों से बैंकों में डकैतियों की घटनायें बढ़ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में बैंक डकैतियों की कितनी घटनायें हुई ;

(ग) इस प्रकार की डकैतियों की घटनायें किन-किन शहरों में हुई ; और

(घ) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) : चूंकि बैंक डकैतियों सहित सभी दण्डनीय अपराधों का सम्बन्ध कानून और व्यवस्था से है, जो विषय राज्यों के लिये आरक्षित हैं, अतः भारत सरकार इस विषय की पूर्ण सूचना अपने पास नहीं रखती। फिर भी, 1-6-1971 से 31-8-1972 तक की अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैती और बैंक का कारोबार रोक लूटने के दो मामले हुए हैं, एक 24 परगना स्थित खरदा शाखा में तथा एक रांची के निकट मैसरा शाखा में।

चूंकि यह संख्या बहुत कम है इसलिये भारत में बैंक डकैतियों की संख्या के सम्बन्ध में किसी प्रवृत्ति का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

सरकारी अधिकार में लिए गए मिलों के लिए केन्द्रीय संगठन

3574. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई ऐसा केन्द्रीय संगठन बनाने का है जो सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई संकटग्रस्त मिलों पर ही पूर्ण ध्यान देगा ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : राष्ट्रीय वस्त्र निगम सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में लिए गए संकट ग्रस्त वस्त्र एककों की देखभाल करने के लिए 1968 में स्थापित किया गया था। अतः इसी कार्य के लिए एक नये संगठन की स्थापना करने का प्रश्न नहीं उठता।

पी० एल० 480 निधियों के प्रयोग पर नियन्त्रण

3575. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी मिशन द्वारा भारत में पी० एल० 480 की विपुल निधि के प्रयोग किये जाने पर सरकार का कोई नियन्त्रण है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इनके कुछ लेखाबाह्य प्रयोजनों हेतु प्रयोग किये जाने की आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो भारत में निधि के उपयोग की जांच के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : पी० एल० 480 की राशियां भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध होती है। जिन प्रयोजनों के लिए ये राशियां उपयोग की जाती हैं उनका ब्यौरा अमरीकी पब्लिक ला 480 की धारा 104 में दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3951/72**] भारत के साथ किए गए करारों के अन्तर्गत उन प्रयोजनों के उपयोग के लिए अनुमति नहीं दी गयी है जिनका ब्यौरा उक्त धारा की उपधारा (ग) में दिया गया है।

प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में अमरीकी दूतावास के साथ उसके अनुमानित व्यय का पता लगाने के लिए जिसमें उनके राज दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास के कार्यकलापों का व्यय शामिल है, परामर्श किया जाता है अनुसंधान सम्बन्धी अनुदानों, तकनीकी सहायता और अन्य ऐसे कार्यक्रमों के लिए पी० एल० 480 की राशियों से किया जाने वाला व्यय संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत सरकार के परामर्श के साथ प्राधिकृत किया जाता है। सरकार के पास ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि यह रुपया पी० एल० 480 और अमेरिका के साथ किए गए हमारे करारों के क्षेत्र से बाहर के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका की निधियां मुख्यत: भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत सरकार की प्रतिभूतियों के रूप में रखी जाती हैं। संयुक्त राज्य अमरीका का राजदूतावास समय-समय पर अपने व्यय से सम्बद्ध में सूचना भेजता रहता है और इस सम्बन्ध में और कदम उठाने का कोई विचार नहीं है।

काश्मीर में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए रेशम बोर्ड

3576. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर सरकार ने उस राज्य में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए रेशम बोर्ड की स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली में अनियमिततायें

3577. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउंसिल आफ एपलाईड एकनामिक रिसर्च एम्पालाईज यूनियन (रजिस्टर्ड) ने 4 मार्च, 1972 को प्रधान मंत्री के नाम एक ज्ञापन में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली में हुई अनेक गम्भीर अनियमितताओं की ओर उनका ध्यान दिलाया है;

(ख) क्या कर्मचारी संघ ने उक्त ज्ञापन में मांग की है कि आरोपों की केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच कराई जाए; और

(ग) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन का सारांश क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ज्ञापन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे :

(i) परिषद् द्वारा हाथ में ली गयी परियोजनाओं की लागत का अनुचित रूप से आंका जाना,

(ii) महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में "गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं" का उल्लेख किया गया है,

(iii) परिषद की इमारत की पांचवीं मंजिल के निर्माण के मामले में गबन के आरोप लगाये गये थे,

(iv) संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को पंच कार्डों (संक्षिप्त आंकड़े) का दिया जाना,

(v) कुछ कर्मचारियों की अपेक्षाकृत ऊंची अर्हताओं की उपेक्षा करके, कुछ अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना,

(vi) भर्ती पदोन्नति, आदि के मामलों में पक्षपात,

(vii) श्रम कानूनों का पालन न किया जाना, यूनियन की कार्रवाइयों में भाग लेने पर कर्मचारियों को तंग किया जाना, आदि ।

लेकिन जांच किए जाने पर यह देखा गया कि ये आरोप तथ्यों से मेल नहीं खाते और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) द्वारा जांच किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि इस बीच परिषद का अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से समझौता हो गया है और वह कर्मचारियों की आवश्यकताओं और उनके वेतन-ढांचे की जांच करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र की स्थापना कर रही है ।

लम्बे रेशे वाली कपास का आयात

3578. **श्री बसंत साठे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 और 1971–72 में लम्बे रेशे वाली कपास की कितनी गांठें आयात की गई और किस दर पर तथा इनके लिये कुल कितना मूल्य दिया गया;

(ख) इनसे कितना कपड़ा तैयार किया गया और उसका मूल्य क्या है;

(ग) कितना और कितने मूल्य का कपड़ा निर्यात किया गया और आयातित कपास और देशीय कपास से बनाये गये कपड़े/सूत के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आई हुई; और

(घ) लम्बे रेशे की कपास में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से इसका आयात करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) से (घ)** : वर्ष 1970-71 और 1971-72 में क्रमशः 2710 रुपये प्रति कैंडी की औसत दर से 99 करोड़ रुपये के मूल्य की लम्बे रेशे वाली रुई की लगभग 835086 गांठ और :050 रुपये प्रति कैंडी की औसत दर से 94 करोड़ रुपये मूल्य की लम्बे रेशे वाली रुई की 630673 गाँठें आयात की गई ।

आयातित रुई का उपयोग फाइन तथा सुपर फाइन किस्मों के धागे तथा कपड़े में ही हमेशा अनन्य रूप से नहीं बल्कि स्वदेशी रुई के मिश्रण में भी किया जाता है । जबकि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में फाइन तथा सुपर फाइन किस्मों का बल्कि उत्पादन होता है, मिल क्षेत्र में फाइन तथा सुपर फाइन किस्मों का केवल लगभग 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक उत्पादन होता है । विदेशी रुई से बने धागे/कपड़े के उत्पादन तथा निर्यात के बारे में सही जानकारी देना कठिन है । तथापि मोटे अनुमान के आधार पर जानकारी नीचे दी गई है :

(1) 1970 तथा 1971 को मिलाकर इन वर्षों के दौरान आयातित रुई से लगभग 332.7 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार किया गया था । इस उत्पादन का मूल्य बताना संभव नहीं है ।

(2) 1970 और 1971 के दो वर्षों के दौरान विदेशी रुई/स्वदेशी रूई से विनिर्मित माल

का निम्नलिखित मात्राओं में निर्यात किया गया :

	वस्त्र (दस लाख मीटर)	सूत (दस लाख किग्रा)
विदेशी रुई	188.38	7.08
स्वदेशी रुई	887.60	35.76

लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बाई वाले रेशे की रूई के आयात को कम करने के लिए किये जा रहे उपाय ये हैं :

(1) अतिरिक्त लम्बाई वाले रेशे की सुजाता, सुविन आदि जैसी किस्मों के स्वदेशी उत्पादन का विकास;

(2) रूई की एम० सी० यू० 5 जैसी लम्बे रेशे और उच्च लाभ देने वाली किस्मों का विकास;

(3) कम अवधि तथा घनी किस्मों का विकास;

(4) नयी और कुशल मिश्रित फसल और अन्तः फसल प्रणाली का विकास;

(5) एकीकृत रोग तथा कीटाणु नियंत्रण कार्यक्रमों का विकास;

(6) फसलोपरान्त प्रोद्योगिकी में सुधार।

सरकारी उपक्रमों में उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गये उपाय

3579. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उपक्रमों में उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : **(क) और (ख)** : सरकारी उद्यमों के कार्य में उच्चतर स्तर प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिये उन के उत्पादन पर सरकार लगातार निगरानी रखती है। इसके परिणामस्वरूप इस सम्बन्ध में उठाये गये कदम निम्नलिखित हैं :

(i) उपकरणों की मरम्मत करने के समय में कमी करने के लिये बढ़िया अनुरक्षण संगठन और प्रणालियां;

(ii) उत्पादन आयोजन और नियन्त्रण, कर्मचारी प्रबन्ध, सामग्री, प्रबन्ध, औद्योगिक इंजीनियरी आदि में सुधार;

(iii) प्रेरण शक्ति में सुधार करने के लिये प्रोत्साहक योजनाएं लागू करना;

(iv) अनुसंधान और विकास कार्य पर अधिक जोर देना तथा अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों का उत्पादन के साथ बेहतर एकीकरण;

(v) बिढ़िया प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य और अधिक उत्पादकता के लिये सभी स्तरों पर प्रशिक्षण

(vi) जहां कहीं मांग अपर्याप्त रही है: विविधिकरण और अधिक निर्यात प्रयात शुरू किये गये हैं; और

(vii) जहां पर भी आवश्यक हो कच्चे माल और मशीनों के हिस्सों का आयात करना।

कार्यचालन में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में, उद्यमों के कार्य की जांच करने तथा उद्यमों एवं अन्य सरकारी अभिकरणों द्वारा संगठनात्मक ढाँचे, प्रौद्योगिकी कर्मचारियों और औद्योगिक सम्बन्ध नीति, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास आदि के क्षेत्र में कार्यवाही शुरू करने के लिये, सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में, योजना अयाआयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में कार्यवाही समिति स्थापित की है।

Steps to increase Foreign Exchange Earnings

3580. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have taken some special steps to earn foreign exchange for the fulfilment of the requirements of the current Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, what are those steps ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b) : No special steps have been taken other than those already announced by the Government within the framework of policy concerning exports and invisibles.

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी में कमी

3581. **श्री के० बालदंडायुतम :**

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा एकत्र की जाने वाली पूंजी में गत कुछ वर्षों में बराबर कमी हुई है क्योंकि सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन्हें दी जानी वाली सहायता में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों को दी जाने वाली सहायता में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को धनराशि दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवतराव चव्हाण) : (क) से (ग) : सभी गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय कम्पनियों द्वारा पिछले चार वर्षों 1968–69, 1969–70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान विवरणियों के माध्यम से जारी किये गये पूंजी निर्गमों की राशि क्रमश: 47 करोड़, 58.7 करोड़, 42.7 करोड़ और 54.8 करोड़ रुपया थी। सभी सांवैधिक वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा अपनी सहायता-प्रदत्त कम्पनियों को भुगतान की गयी सहायता पूर्वोक्त चार वर्षों के दौरान क्रमश: 85 करोड़, 111 करोड़, 133 करोड़ और 162 करोड़ रुपया थी। सहायता प्राप्त कम्पनियों द्वारा विवरणियों के माध्यम से जुटायी गयी पूंजी के आंकड़े अलग से तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

अभ्रक के निर्यात के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम का जर्मन जनवादी गणतंत्र के साथ हुआ करार

3582. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अभ्रक के निर्यात के लिए जर्मन जनवादी गणतन्त्र के साथ कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) संविदा के अन्तर्गत 1973 से शुरू होकर तीन वर्ष की अवधि में लगभग 3425 मे० टन अभ्रक ब्लाक्स, अभ्रक स्पलिटिंग्स और अभ्रक स्क्रैप के निर्यात की व्यवस्था है। अभ्रक की कीमतों व विशिष्टियों के बारे में हर वर्ष वार्ता करने की व्यवस्था है और भुगतान भारतीय रूपयों में दिये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 1973 के लिए 1 करोड़ रु० मूल्य के अभ्रक की बिक्री के लिए संविदा की गयी है।

Foreign Exchange earnings from Exports of Tea

358?. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the total quantity of tea exported from India to foreign countries since January, 1971 to date and the amount of foreign exchange earned thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : A total quantity of 3*76.13 million kgs. of tea valued at Rs. 2*84.51 crores was exported from India since 1st January, 1971 till 31st October, 1972.

*The figures are provisional and subject to revision.

हार्ड कोक के उत्पोत्पाद का निर्यात बंद करने के लिए अभ्यावेदन

3584. **श्री रामभगत पस्वान** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हार्ड कोक के सीमित भंडार को ध्यान में रखते हुए इसके उत्पोत्पाद के निर्यात को बंद करने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

गोआ से खनिज पदार्थों का निर्यात

3585. **श्री मूल चंद डागा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ की खानों से निकाले गये संपूर्ण खनिज पदार्थों का निर्यात नहीं हो रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात संबंधी बाधाओं को कब तक दूर कर दिया जाएगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : खानों से निकाला गया संपूर्ण अयस्क निर्यात आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। केवल निर्यात योग्य ग्रेडों के अयस्क का, जिसकी विदेशी क्रेताओं द्वारा मांग की जाती है, निर्यात किया जा सकता है और निर्यात किया जा रहा है। लौह अयस्क के निर्यातों में निरन्तर वृद्धि के लिए आधारभूत अवस्थापना को सुदृढ़ करने के उपाय किये जा रहे हैं किन्तु कई परियोजनाएं पूरी की जानी हैं।

1973–75 में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार करार के लिए प्रस्ताव

3586. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973–75 के वर्षों के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार करार के लिए कोई नया प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) तथा (ख)** : भारत और

ब्रिटेन के बीच यूरोपीय आर्थिक समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश से उत्पन्न होनी वाली व्यापार संबन्धी कठिनाइयों के बारे में दोनों सरकारें विचार कर रही हैं।

500 से अधिक अंश-धारियों वाली कोयला खनन कम्पनियाँ

3587. **श्री रणबहादुर सिंह :**

श्री वरके जार्ज :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्य-वार, ऐसी कोयला खनन कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनके अंशधारियों की संख्या 500 से अधिक है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : सूचना एकत्रित की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

भारत और स्वीडन के बीच ऋणों के लिए करार

3588. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋणों के लिए भारत और स्वीडन के बीच एक करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऋणों का पूर्ण विवरण क्या है तथा उनके कब तक मिल जाने की आशा है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) 11 नवम्बर, 1972 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित 'विकास सहयोग करार 1972' के अन्तर्गत स्वीडन की सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए 25.5 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (38.55 करोड़ रुपये) की सहायता दी है।

2. स्वीडन द्वारा दी गयी यह सहायता तीन खंडों अर्थात् वित्तीय साधन ऋण, वस्तु अनुदान तथा तकनीकी सहायता में विभाजित है। प्रथम खण्ड, कच्चे माल, संघटक, फालतू पुर्जे, पूंजीगत उपकरण आदि का आयात-करने के लिए है। वस्तु अनुदान, कुछ स्वीडिश मूल्य की वस्तुओं के आयात के लिए है। तीसरा खण्ड, कुछ परस्पर सहमत तकनीकी सहायता योजनाओं के समर्थन के लिए है जिनमें परिवार नियोजन कार्यक्रम, अनाज संग्रहण परियोजना आदि शामिल हैं। इन तीनों खण्डों में से वित्तीय साधन ऋण के लिए निर्धारित राशि माल की प्राप्ति के स्रोत से मुक्त है। यह ऋण स्वीडन द्वारा इस समय भारत को दिए जाने वाले ऋणों की उदार शर्तों के अनुसार दिया गया है अर्थात् ऋण की वापसी की अवधि 50 वर्ष है जिसमें 10 वर्षों की रियायती अवधि शामिल है। यह सम्पूर्ण ऋण ब्याज मुक्त है और इस पर 3/4 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लगता है। वस्तुओं के आयात और तकनीकी सहायता योजनाओं के लिए निर्धारित राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों का आरक्षण

3589. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ प्रतिशत पदों का आरक्षण करने के बारे में सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्देश कब तक लागू रहेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार ने, जनवरी, 1972 में, भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों के लिये वर्ग III और IV में पदों के आरक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों को आदेश दे दिये हैं। ये आदेश अनिवार्य हैं। इस सम्बन्ध में औपचारिक निर्देश जारी किये जा चुके हैं और जहां, सरकार द्वारा ऐसे आदेश जारी करने के लिये निगम की अन्तर्नियमावली अथवा परिनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है वहां निगम अपनी अन्तर्नियमावली अथवा परिनियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए आदेशों का पालन कर रहे हैं। आरक्षित पदों पर भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों की भर्ती की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करने के लिये सरकार ने एक तन्त्र की भी स्थापना की है।

(ख) सर्वप्रथम ये आदेश 30 जून, 1974 तक लागू रहेंगे।

रुई के आयात का प्रस्ताव

3590. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का विचार रुई का आयात करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

75 एकाधिकार वाले गृहों द्वारा देय सरकारी संस्थागत ऋण

3591. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री एकाधिकार गृहों द्वारा देय संस्थागत ऋण के बारे में 4 जून 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1389 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार आयोग द्वारा जिन 75 गृहों को एकाधिकार वाले गृह बताया गया है उनकी ओर सरकारी संस्थानों द्वारा दिये गए ऋण की कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 75 एकाधिकार वाले गृहों को कितनी राशि का ऋण दिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) और (ख)** : सम्भवतः माननीय सदस्य अपने 4 मई 1971 के न कि 4 जून 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1389 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सम्भव सीमा तक सभा पटल पर रख दिया जायगा।

तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली में 'ध्वनि और प्रकाश' कार्यक्रम

3592. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीन मूर्ति हाउस नई दिल्ली में महान नेताओं के जीवन पर आधारित 'ध्वनि और प्रकाश' कार्यक्रम चलाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, किन्तु 'जवाहरलाल

नेहरू स्मारक निधि' जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर एक ऐसी परियोजन के आयोजन पर विचार कर रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भारत के कृषि विश्वविद्यालयों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण

3593. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन ने भारत में दो नये कृषि विश्वविद्यालयों के विकास के लिए 1.2 करोड़ डालर का ऋण देने की घोषणा की है और यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं;

(ख) उपरोक्त विश्वविद्यालय कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे और उनमें क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी; और

(ग) उनका निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने, असम कृषि विश्वविद्यालय और बिहार के राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की एक शिक्षा परियोजन के लिए 120 लाख अमरीकी डालर के एक ऋण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ 10 नवम्बर, 1972 को एक करार किया है। ऋण की यह राशि, व्याख्यान-कक्षों, कक्षा-भवनों, प्रयोगशालाओं और कर्मचारियों के लिए आवास-गृहों और छात्रावासों आदि जैसी शैक्षणिक इमारतों के निर्माण द्वारा इन कृषि विश्वविद्यालयों के विकास में सहायता देने के लिए है। इससे, शिक्षावृत्तियों और सलाहकारों के रूप में तथा कृषि अनुसंधान सांख्यिकी संस्थान में अतिरिक्त संगणक सुविधाओं के रूप में तकनीकी सहायता भी प्रदान की जायगी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिया जाने वाला यह ऋण .0 वर्ष की अवधि में चुकाया जाना है जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है। यह ऋण ब्याज-मुक्त है लेकिन इस पर 3/4 प्रतिशत वार्षिक की दर से सेवा-प्रभार लगेगा।

(ग) इस परियोजना के 1978 के अन्त तक पूरा होने का अनुमान है।

अपहरण के भय के कारण इण्डियन एयरलाइन्स की कलकत्ता-गौहाटी उड़ान का रद्द किया जाना

3594. **श्री सरजू पांडे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कलकत्ता हवाई अड्डे पर अपहरण के भय के कारण इण्डियन एयरलाइन्स की कलकत्ता-गौहाटी उड़ान को रद्द किया गया था;

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स ने हाल में अपहरण के भय से कितनी बार अपनी उड़ानें रद्द की हैं; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री कर्ण सिंह) : (क) जी, हां, । 6 नवम्बर, 1972 को इण्डियन एयरलाइन्स की कलकत्ता से गोहाटी की उड़ान आई० सी०–209 टेलीफोन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गयी बलपूर्वक अपहरण की धमकी के परिणामस्वरूप रद्द कर दी गयी थी।

(ख) हाल में ऐसी कोई और घटना दृष्टिगोचर नहीं हुई है।

(ग) यद्यपि अपहरण-विरोधी एहतियातें बरती जा रही हैं, तथापि इस प्रकार की आतंककारी धमकियों के बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती।

Payment or Bonus to Workers of Opium Factory, Ghazipur

3595. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the reasons for not paying 8.33 per cent bonus to the worker, employed in the Opium Factory, Ghazipur ;

(b) whether the workers have sent any memorandum to Government in this regard ; and

(c) if so, the main contents thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The scheme of payment of bonus to industrial workers is applicable only to those categories of employees to whom the provisions of the payment of Bonus Act, 1965 are applicable. In terms of section 32 (iv), the provisions of this Act are not applicable to the employees in an establishment engaged in any industry carried on by or under the authority of any Department of the Central Government or State Government or a local authority. Accordingly, the workers of the Ghazipur Factory are not entitled, in law, to payment of bonus. The workers of Ghazipur Opium Factory are, however, covered by a scheme of ex-gratia production award which is payable provided certain norms which have been laid down by the Government are satisfied.

(b) & (c) : Yes, Sir. The Opium Factory Labour Union has submitted a memorandum to the Government. The main contents thereof are—

(i) The existing scheme of ex-gratia payment of production award is faulty as this payment is linked with output over which they have no control. The workers were not consulted when the scheme was formulated and hence it is not acceptable to them.

(ii) The Government Opium and Alkaloid Works should be covered by the Payment of Bonus Act, 1965. The Union however appreciates that since the Opium Factory is a departmental undertaking, the Government may have to consider the repercussions of such a step before extending the scope of the Payment of Bonus Act to this Factory. The Government should, therefore, consider for adoption an alternative scheme in regard to which the Union has made some suggestions.

नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों का मांगें

3596. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों ने अपने चेयरमैन के माध्यम से हाल में मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कयर बोर्ड के कर्मचारियों ने, सीधे सरकार को मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है ।

(ख) उनकी मांगें भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने, स्टाफ काउंसिल का गठन करने तथा एसोसियेशन के पदाधिकारियों को विशेष छुट्टी देने से बारे में हैं । कयर बोर्ड से नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है । विशेष छुट्टी देने तथा स्टाफ काउंसिल के गठन के लिए उनके अनुरोधों पर संबंधित विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

धागे का उपलब्ध न होना

3597. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के विभिन्न भागों में धागा उपलब्ध न होने के कारण हजारों बुनकर बेरोजगार हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का

विचार है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : धागा उपलब्ध न होने के कारण केरल में बुनकरों के बेरोजगार हो जाने के संबंध में कोई प्रमाणिक समाचार नहीं है। धागे की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप कुछ कठिनाई पैदा हो गई थी। स्थिति का सामना करने के लिए नियंत्रित कीमतों पर बुनकरों को विभिन्न प्रकार के धागे की सप्लाई करने की योजना तैयार की गई हैं तथा उनको कार्यान्वित किया जा चुका है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के उपबन्धों के अतिरिक्त केरल को वित्तीय सहायता

3598. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल की कुछ विशिष्ठ परियोजनाओं के लिये, चौथी पंचवर्षीय योजना में किये गये उपबन्धों से अतिरिक्त, राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त सहायता दी है;

(ख) अनुदान और ऋण के रूप में कितने-कितने प्रतिशत सहायता दी जाती है;

(ग) क्या केरल कीं राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुछ विशेष अनुदान देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : चालू वर्ष में अब तक, केरल को किसी विशिष्ट परियोजना के लिए कोई आयोजना भिन्न सहायता नहीं दी गयी है।

(ग) और (घ) : केरल सरकार ने कुट्टियादी पेरिआर घाटी, चित्तूर पुजा, पम्बा और कन्हिरा पुजा परियोजनाओं के लिए आयोजना से बाहर अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया है। इस अनुरोध को माना नहीं जा सका।

उन्होंने इद्दिकी परियोजना समुद्र से होने वाले कटाव को रोकने के कार्यों पर होने वाले व्यय और गैर सरकारी महाविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन की सीधी अदायगी संबंधी लागत को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया था। जहां तक इद्दिकी परियोजना का संबंधी है उसके संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। लेकिन, चालू वर्ष में समुद्र से होने वाले भूमि कटाव-विरोधी निर्माण कार्यों के लिए 2.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना मान लिया गया है। गैर-सरकारी महाविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन की अदायगी के लिए चालू वर्ष में ऋण के रूप में सहायता प्रदान करना भी स्वीकार कर लिया गया है जिस के लिए सहायता की मात्रा का अन्तिम रूप से तय किया जाना अभी शेष है।

ब्रिटेन से भारत को 'सोफ्ट' ऋण

3599. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** :
श्री पम्पन गौंडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार ने हाल में भारत को 'सोफ्ट' ऋण देना स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि क्या है; और

(ग) ऋण का प्रयोज़न क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) 9 नवम्बर, 1972 को नई दिल्ली में लगभग 78 करोड़ रुपये (410 लाख पौण्ड) के दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे। प्रथम ऋण (यूनाइटेड किंगडम-भारत अनुरक्षण ऋण, 1972) 47.42 करोड़ रुपये (250 लाख पौण्ड) के लिए तथा दूसरा ऋण (यूनाइटेड किंगडम-भारत मिश्रित परियोजना ऋण, 1972) 30.35 करोड़ रुपये (160 लाख पौण्ड) के लिए है।

(ग) अनुरक्षण ऋण करार के अन्तर्गत ब्रिटेन से कच्चा माल, फालतू पुर्जे और संघटक मंगाये जायेंगे।

मिश्रित परियोजना ऋण का इस्तेमाल बड़े मूल्य की परियोजनाओं के लिए ब्रिटेन से आवश्यक माल और सेवाओं के आयात के वित्त प्रबन्ध के लिए किया जायगा। इस समय इन ऋणों के अन्तर्गत तीन उर्वरक परियोजनाओं और चार समुद्री जहाजों के लिए वित्त प्रबन्ध किया जा रहा है।

LOANS GIVEN TO SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES BY NATIONALISED BANKS IN MADHYA RADESH.

3600. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Madhya Pradesh given loans by the nationalised banks ; and

(b) the maximum amount of loan granted to individuals in the category of small farmers and persons doing other vocations in the State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Banks do not maintain statistics separately for scheduled castes and scheduled tribes on the one hand and other category of borrowers on the other hand. The information asked for by the Honourable Member is therefore not available.

(b) The amount of loan that could be advanced to individual small farmers or to persons of other covations depends upon several factors such as the viability of the proposal, the requirements, extent of land holding in the case of the small farmer, past experience and technical competence in the vocation etc. The amount outstanding also fluctuates. It is not therefore possible to determine the maximum loan given to an individual at a point of time.

Bank Employees in Madhya Pradesh

3601. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of employees in the Nationalised Banks in Madhya Pradesh at the time of bank nationalisation ; and

(b) the extent to which their number has decreased or increased after the bank nationalisation ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) ; (a) & (b) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

एक प्राइवेट फर्म द्वारा दिल्ली में 'विग' फैक्टरी स्थापित किया जाना

3602. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्राइवेट फर्म को दिल्ली में 'विग' फैक्टरी स्थापित करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस में कितनी पूंजी लगाई जायेगी और उस में बनाये जाने वाले 'विग' का निर्यात करने के लिए बनाई गई योजना की रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चूंकि लघु क्षेत्र एक मुक्त क्षेत्र है, अतः अनुमति दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, विग, विग्लेट, चिटलैंगिज, कालीन

तथा लकड़ी की मदों का विनिर्माण करने हेतु छः महीनों की अवधि के लिए एक लघु क्षेत्र एकक को अस्थायी रूप में पंजीकृत किया गया है।

(ख) एकक का प्रथापित पूंजी निवेश निम्नोक्त प्रकार है :

भूमि तथा भवन	—	1,25,000.00 रुपये
संयंत्र तथा मशीनें	—	80,000.00 रुपये
अन्य अचल आस्तियां	—	48,000.00 रुपये
कार्यकरण पूंजी	—	2,72,344.50 रुपये
	योग	5,25,344,50 रुपये

एकक द्वारा कोई विशिष्ट निर्यात योजना नहीं दी गई है।

पालम हवाई अड्डे पर जहाजों के उतरने की उपकरण व्यवस्था (इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम)

3603. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोक्कर फ्रेंडशिप विमान उड़ाने वाले इण्डियन एयरलाइन्स के विमान चालक, पालम हवाई अड्डे पर जहाजों के उतरने की उपकरण व्यवस्था (इन्स्ट्रूमेंट लेंडिंग सिस्टम) के बारे में काफी अर्से से शिकायत कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पहली शिकायत कब प्राप्त हुई थी और दोषों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : कभी कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तथा उपस्कर की सदा पूर्ण रूप से भूमि पर जांच की जाती है। अब तक इस प्रणाली के सुधार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है।

Number of Avro Planes being used by Indian Airlines

3604. **Shri Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of "Avro" planes being used by the Indian Airlines at present;

(b) the names of the countries where such planes are still being used;

(c) whether the said planes have been found lacking in passengers amenities and also are not fast enough; and

(d) if so, the action being taken by Government in the matter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) 16

(b) According to the information available the following countries use HS 748 aircrafts :

(i) Argentina

(ii) Brazil

(iii) Canada
(iv) Leeward Islands
(v) Sri Lanka
(vi) Colombia
(vii) Fiji
(viii) France
(ix) Malawi
(x) Mexico
(ix) Nepal
(xi) South Africa
(xiii) United Kingdom
(xiv) Venezuela
(xv) West Indies
(xvi) Zambia.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Registration of Companies in Madhya Pradesh and Rajasthan

3605. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Company Affairs be pleased to state :

(a) The number of companies registered under the companies Act, 1956 in Madhya Pradesh and Rajasthan during the last two years; and

(b) The capital in ested therein, separately ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a & (b) : The number of companies registered during the years 1970—71 and 1971—72 in the states of Madhya Pradesh and Rajasthan and their authorised capital is given below :

State	1970—71 No. of Cos.	1970—71 Authorised Capital (Rs lakhs)	1971—72 No. of Cos.	1971—72 Authorised Capital (Rs. lakhs)
Madhya Pradesh	19	881	30	281
Rajasthan	47	327	56	880

Compulsion upon Employees of State Bank of Indore to sign in English Only

3606. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether certain employees of the State Bank of Indore are forced to put their signatures in English only and their salaries have been withheld on this account; and

(b) If so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) & (b) : State Bank of Indore Supervising officials, Association made a representation to the Department of Banking on 1 .9.1972, stating that the State Bank of Indore did not allow its officers to sign in Hindi and had refused to accept specimen signatures in Hindi and also that officers who did not comply with the banks, regulations were threatened with disciplinary action.

2. The matter was taken up with the State Bank of India It is reported that the officers are allowed to sign in Hindi in dealing with matters in their personal capacity, like acknowledging receipt of salary, but whenever they are authorised to sign on behalf of the

bank in various instruments issued by the bank like drafts, mail transfers, time deposit receipts ect., they are required to follow the banks' regulations and sign in a language which is commonly understood in non-Hindi speaking areas. This is with a view to avoiding operational difficulties at the offices on which the instruments are drawn, when such offices are situated in the non-Hindi speaking areas, and to ensure uniformity, convenience and safety.

बैंक जमा राशि में वृद्धि की दर

3607. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में बैंक जमा राशि में वृद्धि की दर में कमी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अधिक राशि जमा कराये जाने के लिए कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सब से हाल के उपलब्ध आंकड़े 10 नवम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह से सम्बन्धित हैं और उनसे पता चलता है कि चालू कैलेण्डर वर्ष के शुरू से बैंक की जमा रकमों में 14.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त की गई 14.98 प्रतिशत की वृद्धि की दर से केवल सीमान्तिक रूप से कम है । फिर भी, 10 नवम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि में वृद्धि की दर पिछले 12 महीने की अवधि की 18.8 प्रतिशत की वृद्धि की दर के मुकाबले 19.2 प्रतिशत थी । इसलिए यह निर्णय करना कि चालू वर्ष में बैंक की जमा रकमों की वृद्धि की दर कम हो गई है, समयपूर्व होगा ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) जमा के लिए रकमें जुटाने के प्रयत्न लगातार किये जा रहे हैं और जहां सम्भव हो जमा के लिए अधिक रकम आकर्षित करने के लिए नयी और परिवर्तन-शील योजनायें शुरू की जाती हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा विस्तार कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण दाताओं की समाप्ति

3608. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के विस्तार कार्यक्रम का एक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से ऋण दाताओं को समाप्त करने का भी था; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य की कहां तक पूर्ति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण की अत्याधिक रकम उपलब्ध करना है । इससे निःसंदेह ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों की ऋण दाताओं पर निर्भरता में कमी करने में सहायता मिलेगी ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार का कितना प्रभाव पड़ा है इस का मात्रा के अनुसार अनुमान देना सम्भव नहीं है । फिर भी, इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि बैंकों के पास कृषि ऋण खातों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो राष्ट्रीयकरण के समय केवल 1.76 लाख थी और बढ़कर मार्च 1972 में 9.53 लाख हो गयी ।

बैंक ऋण की वृद्धि में कमी

3609. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 के अक्तूबर के अन्त तक जमा हुई अतिरिक्त राशि की तुलना में बैंक

ऋण में केवल 33 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि पूर्व वर्ष में उसमें 5। प्रतिशत वृद्धि हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1972 के अक्तूबर के अन्त तक बैंक ऋण में कम वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 27 अक्तूबर 1972 को समाप्त हुई 12 महीनों की अवधि के दौरान जुटाई गई अतिरिक्त जमा राशि के अनुपात के रूप में बढ़ने वाले बैंक ऋण का अनुपात 30.4 प्रतिशत होता है जबकि इससे पहले की 12 महीनों की अवधि में यह अनुपात 52.6 प्रतिशत था ।

(ख) 27 अक्तूबर 1972 को समाप्त हुई 12 महीनों की अवधि के दौरान बढ़ने वाले ऋण जमा अनुपात के कम होने का कारण अन्न की खरीद के लिये दिये गये अग्रिमों का कम होना है जब कि इससे पहले की 12 महीनों की अवधि के दौरान अन्न की खरीद के लिए दिये गये ऋण में वास्तव में काफी वृद्धि हुई थी ।

सामूहिक यातायात (कन्वेन्शन ट्रैफिक) के संवर्धन के लिए एक ब्यूरो स्थापित करनेका प्रस्ताव

3610. **श्री एम० कतामुतु :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामूहिक यातायात (कन्वेन्शन ट्रैफिक) के संवर्धन के लिये, जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक उद्योग में बहुत बड़ा कारोबार हो गया है; एक ब्यूरो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सामूहिक यातायात के संवर्धन के लिये क्या अतिरिक्त सुविधाएं अपेक्षित हैं; और

(घ) यह सुविधाएं उपलब्ध करने पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हां । सम्मेलन यातायात को बढ़ावा देने के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान एक सम्मेलन ब्यूरो गठित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) प्रस्तावित ब्यूरों इन बातों के लिये जिम्मेवार होगा :

1. सम्मेलनों सम्बन्धी प्रचार तथा प्रोत्साहन कार्य,

2. सम्मेलनों की सर्विस व्यवस्था, तथा

3. सम्मेलन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये होटलों आदि की सहायता।

(ग) : सम्मेलन यातायात की अभिवृद्धि के लिए अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं में ये सम्मिलित हैं—चुने हुए सम्मेलन केन्द्रों में पर्याप्त होटल आवास, उपकरणों से सुसज्जित सम्मेलन हाल, समकालिक अनुवाद उपकरण, प्रतिलिपि उपकरण तथा सम्मेलनों की सर्विस व्यवस्था के लिये एक सचिवालय ।

(घ) वित्तीय आवश्यकताओं के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

Display of Art Works in Asia 1972

3611. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased of state :

(a) Whether Government have announced prizes for sculptors and painters who worked in Asia 1972;

(b) Whether no art works were displayed in the pavilions upto 15th November, 1972; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) Art works forming part of interior display were displayed in various pavilions since

inauguration on November 3, 1972.

(c) Does not arise.

Coaltar used by contractor for completing the work in Asia 1972

3612. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state:

(a) whether Burmah Shell had supplied 1700 coaltar drums for Asia Fair, 1972.

(b) whether the contractor of the Fair has used only 1000 drums to complete the work and payment has been made to him for 1700 drums; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Sir, for the bitumen carpetting of roads within the Pragti Maidan, Burmah Shell had supplied a total of 3,970 drums;

(b) The contractors had utilized all the bitumen drums on the road works and recoveries from the contractors are being made accordingly;

(c) Does not arise, in view of (a) & (b) above.

तेल प्रधान देशों को रियायती दरों पर निर्यात

3613. **श्री के० लकप्पा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अपने निर्यात संवर्धन अभियान को नई दिशा प्रदान करने के लिए, पारस की खाड़ी के कुछ तेल प्रधान देशों को अपनी वस्तुएं रियायती दरों पर इस शर्त पर बेचने की पेशकश की है कि वे उनको अधिक मूल्य पर पुनः निर्यात कर सकते हैं;

(ख) यह निर्णय भारत के लिए कहां तक सहायक सिद्ध होगा; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको यह पेशकश दी गई है और उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : हम अपने निर्यातों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न तरीकों का पता लगाते रहे हैं। पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक मुख्य यह है कि इन में से कुछ देश अपने आयातों के बदले विदेशी मुद्रा में भुगतान करने में असमर्थ हैं। किन्तु उस क्षेत्र में लीबिया, कुवैत तथा आबूधाबी जैसे कुछ धनवान देश भी हैं जिनके पास देने के लिए पर्याप्त मुक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध है। ऐसी परिस्थितियों में, हम इस बात का पता लगाने का प्रयास करते रहे हैं कि क्या उनमें से कुछ देश मुक्त विदेशी मुद्रा के बदले हमारा कुछ माल आयात करके ऐसी शर्तों पर अपने अरब पड़ौसी देशों को बेच सकें जिन पर वे आपस में सहमत हों। अभी तक उपरोक्त योजना केवल सामान्य स्थिति में है।

कुवैत से यूरिया और तरल अमोनिया खरीदने का निर्णय

3614. **श्री पम्पन गोंडा :** क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 1973-74 में कुवैत से यूरिया और तरल अमोनिया खरीदने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दोनों देशों के बीच हुए करार की शर्तें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (ए० सी० जार्ज) : **(क) तथा (ख)** : जहां तक यूरिया खाद का सम्बन्ध है, कुवैत के प्रतिनिधि मंडल ने, जो हाल ही में दिल्ली आया था, संकेत दिया कि जुलाई 1973 में प्रति वर्ष लगभग 150,000 मे० टन उपलब्ध होगा। कुवैत की ओर से यूरिया के बारे में, जैसा बताया गया है हम उसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं, लेकिन अभी तक इस संबध में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गये हैं, कुवैत से अमोनिया मंगवाने के संबंध में बातचीत अंतिम चरण पर है तथा इस संबंध में एक करार के निकट भविष्य में होने की आशा है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टोरेट पटना के कार्यालयों के लिए भवनों का निर्माण

3615. **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री भोला मांझी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलेक्टोरेट पटना के कलेक्टर ने पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, छपरा, हाजीपुर, सिंघाड़ा, डुमका, रानीगंज, बनपंखी, सरशी, पाटेपुर, रक्सौल, जोगबनी, धनवाहा और पटना हवाई अड्डे पर कुछ वर्ष पूर्व भूमि खरीदी थी;

(ख) यदि हां, तो इतने लम्बे अर्से तक सरकार द्वारा उस पर भवन न बनाये जाने के क्या कारण हैं और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) क्या उपरोक्त स्थानों में से किसी स्थान पर रिहायशी क्वार्टर बनाये जा रहे हैं और यदि हां, तो किन स्थानों पर और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां, सिवाय इसके कि रक्सौल में भूमि-भाग विभाग के कब्जे में केवल 1972 में आया।

(ख) और (ग) : निर्माण का कार्य चीनी आक्रमण के बाद घोषित अपात-स्थिति के दौरान और आर्थिक तंगी के कारण स्थगित रहा। निर्माण का काम फिर से चालू कर दिया गया है और समाहर्ता को कहा गया है कि जहां-जहां विभाग के पास भूमि है वहां दफ्तर के लिए और आवास के लिए मकान बनाने के लिए निश्चित प्रस्ताव पेश करे। दो स्थानों के बारे में पहले ही समाहर्ता ने प्रस्ताव पेश कर रखे हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

आयकर विभाग में संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना

3616. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ने आयकर कर्मचारी फैडरेशन से सभी आयुक्तों के अधीन आयकर आयुक्तों के स्तर पर संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना के बारे में सहयोग देने का बार-बार अनुरोध किया है ;

(ख) क्या आयकर कर्मचारियों की कुछ एसोसिएशन/यूनियन आयुक्तों से संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की क्षेत्रीय परिषदों के मामले को फैडरेशन को भेजे बिना स्थापना किये जाने का अनुरोध कर रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ने आयकर कर्मचारी संघ से ऐसा कोई निवेदन नहीं किया है। केवल आयकर आयुक्तों को अनुदेश दिये

गये हैं कि वे संघ के साथ परामर्श करके अपने-अपने क्षेत्रों में संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य पंच निर्णय योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय परिषदें स्थापित करें जिससे कर्मचारी-पक्ष की ओर से इन परिषदों में प्रतिनिधि नामजद किये जा सकें।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

आयकर विभाग के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों के आधार पर पदोन्नति और उन्हें स्थायी बनाना

3617. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग, दिल्ली की विभागीय पदोन्नति समिति का विचार है कि पात्र कर्मचारियों को एल० डी० सी०, यू० डी० सी०, हैड क्लर्क तथा सुपरवाइजरों के पद पर पदोन्नति देने और उन्हें स्थायी बनाने के लिए 1969 की विभागीय पदोन्नति समिति तथा 1970 की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपनाए गए सिद्धान्तों का कठोरता से पालन किया जाए ;

(ख) क्या दिल्ली के आयकर आयुक्त ने दिल्ली आयकर अराजपत्रित कर्मचारी एसोसियेशन को यह आश्वासन दिया है कि आगामी विभागीय पदोन्नति समिति में वरिष्ठता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो पूर्व निर्धारित सिद्धान्त का उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम द्वारा पेय जल योजनाओं के लिये राज्यों को दी गई सहायता

3618. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल की सप्लाई करने सम्बन्धी योजनाओं के लिये प्रत्येक राज्य को जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितनी राशि की सहायता दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जीवन बीमा निगम ने केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पूर्ति के लिये चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 50 लाख रुपये के ऋण दिये हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापकों द्वारा मांगी जा रही बकाया राशि का भुगतान

3619. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व सहायक प्राध्यापकों द्वारा मांगी जा रही बकाया राशि के भुगतान का मामला वित्त मंत्रालय को भेजा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उस निर्णय का सारांश क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तारीख तक निर्णय किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटक बंगलों और होस्टलों की स्थापना

3620. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां केन्द्रीय सरकार का पर्यटकों के लिये बंगले और होस्टल बनाने का विचार है ; और

(ख) प्रत्येक स्थान के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर अनुपूरक आवास-स्थान की व्यवस्था कर रहा है :

क्रम संख्या	प्रायोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	पर्यटक बंगला, धर्मशाला	8.32
2.	युवा होस्टल, डलहौजी	4.47
3.	स्वागत केन्द्र, शिमला	17.65
4.	कुल्लू-मनाली राजमार्ग पर शिविर-स्थल	1.00

चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल्लू-मनाली में आवास तथा अन्य सुविधाओं के विकास के लिये भी 20 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

गोबिन्द सागर में 11.25 लाख रुपये की लागत से बनाया गया एक कैफेटीरिया पहले ही चालू किया जा चुका है तथा इसका प्रबंध भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के अर्न्तगत एक निगम है । भारत पर्यटन विकास निगम कुल्लू और मनाली में यात्री लॉज भी चला रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में गोबिन्द सागर झील देखने के लिये जाने वाले पर्यटकों के लिये मोटर चालित नौकाएं

3621. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में गोबिन्द सागर झील देखने के लिए जाने वाले पर्यटकों के लिये दो 'मोटर चालित नौकाए'' खरीदने की मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो वे 'नौकाए'' कब तक चलायी जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां । गोबिन्द सागर आने वाले पर्यटकों के प्रयोग के लिये सैंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि०, कलकत्ता, को 15-सीटों वाले दो मोटर लाँचों के लिये एक क्रयादेश दे दिया गया है ।

(ख) आशा है कि लांच गोबिन्द सागर पर मार्च, 1973 तक दे दिये जायंगे ।

शिमला में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

3622. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी इस मांग के लिए आन्दोलन कर

रहें हैं तथा केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते की तरह विशेष भत्ता स्वीकृत किया जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है और यदि हां, तो क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय किस तिथि तक किये जाने की आशा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हाँ ।

(ख) अपने कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर करने के मामले में केन्द्रीय सरकार के अपने अलग प्रतिमान हैं, जो विभिन्न राज्यों में प्रचलित पद्धति से सम्बद्ध नहीं हैं । केवल शिमला के मामले में सामान्य से भिन्न नीति अपनाना सम्भव नहीं है । तृतीय वेतन आयोग, इस समय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों परिलब्धियों आदि की समीक्षा में प्रवृत्त है, और सम्भवत: वह ऐसे प्रश्नों पर विचार करेगा । वर्तमान नीति में किसी परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार कर सकने से पूर्व आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी होगी ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

हथकरघों और विद्युतचालित करघों की समस्याओं पर विचार करने के लिए कार्यकारी दल

3623. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा और विद्युतचालित करघा उद्योगों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यकारी दल के सदस्यों के नाम और दल के कृत्य क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) तथा** (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3952/72**]

विमान यातायात में वृद्धि की समस्या को हल करने के लिये तीन नई कम्पनियों का निर्माण

3624. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इण्डियन एयरलाइन्स तीन नई कम्पनियों के निर्माण के पक्ष में हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** : मामला इण्डियन एयरलाइन्स के विचाराधीन है ।

Largest Industrial Establishments in India

3625. **Shrr Ishwar Chaudhry :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the 30 largest industrial establishments in the country; and

(b) the value of assets of each of them, year-wise, during the lest three years and the extent of annual rate of increase therein separately ?

The Minister of Company Affairs (Shri Raghunatha Reddy) : (a) and (b) : The names of 30 largest industrial establishments in the country according to their size of assets as in 1971—72 and the value of their assets togother with their rate of annual growth during the lsat three years are given in the statement annoxed. **[Placed in Library. See No. L. T. 3953/72]**

Proportion of Indirect Taxes to National Tncome

3626. **Shri Ishwar Chaudhury :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of indirect taxes realised by Government during 1951—52 and its percentage to the national income;

(b) the amount of indirect taxes collected by Government during 1971—72 and its percentage to the national income; and

(c) the ratio between the increase in the per capita income and the increase in the indirect taxes ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) The total amount of indirect taxes realised by the centre, the states and the Union Territories during 1950—52 was Rs. 495 crores and this wurks out to 5 per cent of the national income of that year.

(b) On the basis of the revised estimates for 1971—72, the indirect taxes in 1971—72 amounted to Rs. 4399 crores. Official estimates of the national income for the year 1971—72 hnve not yet been finalised and therefore, at this stage it is not possible to work out the percentage of indirect taxes to the national income in that year.

(c) Official estimates of per capita incomes at current prices for 1970—71 and 1971—72 have not yet been finalised. The per capita income at current prices in 1951—52 was Rs. 274.2 and it increased to Rs. 589.3 in 1969—70 (Revised Series). Thus per capita income increased by 114.9 per cent from 1951—52 to 1969—70. The indirect tax collections during 1951—52 were Rs 495 crores and these increased by 553.9 per cent to Rs. 3237 crores in 1969—70.

Loans Advanced By Nationalised Banks to Scheduled Castes/Tribes in Bihar

3627. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who were advanced loans by the nationalised banks in 1971—72 in Bihar: and

(b) the maximum amount of loans advanced to individuals in the category of small farmers and other traders in the state ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) Banks no not maintain statistics separately for scheduled castes and scheduled tribes on the one hand and other categories of borrowers on the other hand. The information sought by the Honourable Member is therefore not available.

(b) The amount of loan that could be advanced to individual small farmers or traders depends upon several factors such as, viability of the proposal, the requirements, the extent of land holding in the case of the small farmers, past experience and technical competence in the case of artisans and traders etc.

Opening of Branches of Nationalised Banks in Gaya District, Bihar

3628. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Branches of the nationalised banks proposed to be opened in Gaya District of Bihar ;

(b) whether any evening branches of these banks would also be set up ; and

(c) if so, the location thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Shushila Rohatgi) : (a) The Bank of India and the Canaral Bank are holding licences for opening an office each in Gaya District of Bihar.

(b) & (c) : The working hours for a particular branch of a bank are fixed by the Bank subject to the local conditions and convenience of public.

अमरीका द्वारा भारत को ऋण संबंधी राहत दिए जाने का प्रस्ताव

3629. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को इस वर्ष ऋण चुकाने के सम्बन्ध में 20 करोड़ डालर की राहत देने के अमरीकी सरकार के कथित निर्णय से ऋणों की किश्तों और उन पर लिए जाने वाले ब्याज का बोझ काफी कम हो जायगा; और

(ख) अमरीकी सरकार के निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं और चालू वर्ष में भारत द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने विश्व बैंक को यह सूचित किया है कि वह विश्व बैंक द्वारा भारत सहायता संघ के अध्यक्ष के रूप में आयोजित किये जा रहे ऋण राहत कार्यक्रम में 291.2 लाख डालर तक की सहायता दे सकेगा ।

(ख) इससे, विदेशी मुद्रा की निकासी में संयुक्त राज्य अमेरिका को ऋण परिशोधन सम्बन्धी की जाने वाली अदायगियों के सम्बन्ध में उपर्युक्त रकम तक की कमी हो जायगी ।

मूल्यों में वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए नवयुवकों का रिजर्व दल गठित करना

3630. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मूल्यों में वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए प्रत्येक राज्य में नवयुवकों के रिजर्व दल गठित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा बनाया गया विकास कार्यक्रम

3631. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री वरके जार्ज :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 से प्रत्येक वर्ष भारत आने वाले लगभग 10 लाख पर्यटकों की आवश्यकता पूर्ति के लिये भारतीय पर्यटन विकास निगम ने एक वृहत विकास कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इस कार्यक्रम में समुद्रतट, पर्वत तथा वन्य जीवन पर्यटन पर बल दिया जायेगा;

(ग) क्या इस कार्यक्रम में विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों को विलासिता की श्रेणी के अतिरिक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दी जायेगी; और

(घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) (क) से (घ) : इस कार्यक्रम में, जिसे कि अभी तैयार किया जा रहा है, समुद्र तटीय, पर्वतीय एवं वन्य जीव क्षेत्रों का विकास तथा विलासिता (लग्जरी) श्रेणी से इतर प्रकार की आवास व्यवस्था भी सम्मिलित होगी ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा एक अध्ययन दल विदेश भेजा जाना

3632. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम के कपड़ों के निर्यात में भारी कमी के निराकरण के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने गत वर्ष चार सदस्यों का एक अध्ययन दल विदेश भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने रेशम के कपड़ों के निर्यात की देख रेख करने के लिए एक पृथक संगठन का निर्माण करने का सुझाव दिया था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी हां ।

(ग) इस समय प्राकृति रेशम वस्त्रों के निर्यातों के अन्तर्गत लगभग 95% निर्यात हथकरघा वस्त्रों का होता है और इन निर्यातों की व्यवस्था हथकरघा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास द्वारा की जाती है । रेयन तथा रेशम वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, शक्तिचालित करघा निर्यात रेशम वस्त्रों के निर्यात की व्यवस्था करेगी । अतः स्पष्ट तौर पर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ।

अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों (की सैक्टर) के लिए जापान से सहायता

3633. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1972 में सरकार ने अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जापान से कोई सहायता मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई और इस संबंध में जापान की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : जापान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

केन्दु पत्ते का निर्यात

3634. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्दु पत्ते का विभिन्न देशों को निर्यात किया जा रहा है और यदि हां, तो गत वर्ष इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा किन देशों को निर्यात किया गया; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्दु पत्ते का व्यापार अपने नियंत्रण में ले लेने के लिए उड़ीसा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को कोई अनुदेश दिए हैं और यदि हाँ, तो उनका सारांश क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । 1971–72 में श्री लंका और नेपाल को 28 लाख किग्रा केन्दु पत्ते का निर्यात किया गया था ।

(ख) देश में केन्दु पत्ते के व्यापार सहित किसी भी बन उत्पाद का राष्ट्रीयकरण करना राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार का कार्य है।

नेपाल को पटसन की तस्करी

3635. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संघ ने सरकार को 15 नवम्बर, 1972 को नेपाल को कच्चे पटसन की निरन्तर तस्करी से पैदा होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देते हुए एक नोट भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : **(क) तथा (ख)** : नेपाल को कच्चे जूट के तस्कर निर्यात से पैदा होने वाले खतरे के बारे में भारत सरकार को भारतीय जूट मिल संघ की ओर से अब तक कोई चेतावनी सम्बन्धी नोट प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जूट मिल संघ द्वारा 15-11-1972 को जारी किये गये प्रेस-नोट को सरकार ने देखा है। प्रेस-नोट की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3954/72]** ऐसे तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) भारत-नेपाल सीमा पर महत्वपूर्ण स्थानों पर 1969 में 10 सीमाशुल्क निवारक चौकियां स्थापित की गयी और ये तभी से कार्य कर रही हैं।

(ii) भारत-नेपाल व्यापार से सम्बन्धित सीमाशुल्क कार्य एवं इस सीमा पर तस्कर-व्यापार-विरोधी उपायों की देख-रेख के लिए सीमाशुल्क (निवारक) समाहर्ता के एक पद का सृजन किया गया है जिसका मुख्य-कार्यालय पटना में है।

(iii) नेपाल से भारत को तथा भारत से नेपाल को माल के होने वाले तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर अनेक गश्ती निवारक दल तैनात किये गये हैं।

(iv) कर्मचारियों को अधिक गश्त लगाने एवं अधिक प्रभावी तौर पर कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक जीपें मुहैय्या की गयी हैं।

(v) निवारक दलों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गयी है। भारत-नेपाल सीमा पर कार्यरत हथियारबंद तस्कर-व्यापारियों का मुकाबिला करने के लिए कर्मचारियों को हथियार दिये जा रहे हैं।

(vi) नेपाल को माल के होने वाले तस्कर-व्यापार को रोकने के लिये भारत-नेपाल सीमा पर स्थित राज्य प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

(vii) 1969 के शुरू में इस क्षेत्र में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की एक कम्पनी को भी रखा गया था और जूट के तस्कर-व्यापार का पता लगाने एवं उसे रोकने तथा हथियारबद तस्कर-व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले हमलों को रोकने में सीमाशुल्क कार्यालयों को सहयोग प्रदान करने के लिए यह कम्पनी जून, 1972 तक वहां रही। जुलाई 1972 में इस कम्पनी की जगह हथियारबंद होमगार्डों की एक कम्पनी को रखा गया जिसको मंजूरी बिहार-सरकार ने दी है।

(viii) जूट-उत्पादकों को अपना जूट बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत जूट निगम

ने महत्वपूर्ण स्थानों पर क्रय-केन्द्र भी स्थापित किये हैं ।

(ix) इस मामले के बारे में नेपाल के महामहिम की सरकार से भी लिखा-पढ़ी की गयी है ।

भारत से नेपाल को जूट के तस्कर-व्यापार को रोकने के निमित्त समुचित उपाय करने के लिए स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है ।

विदेशी पर्यटकों द्वारा विदेशी मुद्रा में होटलों के बिल भुगतान करने के सम्बन्ध में किया गया अध्ययन

3636. **श्री गिरिधर गोमांगी :**

श्री वी० मायावन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक महंगे होटलों में से 20 होटलों के विषय में किए गए अध्ययन से पता चला है कि विदेशों से आने वाले केवल 43 प्रतिशत पर्यटकों ने होटल के बिलों का विदेशी मुद्रा में भुगतान किया है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन में और क्या बातें पता लगी हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० **कर्ण** सिंह) : **(क) और (ख)** : पर्यटन विभाग द्वारा गत वर्ष ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया । किन्तु 1967 में दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता के चार होटलों की आय-प्रवृत्तियों की जांच की गई थी । होटलों को विदेशियों से (कतिपय मुक्त वर्गों को छोड़कर) अब होटल बिलों का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने के लिये कहा गया है ।

'एशिया-72' के लिए बस सेवा को हुई हानि के लिए दिल्ली परिवहन निगम द्वारा मुआवजा मांगा जाना

3637. **श्री गिरिधर गोमांगा :**

श्री वी० मायावन :

क्या **विदेश व्यापार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन ने उनके मंत्रालय ये 'एशिया-72' मेले के लिए चलायी जा रही बसों से भारी हानि के लिए 28 लाख रुपये मुआवजे का मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) दिल्ली परिवहन निगम ने यह बताया है कि यदि उन्होंने मेले की अवधि के दौरान प्रतिदिन पांच सौ बसें चलाई तो इस क्षमता का पूरी तरह से शायद उपयोग न किया जा सके और इससे 28.65 लाख रुपये का नुकसान हो सकता है ।

(ख) मेला प्राधिकारी ने दिल्ली परिवहन निगम को सलाह दी है कि यद्यपि मेले से काफी ट्रैफिक पैदा हो गया है, किन्तु परिवहन का कार्य वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिए और मेला प्राधिकारी परिवहन कार्य के लिए आर्थिक सहायता नहीं दे सकते ।

Loans Advanced by Nationalised Banks in Rajasthan for Agricultural Purposes

3638. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loan advanced by the nationalised banks in Rajasthan for agriculture purposes during the last six months ;

(b) whether the banks in Rajasthan have given lesser loan facilities to the farmers as compared to those given in other States.; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The latest available figure of the amount outstanding in respect of direct agricultural advances provided by the nationalised banks in Rajasthan as at the end of March, 1972 was Rs. 520.92 lakhs.

(b) & (c) Admittedly, Rajasthan was and continues to remain one of the States where advances to farmers are comparatively low. This has been on account of the legacy of the past and several socio-economic factors, including lack of adequate infra-structure & number of rural branches. The banks are, however, endeavouring to improve the performance.

Types of Aeroplanes of Indian Airlines which Crashed in Accidents in 1971-72

3639. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the typee of aeroplanes of the Indian Airlines which crashed in accidents in 1971-72; and

(b) the number of Dakota aeroplanes out of them and the causes of the accidents ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) : A statement giving the requisite information is attached. **[Placed in Library. See. No. L. T. 3955/72].** No Dakota aircraft of Indian Airlines met with an accident during the year 1971 and 1972.

पौलिथीन से ढके करेंसी नोट जारी करना

3640. **श्री लाल जी भाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार करेंसी नोटों को शीघ्र खराब होने से बचाने के लिए उन्हें पौलिथीन जैसी सामग्री से ढककर जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गरणेश) : (क) जी, हां। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

एयर इण्डिया द्वारा चार्टर उड़ानों तथा भ्रमण टिकटों की दर का कम किया जाना

3641. **श्री रामकंवर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने 'चार्टर उड़ानों' तथा भ्रमण टिकटों के भाड़े को कम कर दिया है ; और

(ख) इससे 'एयर इण्डिया' की आय की स्थिति में किस प्रकार सुधार होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : एयर इण्डिया ने एक चार्टर कम्पनी स्थापित की है तथा कई यात्रा प्रोत्साही किराये लागू किये हैं जिनसे उसके भार अनुपातों तथा आय में वृद्धि हुई है।

विदेशों में भारतीय व्यापार मिशनों में लगे व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान द्वारा अध्ययन

3642. **श्री एस० सी० केसरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान द्वारा किए गये अध्ययन दल से पता चला है कि विदेशों में भारतीय व्यापार मिशनों में लगे 90 प्रतिशत व्यक्ति अपने कार्य के योग्य नहीं हैं और न उनमें व्यापार के लिये अपेक्षित स्वाभाविक सुझाव है और न ही उन्हें कोई व्यापारिक अनुभव प्राप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा जून 1972 में पूरा किया गया "ट्रेड कमिश्नर इन सेलेक्टेड कंट्रीज" नामक अध्ययन अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान तथा भारत के व्यापार आयुक्त सेवा का तुलनात्मक अध्ययन है। अभी तक भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा प्रतिवेदन का केवल पहला मसौदा तैयार किया गया है तथा प्रतिवेदन में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे माननीय सदस्य के कथन का औचित्य प्रमाणित हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली, के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

3643. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने 28 सितम्बर, 1972 को बैंक के कार्यालय के बाहर-प्रदर्शन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांग क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 28 सितम्बर 1972 को कार्यालय के घंटों के बाद 500 श्रमिक कर्मचारियों और पर्य्यवेक्षी पदाधिकारियों ने पार्लियामेन्ट स्ट्रीट पर बैंक के अहाते में प्रदर्शन किया।

(ख) यद्यपि पर्य्यवेक्षी पदाधिकारी संघ की मांग का सम्बन्ध तो कुछ खास अधिकारियों की बदली से था किन्तु श्रमिक कर्मचारियों की मुख्य माँगों का सम्बन्ध कर्मचारियों के विरुद्ध दिये गये कुछ निलम्बन आदेशों को वापस लेने, अस्थायी कर्मचारियों को काम में खपा लेने, प्रशिक्षण-अवधि में समयोपरि भत्ते की अदायगी करने, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट में बैंक के अहाते की देखभाल के लिए ठेका प्रणाली हटाने आदि से था।

बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि वह पर्य्यवेक्षी पदाधिकारी संघ की मांग नहीं मान सका, तथापि श्रमिक कर्मचारी संघ की मांगों पर बातचीत की गयी और उनका निपटारा किया गया।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण की जांच करने हेतु एक आयोग नियुक्त करने के लिये आल इण्डिया स्टेट बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन द्वारा की गयी मांग

3644. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया स्टेट बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ (बंगाल सर्कल) ने कलकत्ता स्थित स्थानीय मुख्य कार्यालय के काम-काज के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी थी। उनके उत्तर पर विचार किया रहा है।

आधुनिकीकरण के लिये निर्यातोन्मुख काटन मिलों को ऋण देने की योजना

3645. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यातोन्मुख काटन मिलों को आधुनिकीकरण ऋण देने सम्बन्धी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बात क्या है ?

विदेशी व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यातोन्मुख सूती वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु सरकार ने एक योजना पहले ही बना ली है।

(ख) योजना की मुख्य बातें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3956/72**]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

3647. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मनोरथों और उत्तर-दायित्वों को व्यापक रूप से और ठीक-ठीक तौर पर निर्धारित करने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गणेश) : (क) और (ख) : जी, हां।

इस प्रश्न पर, सरकारी उपक्रमों की सचिव समिति द्वारा विचार किया गया है जिन्होंने सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र के लिए वृहत् लक्ष्यों/दायित्वों के विवरण के मसौदे के संबध में ध्यानपूर्वक जांच करने के लिए एक उप-दल नियुक्त किया है। उप-दल इस समय इससे संबंधित विभिन्न जटिल समस्याओं पर कार्स कर रहा है।

सम्पूर्ण सरकारी क्षेत्र के लिए अन्तिम रूप से तैयार किये गये समग्र लक्ष्यों के आधार पर सभी प्रशासनिक मंत्रालय सम्बद्ध सरकारी उद्यमों के परामर्श से अलग-अलग प्रत्येक उद्यम के लिए उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

Accommodation for Tourists of Moderate Means

3648. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Tourism & Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there are hotels in the country which a tourist of moderate means can easily afford and if so, the location thereof and the date on which they were constructed ; and

(b) whether Tourist Department has also arranged accommodation in addition to the hotels, wherein a tourist of moderate means can easily stay and if so, the locations thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) There are over 140 hotels on the approved list of the Department of Tourism approximating to the 3 star, 2 star and 1 star categories which cater for tourists with moderate means. These are located at places of tourist interest, and details including their location and tariff are available in the All India Hotel and Restaurant Guide 1972 published by the Federation of Hotel and Restaurant Associations of India.

(b) Details of such establishments operated by the India Tourism Development Corporation, a public sector undertaking, are given in the attached statement. The Department of Tourism has just completed the construction of a Youth Hostel at Jaipur in March, 1972, and the Railways own and operate two hotels at Puri and Ranchi, which were constructed in 1925 and 1915 respectively.

Statement

Hotels	Present Room Capacity	Date of Construction/Inauguration
Hotel Ranjit, New Delhi	200	7. 11. 1965
Lodhi Hotel, New Delhi	200	15. 9. 1965
Laxmi Vilas Palace Hotel, Udaipur	14	February 1963 (The palace was taken over from the Udaipur Maharana in Feb. (3).
Kovalam Palace Hotel, Kovalam	19	24. 10. 1970 (taken over from State Government).
Aurangabad Hotel, Aurangabad.	23	1938/1. 10. 72 (taken over by TDC from the Railways).
Motels		
Jammu Motel, Jammu	50	9. 9. 1972
Hassan Motel, Hassan	28	27. 7. 1972
Khajuraho Motel. Khajuraho	48	19. 11. 1972
Traveller's Lodges		
Bharatpur	4	May, 1963
Bhubaneshwar	12	Sept. 1963
Baijapur	4	October 1965
Bodhgaya	12	Sept. 1958
Kanchipuram	3	Dec. 1963
Konarak	4	Sept. 1963
Kulu	6	October 1964
Kushinagar	8	Sept. 1958
Madurai	10	April 1963
Mandu	8	October 1964
Sanchi	8	Sept. 1958
Manali	10	June 1967
Thanjavur	4	April 1963
Trichurapalli	4	April 1963
Mahabalipuram	6	April 1960

Steps to Implement Decisions of Asian Development Bank

3649. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Fourth Annual Meeting of the Asian Development Bank was held in Singapore from 15th to 17th April, 1971 and, if so, the decisions taken therein ; and

(b) the steps taken or proposed to be taken for implementing the decisions taken ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan): (a) Yes, Sir. The Fourth Annual Meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank was held at Singapore from April 15 to 17, 1971. Apart from the usual financial items on the agenda (such as adoption of audited accounts), the two main items for discussion were a review of the Bank's operations during 1970 and consideration of the resources position of the Bank. While the performance of the Bank during 1970 was considered quite satisfactory, the need to augment the resources of the Bank was recognised and the Board of Directors was asked to study the requirements and make appropriate recommendations to the Board of Go ernors.

(b) The Board of Directors completed its study in September, 1971 and recommended an increase of the authorized capital of the Bank by 15%. The increase by 150% has become effective with the member countries including India, having a total of 100,000 shares, depositing their respective Instruments of Subscription with the Bank.

नारियल जटा बोर्ड द्वारा स्वीकृत ए० आई० टी० यू० सी० यूनियनों की मांगें

3650. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड ने हाल ही में ए० आई० टी० यू० सी० यूनियनों के ज्ञापन, जो केरल सरकार द्वारा बोर्ड को भेजा गया था, में निहित मांगों को थोड़े संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो स्वीकार की गई मांग क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में किए गए निर्णयों की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : केरल सरकार ने राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गए ए० आई० टी० यू० सी० यूनियनों के ज्ञापन में कयर तथा कयर की वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात से संबंधित सात मांगों पर कयर बोर्ड के विचार मांगे थे। कयर बोर्ड ने इन मांगों पर अपने विचार राज्य सरकार को भेज दिये हैं और आशा है कि वह इस विषय में और आगे कार्यवाही करेगी।

एकाधिकार आयोग को भेजे गये मामले

3651. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :
श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 19 9–70, 1970–71 तथा वर्ष 1971–72, के पहले 6 महीनों में कितने आवेदन-पत्र एकाधिकार आयोग को भेजे गये और कितने मामलों पर आयोग ने निर्णय कर लिया है; और

(ख) किन-किन व्यापार गृहों ने किस-किस प्रकार के आवेदन-पत्र दिये तथा प्रत्येक मामले में क्या निर्णय किया गया ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1 जून, 1970 को लागू हुआ, एवं आयोग ने 6 अगस्त, 1970 से कार्य करना प्रारंभ

किया। अब तक एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत 28 प्रस्ताव आयोग को जांच के लिये निर्देशित किये गये हैं, एवं 21 मामलों में इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं।

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3957/72]**

तीसरे एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिखाई जाने वाली वस्तुओं को लघु रूप में प्रदर्शनी रेलगाड़ियों के माध्यम से दिखाने का प्रस्ताव

3652. **श्री नाथू राम अहिरवार** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रदर्शनी रेल-गाड़ियां चला कर तीसरे एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिखाई जाने वाली वस्तुओं को लघु रूप में दिखाने का कोई प्रस्ताव है ताकि लाखों लोग हमारी स्वतत्रता की 25वीं वर्षगांठ पर देश की प्रगति को देख सकें; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) एशिया 72 जैसे विशाल मेले को, जिसमें सैंकड़ों ने भाग लिया है, एक चलती-फिरती ट्रेन-प्रदर्शनी में बदलना व्यवहार्य नहीं है।

सोने और चांदी की तस्करी

3653. **श्री बनमाली पटनायक** :
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी से देश में सोना लाने तथा यहाँ से चांदी ले जाने के मामलों में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 में देश में लाते हुये कितने मूल्य का सोना पकड़ा गया था तथा देश से बाहर ले जाते हुये कितने मूल्य की चांदी पकड़ी गयी ; और

(ग) तस्करी रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और इस अवधि में इनके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश में सोने के तस्कर आयात तथा देश से चांदी के तस्कर-निर्यात की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है। तथापि, पकड़े गये माल के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विदेशों में सोने का मूल्य बढ़ जाने एवं पश्चिमी तट पर नौसेना द्वारा बरती गयी सतर्कता के कारण 1971 से देश में सोने के तस्कर-आयात में कमी हुई है। इसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों के दौरान पकड़ी गई चांदी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1969 में सीमाशुल्क संशोधन अधिनियम के लागू किये जाने के पश्चात् देश से चांदी के तस्कर-निर्यात में भी कमी हुई है।

(ख) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा 1970, 1971 तथा 1972 (अक्तूबर तक) के दौरान पकड़े गये सोने और चांदी का मूल्य निम्नानुसार है :

	सोना (लाख रु०) (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर)	चाँदी (लाख रु०) (भारतीय बाजार दर पर)
1970	428	156
1971	178	84
1972 (अक्तूबर तक)	130	24

(ग) तस्कर–व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना तथा उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों पर तस्कर-व्यापार करने का सन्देह हो उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर सन्देह हो उनकी तलाशी लेना, और समुद्रतट एवं भू-सीमाओं पर सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों पर निगरानी रखना। प्रभावी रूप से मार्ग में रोकने तथा रोकथाम करने आदि के लिए समय-समय पर अतिरिक्त मोटर-नौकाएं तथा वाहन उपलब्ध किये जा रहे हैं। सीमाशुल्क समाहर्ता, सीमाशुल्क के अपर समाहर्ता तथा सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के ओहदे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की देखभाल करने के लिए सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात और निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुगम बनाने के निमित्त विशेष उपाय करने के लिए, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गयी हैं। इस स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

तस्कर-विरोधी उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 (अक्तूबर तक) के दौरान पकड़े गये निषिद्ध माल का मूल्य निम्नानुसार है :

वर्ष	पकड़े गये निषिद्ध माल का मूल्य (लाख रु०)
1970	2207
1971	2083
1972 (अक्तूबर तक)	2092

मैसर्स इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलायज लिमिटेड

3654. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग इस तथ्य से अवगत है कि इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलायज लिमिटेड, जिसका उड़ीसा में कोरापुट में थिरूवेली में अपना फेरोसिलियन का कारखाना है, जो एक ऐसी विक्रय एजेंसी के द्वारा फेरोसिलियन बेच रही है, जो इसके प्रबंध निदेशक के एक निकट संबंधी की है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उस विक्रय एजेंसी की कुल बिक्री कितनी है ; और

(ग) उस विक्रय एजेंसी ने गत तीन वर्षों में अपनी आय पर कितना कर दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अब तक की गई जांच-पड़ताल से पता चलता है कि इस प्रकार की कोई विक्रय एजेंसी नहीं है ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न पैदा नहीं होते ।

एशिया '72 मेले में बिजली की कमी

3655. **श्री वरके जार्ज** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया '72 मेले में कुछ मंडप अपनी आवश्यकता से बहुत कम बिजली से काम चला रहे हैं ;

(ख) क्या बिजली की कमी के कारण वहां कुछ सीमा तक व्यापार पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना प्रभाव पड़ा है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । एशिया '72 में मण्डपों को मेला प्राधिकारियों द्वारा आंकी गयी उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त बिजली दी गई है । वास्तव में, किसी भी अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास आवश्यकता से अधिक मात्रा में बिजली उपलब्ध है ।

(ख) तथा (ग) : जी नहीं । व्यापार पर बिजली की कमी के कारण बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है ।

ऋण नियन्त्रण समाप्त करने के बारे में रूई मंत्रणा बोर्ड की बैठक

3656. **श्री वरके जार्ज** :

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 नवम्बर, 1972 को बम्बई में रुई मंत्रणा बोर्ड की बैठक में ऋण नियंत्रण समाप्त करने और वर्ष 1972–73 के लिये रूई मूल्य नीति की घोषणा करने पर जोर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में हुए विचार-विमर्श का सारांश क्या है और इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) तथा (ख)** : 11 नवम्बर 1972 को रूई सलाहकार बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने वर्ष 1972–73 के लिए सरकार की रूई कीमत नीति की शीघ्र घोषणा करने तथा ऋण नियंत्रणों को, जो रुई की कम सप्लाई के कारण लगाये गये थे, समाप्त करने का आग्रह किया ।

सरकार की रूई कीमत नीति की शीघ्र ही घोषणा होने की आशा है । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने हाल ही में रूई के संबंध में अपनी उदारीकृत ऋण नीति की घोषणा की है ।

एयर इण्डिया को होने वाले घाटे को पूरा करने के लिये कार्यवाही

3657. **श्री वरके जार्ज** :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया को वर्ष 1971–72 में भारी घाटा उठाना पड़ा था और उसे अभी तक घाटा हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और घाटे को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इण्डिया को वर्ष 1971/72 के दौरान 1·66 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(ख) इसके मुख्य कारण ये थे :

(i) वेतन समझौतों के फलस्वरूप वेतनों में काफी वृद्धि होना ।

(ii) पाकिस्तानी आक्रमण के कारण सेवाओं का विच्छिन्न होना ।

(iii) यूरोप और यू० एस० ए० से पर्यटकों के आगमन पर, वहाँ के मुद्रा-संकट के कारण, प्रतिकूल प्रभाव पड़ना ।

(iv) विमानों के बलात् अपहरण के खतरे के उपचार स्वरूप बीमा दरों में वृद्धि होना ।

(v) ईंधन तथा अन्य परिचालन लागतों के मूल्य में वृद्धि होना ।

(vi) विदेश-यात्रा-कर के फलस्वरूप विदेश यात्रा पर निरोधात्मक प्रभाव पड़ना ।

(vii) पाकिस्तानी भू-भाग पर से बचने के लिये लम्बी चक्कर काट कर उड़ान करने के कारण अतिरिक्त व्यय ।

एयर इण्डिया ने व्यय में कमी करने के लिये कई उपाय किये हैं जिनमें ये सम्मिलित हैं : यदि सर्वथा अनिवार्य ही न हो तो नई भर्त्ती पर कड़ी रोक ; कुछ विमान सेवाओं में कटौती और कई "ऑन–लाइन" कार्यालयों को बदल कर "ऑफ लाइन" कार्यालयों का रूप देना; यात्रियों के लिये निःशुल्क भू-परिवहन व्यवस्था (फ्री ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन) की समाप्ति; और प्रशासनिक तथा प्रचार संबंधी खर्चों पर कड़ा नियंत्रण ।

विदेशी कम्पनियों पर बकाया आय-कर

3658. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1955–56, 1960–61, और 1971–72 में सब से बड़ी 20 विदेशी कम्पनियों में से प्रत्येक पर आय-कर की कुल कितनी रकम बकाया थी; और

(ख) इस संबंध में यदि कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं तो वे क्या-क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : **(क) और (ख)** : आयकर संबंधी आंकड़े किसी निर्धारिती की परिसम्पत्तियों के अनुसार नहीं रखे जाते, इसलिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट विदेशी कम्पनी अथवा कम्पनियों के बारे में सूचना चाहते हों तो वह उपलब्ध की जा सकती है ।

हवाई अड्डों पर मुद्रा विनिमय करने वालों की अत्यधिक संख्या

3659. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनका ध्यान 22 सितम्बर, 1972 के बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'इकानामिक टाइम्स' 'एयर पोर्ट इनफेस्टड विद मनी चेन्जर्स' (हवाई अड्डे पर मुद्रा विनिमय करने वालों की अत्यधिक संख्या) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत डीलर अथवा मुद्रा विनिमयकर्ता (मनी चेन्जर) से अन्य किसी भी व्यक्ति के लिये भारत में विदेशी पर्यटकों से कोई भी भुगतान विदेशी मुद्रा में लेना निषिद्ध घोषित किया गया है। कुछ परिवर्तन कानून में भी किये गये हैं जिन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक 1972 में समाविष्ट किया गया है जिसे 29–8–72 को लोक सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है और जो अब एक संयुक्त समिति के समक्ष है।

विदेशों को वित्तीय सहायता

3660. **श्री राम प्रकाश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश अन्य देशों को आर्थिक और वित्तीय सहायता भी देता है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश को गत तीन वर्षों में कितनी सहायता दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना अनुबन्ध I, II और III में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3958-72]**

बंगला देश में पुर्जे जोड़ कर तैयार की गई कारों के लिए बातचीत

3661. **श्री डी० के० पंडा** :

श्री समर गुह :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश सरकार के साथ वहां से 5000 कारें खरीदने के लिए कोई बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के बारे में विधि आयोग की सिफारिशें

3662. **श्री के० बालदण्डायुतम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क का भुगतान न करने और विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने पर निवारक निरोध की व्यवस्था करने के लिए संविधान में संशोधन करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : जी हां।

(ख) सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

भारत में विदेशी इंजीनियरिंग कम्पनियां

3663. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य कर रही ऐसी प्रत्येक विदेशी इंजीनियरिंग कम्पनी ने गत तीन वर्षों में कितना धन विदेशों को भेजा है जिनके पास 50 प्रतिशत तथा इससे अधिक इक्विटी शेयर हैं; और

(ख) उनका शीघ्र भारतीयकरण करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) और (ख)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी सूचना उपलब्ध होगी उतनी लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जब विदेशी प्रभुत्व वाली कम्पनियों को जिनमें विदेशी इंजीनियरी कम्पनियाँ भी शामिल हैं, उनके विस्तार के लिए अनुमति दी जाती है तब 19 फरवरी 1972 के प्रेस नोट में घोषित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, इस प्रकार की कम्पनियों में विदेशी शेयर-धारिता कम करने के लिए इस अवसर से लाभ उठाया जाता है । इस संबंध में जारी किए गए प्रेस नोट की एक प्रति संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 3959/72]**

"विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक 1972" के अधिनियमित हो जाने के बाद, जो संसद में पिछले सत्र में प्रस्तुत किया गया था, उन सभी कम्पनियों के मामलों पर विचार किया जायगा जिनमें 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विदेशी शेयरधारिता है ।

विदेशी और देशीय ऋणों की बकाया राशि

3664. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्तूबर, 1972 को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने विदेशी और देशीय ऋण देय थे और मूल तथा ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जानी है ; और

(ख) इसमें से कितनी राशि विकास कार्यों पर खर्च की गई ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उपलब्ध सूचना दी गयी है ।

(ख) सरकार द्वारा लिये गये ऋण, प्रायः विकासात्मक परिव्यय के वित्त प्रबन्ध के लिए उपयोग किये गये हैं ।

विवरण

1. 30 सितम्बर 1972 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गये विदेशी तथा आन्तरिक ऋणों की बकाया राशि;

(1)	विदेशी ऋण	7692 करोड़ रुपये†
(2)	केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गये आन्तरिक ऋण	5206 " "†

11. ऋणों की वापसी अदायगियों और ब्याज की अदायगियों की रकम ऋणों की राशियों और ऋणों की मदों के संदर्भ में हर साल बदलती रहती हैं । 1972-73 में देय ऋण राशियों और ब्याज की अदायगियों के अनुमानित आंकड़े इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

		मूलधन की वापसी अदायगियां	ब्याज की अदायगियां
(1)	विदेशी ऋण	251.97	182.27
(2)	केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये आन्तरिक ऋण	300.22	231.68

† आंकड़े अनन्तिम हैं ।

देश में समुद्र-तट पर स्थलों के विकास का प्रस्ताव

3665. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये देश में समुद्री-तटों पर स्थित स्थलों के विकास के लिये किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने स्थलों का चालू वर्ष में विकास किया जायेगा; और

(ग) उनके विकास पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : त्रिवेन्द्रम के निकट कोवालम में 221.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक समुद्रतटीय विहार का विकास किया जा रहा है। 40 कुटीरें बन चुकी हैं तथा होटल और अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।

भारत पर्यटन विकास निगम महाबलिपुरम में अपने यात्री लॉज में 17 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 20 कुटीरें और बनाकर आवास का विस्तार कर रहा है। इन कुटीरों के शीघ्र ही तैयार हो जाने की आशा है।

गोवा का एक प्रमुख समुद्रतटीय विहार के रूप में विकास करने का भी प्रस्ताव है तथा उसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

Number of Tourist Centres having arrangements for Boarding and Lodging of Foreign Tourists

3666. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of Tourism & Civil Aviation be pleased to state the State-wise number of Tourist centres where arrangements for boarding and lodging of foreign tourist have been made by Government ?

The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : A statement is attached, indicating the units owned/operated by the India Tourism Development Corporation (a public sector undertaking) and their location. **[Placed in Library. See No. L. T. 3960/72]** The Youth Hostel at Jaipur has been constructed by the Department of Tourism, and the two hotels at Puri and Ranchi are owned/operated by the Railways.

विदेशी गैर-सरकारी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिये छूट देना

3668. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यातोन्मुख उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिये सरकार ने क्या छूट देने की घोषणा की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): निर्यातोन्मुख उद्योगों को विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में प्राप्य रियायतों की घोषणा अप्रैल 1972-मार्च 1973 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (वोल्यूम II-सेक्सन 1-3 भाग क) में, पहले ही की जा चुकी है। सम्बद्ध अंश संलग्न है।

विवरण

अप्रैल 1972–मार्च 1973 वर्ष के लिए आयात व्यापार

नियंत्रण नीति के सेक्सन 1–भाग क वोल्यूम 11 का अंश

"निर्यातोन्मुख एककों में सहयोग

3. मुख्यतः निर्यातोन्मुख एककों के मामले में विदेशी सहयोग की अधिक निर्बाध रूप से

अनुमति दी जायेगी। वर्तमान सहयोग करारों को, जिनमें निर्यातों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था है, उनके पुनर्नवीकरण के समय उपयुक्त ढंग से संशोधित कर दिया जायेगा। विदेशी सहयोग के सभी आवेदन पत्र सीधे विदेशी निवेश बोर्ड सचिवालय, औद्योगिक विकास मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

4. व्यापारिक कार्यकलापों में विदेश सहयोग की अनुमति न दिए जाने सम्बन्धी नीति में भी ढील दी जा सकती है बशर्ते ऐसा सहयोग अनन्यतः निर्यातों के अभिप्राय से हो।

5. कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भी विदेशी सहयोग पर विचार किया जा सकता है यदि सहयोग करार में उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात करने की व्यवस्था हो।"

कृत्रिम रेशे के स्थान पर पटसन के निर्यात के बारे में सुझाव

3669. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशे के स्थान पर पटसन के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये अमरीका और पश्चिम यूरोप का दौरा करने वाले प्रतिनिधि-मंडल ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई सुधारात्मक कार्यवाही करने का सुझाव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो सुधारात्मक कार्यवाही के लिये क्या सुझाव दिये गये ; और

(ग) क्या सरकार ने उन सुझावों को स्वीकार कर लिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां। परिणामस्वरूप, प्रति वर्ग गज 9 औंस तथा इससे अधिक वजन वाले प्राइमरी पटसन कालीन अस्तर पर निर्यात शुल्क 400 रु० प्रति मे० टन दिया गया है। अन्य सुझाव विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण

पटसन के सम्बन्ध में वर्तमान समस्याओं की जांच करने तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु उपायों की सिफारिश करने के वास्ते उत्तर अमरीका/ब्रिटेन/बेल्जियम को भेजा गया पांच सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल तथा अन्वेषण करने वाला प्रतिनिधि-मण्डल था जिसमें सरकार के दो प्रतिनिधि तथा पटसन उद्योग के तीन सदस्य शामिल थे। प्रतिनिधि-मण्डल ने विस्तार में अध्ययन किया।

2. प्रतिनिधि-मण्डल ने एकमत होकर यह राय व्यक्त की है कि गत 18 महीनों के दौरान संश्लिष्टों की तुलना में पटसन की स्थिति में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ है और यदि तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही न की गई तो तीव्रता से होने वाले क्षरण को रोका नहीं जा सकता। 1971 में हमारे निर्यातो में जो पर्याप्त वृद्धि हुई उसमें इस बात को नहीं बताया गया है कि उस अवधि में बंगला देश से लदान के रुक जाने पर उस कमी को संश्लिष्टों से ही पूरा किया गया। यदि संश्लिष्टों की सप्लाई में कमी न होती तो क्षरण इससे भी अधिक होता।

3. संश्लिष्टों के इस क्षेत्र में और प्रवेश पाने को रोकने के विचार से प्रतिनिधि-मण्डल ने सिफारिश की है कि :

(1) कालीन अस्तर तथा हैसियन दोनों की कीमतों को यथासम्भव शीघ्र उस स्तर तक कम करना आवश्यक है, जिस स्तर पर वे संश्लिष्टों की कीमतों से प्रतियोगिता कर सकें।

(2) यह आवश्यक होगा कि कीमतों में समुचित स्थिरता सुनिश्चित की जाये और नियमित रूप से निर्बाध सप्लाई होती रहे।

(3) इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक होगा कि कच्चे पटसन की उचित कीमतों पर पर्याप्त तथा समय पर सप्लाई की जाये।

(4) जहां भी आवश्यक हो गवेषणा तथा उत्पाद विकास के लिए और जिन क्षेत्रों में संवर्धन तथा प्रचार का आवश्यक प्रभाव पड़ सके उनमें कारगर उपाय किये जाने होंगे।

(5) निर्यात संवर्धन, गवेषणा तथा विकास हेतु आवश्यक निधियों की व्यवस्था करने के लिए उचित उपाय किये जाने चाहिए।

(6) यह वांछनीय है कि पटसन माल के दो प्रमुख उत्पादकों के बीच बहुत शीघ्र बातचीत हो ताकि परस्पर सहयोग की भावना से दोनों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों का लाभ उठाया जा सके।

4. संक्षेप में, प्रतिनिधि-मण्डल ने यह अनुरोध किया है कि भारत में पटसन की कीमतों में कमी' कीमतों में स्थिरीकरण तथा पटसन के निर्मित वस्तुओं का समीकरण भण्डार रखने के लक्ष्य को अविलम्ब प्राप्त किया जाना चाहिए।

आयात में ह्रास

3670. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप चौथी पंचवर्षीय योजना के पृथक तीन वर्षों में आयात में सराहनीय ह्रास हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयात वर्ष प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के पृथक तीन वर्षों में आयात में, वर्ष-वार कितना-कितना ह्रास हुआ ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों तथा चतुर्थ योजना के प्रारम्भ होने से पूर्व वाले वर्ष के दौरान भारत में हुए आयातों के मूल्य इस प्रकार थे :

1968–69	1908.63 करोड़ रु०
1969–70	1582.10 करोड़ रु०
1970–71	1634.20 करोड़ रु०
1971–72	*1812.02 करोड़ रु०

(*आंकड़े अनन्तिम हैं तथा इनमें संशोधन हो सकता है)

यद्यपि 1968–69 के पश्चात् आयातों में सुस्पष्ट गिरावट आई थी, किन्तु हाल में घरेलू और साथ ही साथ निर्यात उत्पादन के लिए उद्योगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण आयातों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जबकि आयात प्रतिस्थापन का प्रयास जारी है, वास्तविक आयातों के आँकड़ों से पता चलता है कि उन पर अनेक कारणों का प्रभाव पड़ा है, जिनमें आयात करने में पिछड़ना आदि बातें भी शामिल हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि गिरावट हो रही है या प्रत्येक वर्ष अधिक गिरावट होती जायेगी।

साबुन-तेल आदि और प्रसाधन सामग्री का निर्यात

3671. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की अपेक्षा साबुन-तेल आदि और प्रसाधन सामग्री के निर्यात में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ; और

(ख) किन देशों को साबुन तेल आदि का निर्यात किया जाता है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970-71 के मुकाबले 1971-72 में 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है ।

(ख) सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, मलयेशिया, ब्रिटेन, सूडान, कीनिमा, हंगरी, कुवैत, फिजी द्वीप समूह, सऊदी अरब, बहरीन द्वीप समूह भारत से इन चीजों का आयात करने वाले मुख्य देश हैं ।

पकड़े गये आयातित ऊनी चिथड़ों को छोड़ने के लिये पंजाब सरकार की ओर से अभ्यावेदन

3672. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पकड़े गये आयातित ऊनी चिथड़ों को छोड़ने के लिये पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य द्वारा क्या कारण बताये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने महसूस किया कि पकड़े हुए आयातित माल पर नाममात्र का सीमाशुल्क लगाकर उसे रिलीज करके ही लुधियाना के ऊनी उद्योग को बचाया जा सकता है ।

हथकरघा वस्त्रों के निर्यात में असाधारण कमी

3673. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा वस्त्रों के निर्यात में असाधारण कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता के लिये जापान से आये अध्ययन दल के साथ बातचीत

3674. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार के एक अध्ययन दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और जापान से भारत को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता देने के बारे में भारत सरकार के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो जिन बातों पर चर्चा हुई उनका सारांश क्या है ; और

(ग) क्या भारत को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में जापान के साथ कोई करार हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) और** (ख) : तोशीबा तुंगालोय कम्पनी लि० के

अध्यक्ष और प्रतिनिधि निदेशक के नेतृत्व में एक जापानी प्रतिनिधि-मण्डल ने भारत में विदेशी पूंजी निवेश और सहयोग के विषय में वातावरण का अध्ययन करने के लिए 31 अक्टूबर से 14 नवम्बर 1972 तक के दौरान भारत का दौरा किया था। उक्त दल ने भारत सरकार के विभिन्न मत्रालयों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था। प्रतिनिधि मण्डल वित्त मंत्री तथा योजना मंत्री से भी मिला था।

दल ने विभिन्न बैठकों में जो स्पष्टीकरण मांगे थे उनका सम्बन्ध मुख्यत: औद्योगिक लाइसेंस कार्य-प्रणाली और नीति, आयात नियंत्रण नीति, वित्तीय भागीदारिता, अधिकार शुल्क और लाभांशों पर कर, सहयोग करारों की अवधि, एक से अधिक पार्टियों द्वारा तकनीकी जानकारी में भागीदारिता और पांचवी पंचवर्षीय आयोजना आदि के विकास कार्यक्रम से था। विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग में हुई बैठकों में उपर्युक्त विषयों पर उपयुक्त विषयों पर उपयुक्त स्पष्टीकरण दिए गए थे। वित्त मंत्री के एक हुई थोड़ी देर की बैठक में बड़ी परियोजनाओं के लिए जापान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग की सम्भावना के बारे में स्थूल रूप में बातचीत हुई थी।

(ग) जी, नहीं। बातचीत के दौरान, ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया गया जिन के लिए पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना में जापानी सहयोग सार्थक होगा और उसका स्वागत किया जायगा। ये क्षेत्र हैं: इस्पात, उर्वरक, तेल अन्वेषण, रसायन और पेट्रो-रसायन, जहाज निर्माण आदि।

भारत के साथ रुपये में व्यापार-संधियां समाप्त करने के पक्षपाती देश

3675. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश देश, जिनके साथ भारत का रुपयों में व्यापार चलता है, इस प्रकार का व्यापार समाप्त करने के पक्ष में हैं और द्विपक्षीय आधार पर सीधे व्यापार के लिए नए समझौते करना चाहते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं और इस बारे में उनके क्या विचार हैं ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उन देशों के साथ वैकल्पिक व्यापार संधियां करने के लिए कोई बातचीत हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : केवल युगोस्लाविया ने भारत के साथ रुपये में व्यापार समाप्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी और दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत वार्ताओं के पश्चात् यह विनश्चय किया गया कि 1.1.1973 से भारत तथा युगोस्लाविया के बीच सभी प्रकार का व्यापार तथा भुगतान सम्बन्धी लेन-देन मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किया जायेगा। दोनों देशों द्वारा शीघ्र ही एक नए व्यापार करार किये जाने की सम्भावना है जो 1.1.1973 से लागू होगा।

नारियल जटा बोर्ड द्वारा भर्ती तथा पदोन्नति नियमों को अन्तिम रूप देना

3676. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड ने अपने भर्ती, पदोन्नति आदि नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय वहां भर्ती तथा पदोन्नति कैसे की जाती है ; और

(ग) इन्हें अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भर्ती नियम अभी तक

अन्तिम रूप से तैयार नहीं किये गये हैं।

(ख) कयर बोर्ड की कार्यकारिणी समिति को उपविधि, 1955 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय समय पर कयर बोर्ड द्वारा संकल्पों के रूप में बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सभी नियुक्तियाँ उस समिति के द्वारा की जाती हैं।

(ग) भर्ती नियमों को अन्तिम रूप देने के लिए कयर बोर्ड में एक उप-समिति स्थापित की गई थी। उप-समिति ने अन्तिम रूप से अभी तक कोई सिफारिशें नहीं की हैं। कयर बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वह शीघ्र ही नियमों को अन्तिम रूप दे।

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कार की बिक्री के सम्बन्ध में जांच

3677. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 नवम्बर, 1972 के ब्लिट्ज नामक समाचार पत्र में 'कार सोल्ड फार ओनली सिक्स पैसे' (केवल 6 पैसे में कार की बिक्री) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह घटना पंजाब नेशनल बैंक में हुई ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मामले की कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) : पंजाब नेशनल बैंक को कोई सम्पत्ति उसके भूतपूर्व अभिरक्षक को न तो बेची गयी है और न बेची जायगी।

लीबिया के चाय भाण्डागार का केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल यातायात निगम को सौंपना

3678. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थिति लीबिया का चाय भाण्डागार हाल ही में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल यातायात निगम को सौंप दिया गया है;

(ख) क्या चाय बोर्ड केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल यातायात निगम द्वारा भाण्डागार चलाये जाने में 20 लाख रुपये तक की हानि को वहन करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो 28 जुलाई, 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 1449 के उत्तर में दिये गये आश्वासन, कि उक्त भाण्डागार का अधिग्रहण किया जायेगा तथा इसे चाय बोर्ड द्वारा 60 वर्ष तक चलाया जायेगा, के उल्लंघन के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। हानियों की पूरी सीमा तक ।

(ग) चाय उद्योग की आर्थिक स्थिति और समस्याओं की सभी पहलुओं से व्यापक संविक्षा करने तथा उसके उपयुक्त विकास के लिए उठाये जाने वाले उपायों संबंधी सिफारिशें करने के लिये, श्री पी० सी० करुआ की अध्यक्षता में सरकार द्वारा 1967 में स्थापित की गई एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने और बातों के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि चाय बोर्ड को लीबिया के भाण्डागार का उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिये। सरकार द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई थी और इस की घोषणा विदेश व्यापार मंत्रालय के संकल्प सं० 2/10/प्लान्ट (ए)/70-(बी-सी) दिनांक 24 जुलाई

1970 में की गई थी जिसकी एक प्रति 2 सितम्बर 1970 को लोक सभा पटल पर रख दी गई थी। मैसर्स बार्मर लारी एण्ड कम्पनी द्वारा, जो लीबियाई भाण्डागार को चला रहे थे, चाय का भाण्डागार व्यवसाय बंद कर देने के पश्चात्, सरकार के आदेशों के अन्तर्गत, 31 दिसम्बर, 1973 तक की अवधि के लिए इस भाण्डागार को 12 जुलाई 1972 को केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल यातायात निगम ने अपने हाथ में ले लिया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के लिए मापदंड

3679. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह निश्चय करने के लिए नवीनतम मापदंड क्या अपनाया गया है कि किसी विशेष परियोजना क्षेत्र में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी परियोजना भत्ता पाने के अधिकारी हैं या नहीं; और

(ख) क्या संबंधित क्षेत्र के विकास स्तर में कोई विशेष परिवर्तन किये बिना, एक बार मंजूर किये गये ऐसे भत्तों को समाप्त किया जा सकता है अथवा कम किया जा सकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को परियोजना भत्ता, निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर मंजूर किया जाता है :

(I) परियोजना विशाल आकार की होनी चाहिए। उसके कार्यान्वयन में विशाल निर्माण संगठन लगे, और निर्माण का काम कई वर्षों तक चले।

(II) वहां मकान, स्कूल, बाजार, औषधालय आदि की सुविधाओं का अभाव हो। अर्थात्, यदि परियोजना शहर में स्थित है जहां नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता और/अथवा मकान किराया भत्ता मिलता है तो परियोजना भत्ता नहीं मिलेगा। यदि परियोजना किसी नगर के निकट स्थित है तो वहां परियोजना भत्ता मंजूर तो किया जा सकता है परन्तु निम्नतर दरों पर।

(III) भत्ता पाने की पात्रता के लिये कर्मचारी परियोजना के काम पर अथवा परियोजना के काम में परिनियुक्त हों, और उन्हें परियोजना क्षेत्र में अथवा वहीं कहीं पास में ही रहना पड़ता हो।

(ख) यह भत्ता स्थायी आधार पर चालू रखने का इरादा नहीं है और उसको चालू रखने का प्रश्न, निवास की सुविधाओं की उपलब्धि-अनुपलब्धि पर निर्भर है, ये सुविधायें उपलब्ध होते ही, भत्ते, जहां आवश्यक हो वहां क्रमशः, इस प्रकार घटा दिये जाते हैं कि अंततः वे बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं

लैटिन अमरीकी देशों द्वारा खरीदी गई भारतीय फीचर फिल्में (कथा चित्र)

3680. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इक्वेडर, बोलिविया और पेरू नामक लैटिन अमरीकी देशों ने 37 भारतीय कथा चित्र लगभग 22 लाख रुपये में खरीदे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय चलचित्र उद्योग के इतिहास में यह ऐसा पहला वाणिज्यिक सौदा है; और

(ग) क्या सरकार भारतीय चलचित्र निर्यात निगम को नई विदेशी मण्डियां ढूंढने के लिए प्रोत्साहन कर रही है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इक्वेडर, बोलिविया तथा

पेरू के लैटिन अमरीकी देशों के साथ लगभग 35 लाख रु० मूल्य के बावन भारतीय रूपक फिल्मों की बिक्री के विषय में सौदा तय हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) 1 नवम्बर, 1972 से रूपक फिल्मों का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया है और वह संगठन, विदेशों में भारतीय फिल्मों के निर्यात का संबर्धन करने के लिए योजनायें बनायेगा।

एकाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति

3681. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग के अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं कि अध्यक्ष के न रहने पर एकाधिकार आयोग के कार्य में बाधा न पड़े ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) इस पद को भरने के पग उठाये जा रहे हैं। तथापि, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आयोग, जिसने भूतपूर्व अध्यक्ष के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो जाने के पश्चात्, दो रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, के कार्य में कोई बाधा नहीं आयी है।

घाटे की अर्थव्यवस्था

3682. **श्री बी० आर० परमार :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना दस्तावेजों में प्रथम तीन योजनाओं के दौरान कितनी घाटे की अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया गया था और वस्तुतः कितनी घाटे की अर्थव्यवस्था की गई थी; और

(ख) उस अवधि में घाटे की अर्थव्यवस्था कितनी की गई जब तीसरी योजना के पश्चात् केवल वार्षिक योजनायें क्रियान्वित की जा रही थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) और (ख)** : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा की गई घाटे की वित्त व्यवस्था

	आयोजना प्रलेख में परिकल्पित रकम	वास्तविक रकम
पंचवर्षीय आयोजनायें		
पहली आयोजना	290	338

दूसरी आयोजना	1200	992
तीसरी आयोजना	550	1133
वार्षिक आयोजनायें		
1966–67	12	189
1967–68	14	224
1968–69	307	236

टिप्पणी : प्रथम दो आयोजनाओं की अवधि की घाटे की वित्त-व्यवस्था के आंकड़ों की बाद की आयोजनाओं की अवधियों के आंकड़ों के साथ पूरी तरह तुलना नहीं की जा सकती। प्रथम दो आयोजनाओं की अवधि के घाटे की वित्त व्यवस्था में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के रोकड़ शेष में होने वाले परिवर्तन, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गयी राजकोष हुंडियों में होने वाले वास्तविक परिवर्ततन तथा रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अग्रिम शामिल थे किन्तु तीसरी आयोजना के प्रारम्भ से इस व्यवस्था को और व्यापक बना कर उसमें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के लिए दिए जाने वाले समर्थन को भी शामिल कर दिया गया है।

भारत में विदेशी पूंजी निवेश

3683. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1972 को भारत में विदेशी व्यापार में निवेश कुल कितनी राशि का है; और

(ख) चालू पंच-वर्षीय योजना की शेष अवधि में कितना विदेशी पूंजी-निवेश होने की आशा है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये त्वरित अनुमानों के अनुसार, 31 मार्च, 1971 को कुल विदेशी निवेशों के अनन्तिम आंकड़े 1672.4 करोड़ रुपये के हैं जिसमें से गैर-सरकारी विदेशी स्रोतों के निवेशों की रकम लगभग केवल 1319.7 करोड़ रुपये है। ऐसे निवेशों के अद्यतन अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) चौथी पंचवर्षीय आयोजना की पूरी अवधि (1969–70 से 1973–74 तक) में ऋणों सहित विदेशों से कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी की प्राप्ति का अनुमान है। इसके मुकाबले, चौथी आयोजना के पहले दो वर्षों में, अर्थात 1969–70 और 1970–71 के दौरान, रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार कुल मिलाकर 240.3 करोड़ रुपये की सकल विदेशी पूंजी की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। उपर्युक्त रकम में 47.0 करोड़ रुपये की प्रतिधारित अर्जित रकमों के रूप में निवेशों की रकम शामिल नहीं है।

अमरीका से प्राप्त हुए ऋणों की अदायगी

3684. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अमरीका से कुल कितनी राशि के ऋण प्राप्त किए हैं;

(ख) इन ऋणों की कितनी वार्षिक अदायगी करनी होती है;

(ग) इन ऋणों की कितनी राशि अदा की जा चुकी है; और

(घ) इन ऋणों की अदायगी के लिए तैयार की गई समय सारिणी का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 30 सितम्बर, 1972 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त ऋणों (हस्ताक्षारित ऋण करारों का मूल्य) की राशि 4,639 करोड़ रुपया है।

(ख) इन ऋणों के सम्बन्ध में ऋण परिशोधन की वार्षिक देनदारी प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग होती है। 1972-73 में ऋण परिशोधन सम्बन्धी देनदारी की अनुमानित राशि 63 करोड़ रुपया बैठती है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष अदा किये जाने वाले ब्याज की राशि 79 करोड़ रुपया है।

(ग) 30 सितम्बर 1972 की स्थिति के अनुसार ऋणों की 420 करोड़ रुपये की रकम वापस की जा चुकी है।

(घ) प्रत्येक ऋण, उस पर लागू होने वाले ऋण-परिशोधन कार्यक्रम के अनुसार कई वर्षों में वापस करना होता है। ऋण-शोधन की अवधि सामान्यतः 7 से लेकर 40 वर्षों तक की होती है।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

3685. **श्री निम्बालकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : सामाजिक और आर्थिक अपराधों के अभियोग और दण्ड के बारे में विधि आयोग की 47 वीं रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों और स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के प्रवर्तन में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिनियम में संशोधन करने के कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

औद्योगिक एककों के लिए पश्चिम जर्मनी से गैर-सरकारी निवेश की आशा

3686. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में भारत के औद्योगिक एककों के लिए पश्चिम जर्मनी से कुल कितना गैर-सरकारी पूंजी निवेश प्राप्त होने की आशा है; और

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहाँ स्थित हैं जिनमें यह पूंजी निवेश किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : 1973-74 में पश्चिम जर्मनी द्वारा लगाई जाने वाली संभावित पूंजी का तथा उन उद्योगों के नामों और स्थानों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है जहाँ यह पूंजी लगाई जाएगी। परन्तु समस्त चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में अर्थात् 1969-70 से 1973-74 तक संसार भर से देश में ऋणों सहित 300 करोड़ रुपये की गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के आने का अनुमान है।

परिचालन में सिक्कों का मूल्य

3687. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितने मूल्य के सिक्के परिचालन में हैं; और

(ख) वर्ष 1973 में कुल कितने मूल्य के सिक्के परिचालन में लाए जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अगस्त, 1972 के अन्त में चलन

में आ रहे छोटे सिक्कों का ब्यौरा

	(सबसे हाल के उपलब्ध आंकड़े) (मूल्य-हजार रूपयों में)
50 पैसे	39,70,75
25 ,,	37,76,54
20 ,,	8,00,63
10 ,,	23,75,49
5 ,,	16,85,56
3 ,,	4,52,33
2 ,,	7,34,33
1 पैसा	5,62,19
	143,57,82

इसके अलावा, दशमिक प्रणाली के सिक्कों से पहले के जो सिक्के अभी भी चलन में आ रहे हैं, उनका ब्यौरा यह है :

निकल-पीतल की दुअन्नी	59,34
तांबा-निकल की ,,	91,03
निकल-पीतल की इकन्नी	3,36,95
तांबा-निकल की ,,	—
निकल-पीतल की अधन्नी	2,31,79
तांबे निकल की अधन्नी	69,70
एक पैसा	3,48,99
	11,77,80

(ख) 1973–74 में जारी किये जाने वाले छोटे सिक्कों की संख्या इस बात पर निर्भर होगी कि भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमानित आवश्यकताओं की तुलना में तीनों टकसालों की उत्पादन क्षमता कितनी है और रिजर्व बैंक अपने कार्यालयों और रेजगारी डिपुओं को सिक्कों की पूर्ति का आबटन करने के लिए क्या प्रबन्ध करता है। 1973–74 में जनता को लगभग 37 करोड़ रुपये के सिक्के जारी किये जाने का अनुमान है।

पटसन की निर्यात/आयात नीति में परिवर्तन

3688. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन की आयात-निर्यात नीति में कोई परिवर्तन किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन के सम्पूर्ण व्यापार का अधिग्रहण

3689. **कुमारी कमला कुमारी :**
श्री कमला मधुकर :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटसन के सम्पूर्ण व्यापार के अधिग्रहण का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह अनुमान लगाया जाता है कि भारतीय पटसन निगम कुछ वर्षों में कच्चे पटसन के संपूर्ण व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लेगा ।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि यह कार्य कितनी अवधि में संभव हो पायेगा ।

किसानों को दिये गये अल्प अवधि के ऋणों की वापसी

3690. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों और छोटे उपक्रमों को दिये गये अल्प अवधि के ऋणों की वापस अदायगी निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं हो रही है और रिजर्व बैंक के अधिकारी इस मामले में अधिक चिन्तित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : छोटे किसानों और छोटे उद्योगकर्ताओं को सरकारी क्षेत्र के बैंकों से मिलने वाले अल्पावधिक ऋणों के आँकड़ अलग से नहीं रखे जाते । जून 1971 के अन्त तक की अवधि की सबसे हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार किसानों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों से मिलने वाले प्रत्यक्ष वित्त की वसूली माँग का 60 प्रतिशत हुई है । सामान्यतः कृषकों को दिये गये अग्रिमों की वसूली के लिये बैंकों को गम्भीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा । कुछ राज्यों में बाढ़, सूखा, तूफान जैसी प्राकृतिक विपत्तियों के कारण अतिदेय राशियां अपेक्षाकृत अधिक हैं और अग्रिमों की वापसी के लिए नया कार्यक्रम बनाया गया है ।

छोटे किसानों अथवा छोटे उद्यमकर्ताओं को दिये गए ऋणों के संबंध में कोई विशेष चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई; बैंकों को स्वभावतः सभी मामलों में वसूली के सम्बन्ध में सावधानी बरतनी पड़ती है ।

उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की पृथक कलक्टरी

3691. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र को उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की पृथक कलक्टरी खोलने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार ने यह अनुरोध मान लेने का फैसला किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार ने सुझाव

दिया था कि उड़ीसा के लिए एक अलग केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय उस राज्य में ही स्थित होना चाहिए ।

(ख) तथा (ग) : राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था । राजस्व तथा कार्य-भार की दृष्टि से उड़ीसा के लिए एक अलग ।

अमरीका को निर्यात करने के क्षेत्र में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कार्यवाही

3692. **श्री रण बहादुर सिंह :**

श्री राज राज सिंह देव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन अमरीकी निर्यात के क्षेत्र में भारत का मुख्य प्रतिद्वन्द्वी बन गया है और वह उन्हीं वस्तुओं को अमरीका मण्डी में उन का निर्यात बढ़ाने के लिए 'भरसक प्रयत्न' कर रहा है जिन्हें भारत ने चुना है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में चीन से प्रतिस्पर्धा करने के लिये, भारत ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : चीन के साथ संयुक्त राज्य अमरीका का व्यापार पुनरारंभ हो जाने के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमरीका को किये जाने वाले हमारे निर्यातों पर अभी तक कोई बुरा असर नहीं पड़ा है ।

भारत बंगला देश व्यापार समझौते का पालन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये पश्चिम बगाल का केन्द्र से अनुरोध

3693. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगला देश व्यापार समझौते का प्रभावी ढंग से पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत और बंगला देश द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद कितने मूल्य की तथा कितनी कितनी वस्तुओं का निर्यात तथा आयात किया गया है;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि बंगला देश को निर्यात की जाने वाली वे सभी वस्तुएं जो पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी भारत के अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, इन्हीं क्षेत्रों से ली जाएं और बंगला देश से किया जाने वाला आयात विशेषकर पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए वहां प्रयोग में लाया जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : स्टेट बैंक आफ इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत 31 अक्तूबर, 1972 तक पंजीकृत संविदाओं का मूल्य बंगला देश को निर्यात के रूप में 12.55 करोड़ रुपये तथा आयात के रूप में 5.55 करोड़ रुपये था । इसके पश्चात पटसन के आयात के लिए ऐक संविदा की गयी है जिससे बंगला देश से आयातों की सविदाओं का मूल्य 12.70 करोड़ रुपये हो गया है । सीमित भुगतान व्यवस्था से बाहर की व्यापार संविदाओं का पंजीकरण आवश्यक नहीं है तथा उनके मूल्य के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) तथा (घ) : पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया था कि उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ भारत-बंगला देश व्यापार में पश्चिम बंगाल के भाग लेने को प्रोत्साहन देने

के लिए एक राज्य व्यापार प्रायोजक प्राधिकरण की स्थापना की है, राज्य व्यापार अभिकरणों को परामर्श दिया गया है कि वे व्यापार अवसरों तथा टैंडरों की जानकारी पश्चिम बंगाल के राज्य व्यापार प्रायोजक प्राधिकरण को देते रहें। पश्चिम बंगाल को निकटता तथा परिवहन में बचतों के लाभ प्राप्त हैं जिससे उस राज्य में वे सप्लायर्स टैंडरों में प्रभावपूर्ण प्रतियोगिता कर सकेंगे। बंगला देश से मुख्य आयात पटसन तथा मछली है। पटसन प्रायः पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल की मिलों में प्रयोग होता है और मछली की अधिकांश मात्रा कलकत्ता तथा आस-पास के बाजारों में जाती है।

स्वाधीनता संग्राम के दौरान हानिग्रस्त हुए जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

3694. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वाधीनता संग्राम के दौरान हानिग्रस्त जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा दिये गये उस अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है जो उनकी अधिवर्षता को आयु 65 वर्ष करने अथवा उन्हें 30 वर्ष की सेवा पूरी करने देने के बारे में है जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि ऐसे लाभ देने पर केन्द्रीय सरकार सहमत हो जाती है, तो क्या सरकार के अधीन अन्य वित्तीय संस्थानों के इसी प्रकार के कर्मचारियों को भी ऐसे ही लाभ दिये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : **(क) और (ख)** : कर्मचारियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों पर सावधानी से विचार करने के बाद जीवन बीमा निगम ने, इस सदन में 1 सितम्बर 1972 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 438 के उत्तर में उल्लिखित रियायतों के अतिरिक्त अन्य कोई रियायत मंजूर नहीं करने का फैसला किया है।

(ग) अन्य सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओं के सम्बन्धित कर्मचारियों को लाभ मंजूर करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

वे अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स जो कलकता हवाई अड्डे को पारगमन केन्द्र के रूप में प्रयोग करने के लिये तैयार हैं

3695. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स कलकत्ता हवाई अड्डे का अपने एक पारगमन केन्द्र के रूप में प्रयोग करने के लिये तैयार है और उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या पूर्व जर्मन एयरलाइन्स 'इन्टर फलग' ने भी कलकत्ता हवाई अड्डे के प्रयोग की अनुमति मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) के० एल० एम० से, जिन्होंने कि कुछ समय पूर्व अपनी सप्ताह में एक बार की उड़ान कलकत्ता से दिल्ली बदल दी थी, एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने भारत तथा नीदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय विमान सेवा करार के अन्तर्गत अपनी हकदारी से अधिक एक अतिरिक्त सेवा कलकत्ता के रास्ते परिचालित करने के लिये अनुमति मांगी थी।

युगोस्लाव एयरलाइन्स ने भी कलकत्ता के रास्ते विमान सेवा परिचालित करने में कुछ रुचि दिखाई है, किन्तु युगोस्लाविया के साथ कोई विमान सेवा करार नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जिन विदेशी विमान कम्पनियों को परिचालन का अधिकार है, उनके द्वारा कलकत्ता के रास्ते विमान सेवाओं के परिचालन को पुनः प्रारम्भ करने का सरकार स्वागत करेगी।

मुद्रा सप्लाई में वार्षिक वृद्धि

3696. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1951 से मार्च, 1972 तक मुद्रा सप्लाई में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मुद्रा उपलब्धि में वार्षिक वृद्धि

वित्तीय वर्ष	मुद्रा उपलब्धि*	
	कुल	प्रतिशत वृद्धि
1951–52	–204	–10.1
1952–53	– 48	– 2.6
1953–54	+ 64	+ 3.6
1954–55	+127	+ 6.9
1955–56	+262	+13.4
1956–57	+125	+ 5.6
1957–58	+ 71	+ 3.0
1958–59	+113	+ 4.7
1959–60	+194	+ 7.7
1960–61	+149	+ 5.5
1961–62	+177	+ 6.2
1962–63	+264	+ 8.7
1963–64	+442	+13.4
1964–65	+328	+ 8·7
1965–66	+449	+11.0
1966–67	+421	+ 9.3
1967–68	+400	+ 8.1
1968–69	+429	+ 8·0

* पिहले शुक्रवार की स्थिति के अनुसार।

1969–70	+607	+10.5
1970–71	+753	+11.8
1971–72	+974*	+13.6*

बड़े व्यवसाय-गृहों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

3697. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 75 बड़ें व्यवसाय-गृहों में से प्रत्येक द्वारा विज्ञापनों पर गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गई;

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : यह सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के लिए अपने वार्षिक लेखाओं में विज्ञापनों पर व्यय को अलग से प्रगट करना, अपेक्षित नहीं है।

शोलापुर, लुधियाना, जबलपुर और गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्र को देश के हवाई-मानचित्र में रखने की योजना

3698. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने राज्यों की राजधानियों को छोड़कर शोलापुर, लुधियाना, जबलपुर और गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक केन्द्रों को देश के हवाई मानचित्र में रखने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : इण्डियन एयरलाइन्स का पांचवी योजनावधि के दौरान इनमें से कुछ शहरों को विमान सेवा से जोडने पर विचार करने का प्रस्ताव है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक की बैठक में चर्चा

3699. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक की हाल में हुई बैठक में क्या निर्णय किये गये;

(ख) क्या धनी राष्ट्रों से निर्धन राष्ट्रों को अधिक संसाधनों के हस्तांतरण की समस्या के बारे में बातचीत हुई थी; और

(ग) क्या भारत अपने पक्ष में कुछ प्राप्त करने में सफल हुआ और यदि हां, तो किस हद तक ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा में सुधार, विशेष आहरण अधिकारों के निर्धारण को जारी रखना, विशेष आहरण अधिकारों तथा विकास वित्त के बीच सम्पर्क, विकासशील देशों को रियायती

* अनन्तिम

दरों पर मिलने वाली सहायता में कमी तथा बढ़ते हुए ऋण-भार के संदर्भ में विकास की सम्भावनाओं पर उसका प्रभाव आदि जैसी मुख्य आर्थिक समस्याओं पर चर्चा हुई थी। बैठकों में आम राय यह थी कि समता-दरों के समायोजन के प्रश्न सहित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर, दस के समूह (ग्रुप आफ टेन) जैसे अनन्य समूहों में विचार करने के बजाय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के मंच पर ही विचार किया जाना चाहिए।

(ख) विश्व बैंक के अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विकास दशाब्दी के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में सरकारी विकास सहायता में होने वाली कमी पर चिन्ता व्यक्त की थी और यह प्रस्ताव किया था कि विकासशील देशों को 1974-78 के राजस्व वर्षों की अवधि में विश्व बैंक समूह के वचनों में 11 प्रतिशत वार्षिक की औसत वृद्धि की जाये और इन वचनों का अधिकांश प्रतिशत हिस्सा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों से सम्बद्ध कर दिया जाय। विशेष आहरण अधिकारों को विकास वित्त से जोड़ने के प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा गठित गवर्नरों और उनके सहायकों की एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा से सम्बन्धित सुधारों के मामलों की जांच करेगी।

(ग) ऐसी बैठकों से, विशेष रूप से एक बड़े विकासशील राष्ट्र के रूप में अपने विचार व्यक्त करने के और अन्तर्राष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने के अवसर के अलावा मुख्य आर्थिक विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान का मंच भी उपलब्ध हो जाता है। इनसे देश को किन्हीं तात्कालिक लाभों की अपेक्षा नहीं है।

सरकारी उपक्रमों के रखरखाव में सुधार करने के लिए सरकारी उद्यम ब्यूरो की सिफारिशें

3700. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो ने सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों के रखरखाव में सुधार करने के लिए कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनमें से कौन सी सरकार द्वारा क्रियान्वयन के लिए स्वीकार की गई हैं; और

(ग) कियान्वयन के लिए बनाये गए मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : सरकारी उद्यमों में अनुरक्षण स्तरों में सुधार करने के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा की गयी तथा सरकार द्वारा मंजूर की गयी सिफारिशें निम्नलिखित विषयों के संबंध में हैं :

(i) क्रम बद्ध सूचना देना, अभिलेख *तैयार* करना तथा विश्लेषण का वर्गीकरण;

(ii) अवरोधक अनुरक्षण के अविच्छिन्न कार्यक्रम को लागू करना तथा उत्पादन-पूर्व आयोजन से उसका निकट समन्वय, संयंत्र को पुनः कारगर बनाने तथा उसके प्रतिस्थापन की अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक नीति;

(iii) अनुरक्षण और कार्यचालन कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षकों के लिए गहन शिल्पी प्रशिक्षण तथा पुनर्नवीकरण पाठ्यक्रम;

(iv) निष्पादित कार्य की पुनरीक्षा के लिए अनुरक्षण नियम तथा लक्ष्य स्थापित करना;

(v) अनुरक्षण संगठनों की समय-समय पर पुनरीक्षा करना;

(vi) अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्यक्रम का उचित आयोजन और नियंत्रण करने के लिए कार्यक्रम बनाने और नियंत्रण करने की कार्यक्रम मूल्यांकन पुनरीक्षा तकनीक/आवश्यक मार्ग प्रणाली जैसे आधुनिक तकनीक अपनाना।

रायल सीमा काटन मिल्स, अडोनी में तकुवों की संख्या बढ़ाने हेतु लाइसेंस देने के लिए आन्ध्र प्रदेश की सरकार की सिफारिश

3701. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह सिफारिश की है कि रायल सीमा काटन मिल्स, अडोनी (आन्ध्र प्रदेश) को तकुवों की संख्या बढ़ाने हेतु लाइसेंस दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेंस देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) चालू नीति के अन्तर्गत 25,000 के बाद तकुवा क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं है, चूंकि रायल सीमा काटन मिल्स, अडोनी में पहले की 25,000 से भी अधिक तकुएं हैं अतः अतिरिक्त तकुओं के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटक होटलों के निर्माण के लिए स्वीकृत प्रस्ताव

3702. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 और 1972–73 अब तक आन्ध्र प्रदेश में पर्यटक होटलों के निर्माण के लिये कितने प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है; और

(ख) इस कार्य के लिये कितना ऋण दिया गया है और किन-किन पार्टियों को ऐसे ऋण की मंजूरी दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों के लिये उपयुक्तता की दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1971–72 में 3 होटल परियोजनाओं का और वर्ष 1972–73 में अब तक 7 होटल परियोजनाओं का अनुमोदन किया है।

(ख) अब तक पर्यटन विभाग द्वारा अपनी होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश में होटल बनाने के लिये निम्न पार्टियों को ऋण स्वीकार किये गये हैं :

पार्टी का नाम	होटल परियोजना स्थल	अनुमोदित ऋण की राशि (लाख रुपयों में)
कर्ण एन्टरप्राइजेज प्रा०(लि०) हैदराबाद	हैदराबाद (नार्गाजुन होटल के रूप में चल रहा है।)	15.00
होटल बनजारा (प्रा०) लि०, हैदराबाद।	हैदराबाद	20.00
सन-बीम होटल्स (प्रा०) लि० (अब डालफिन होटल्स लि०) हैदराबाद।	विशाखापत्तनम्	55.00
होटल पार्कलेन (प्रा०) लि०, सिकन्दराबाद।	सिकन्दराबाद	10.00 (सिद्धान्त रूप में स्वीकृति)

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात किये गये माल को अस्वीकार करना

3703. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा जनवरी, 1972 से सितम्बर, 1972 तक निर्यात किये गये माल को बड़ी सख्या में अस्वीकार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार का विचार इस सम्बन्ध में भविष्य में क्या ठोस कार्यवाही करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त वित्तीय सहायता

3704. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में छोटे पैमाने के ऐसे कुल कितने उद्योग हैं जिनकी जनवरी, 1972 से लेकर सितम्बर, 1972 तक स्टेट बैंक आफ इण्डिया से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई ; और

(ख) ऋणों सम्बन्धी कितने आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये तथा उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : **(क) और (ख)** : सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसे जहां तक सम्भव होगा एकत्रित करके सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

मध्य प्रदेश को दिये गये ऋणों को बट्टे-खाते डालना

3705. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने, केन्द्रीय सरकार से अनुत्पादक योजनाओं के लिये राज्य को दिये गये ऋणों को बट्टे-खाते डालने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋणों की कुल राशि कितनी है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

वाइकाउंट विमान न चलाने के सम्बन्ध में निर्णय

3706. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में वाइकाउंट विमान न चलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका प्रभाव किन मार्गों पर पड़ेगा, कितने विमानों का प्रयोग नहीं होगा और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** : इण्डियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में परिचालित किये जा रहे छः वाइकाउन्ट विमानों को 1974-75 तक परिचालन से हटा देने तथा इन मार्गों पर अन्य प्रकार के विमानों द्वारा परिचालन करने का प्रस्ताव है ।

कपड़ा मिलों के आधुनिकरण के लिए विशेष उपाय

3707. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादन बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने विशेष उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां तो इन उपायों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार द्वारा उठाये गए कदम नीचे दिए जाते हैं ?

(1) प्राथमिकता प्राप्त निर्यातक मिलों को मशीनों को विशेषीकृत मदे आयात करने की अनुमति दी जा रही है और उनके लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा अलग रख दी गई है ।

(2) आधुनिकीकरण के लिए प्राथमिकता प्राप्त निर्यातक एककों को सुलभ ऋण दिए जा रहे हैं । योजना की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3961/72**]

(3) 45 एककों के संबंध में, जिनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है, आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए जिसमें लगभग 17 करोड़ रुपये का निवेश अन्तर्ग्रस्त है, मंजूरी दे दी गई है ।

(4) मुनाफे की गुंजाइश, ब्याज की दर, पुनर्भुगतान के संबंध में छूट देने के संदर्भ में कमजोर तथा सीमान्त एककों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया है ।

पूर्व-यूरोपीय देशों के साथ व्यापार के बारे में गोष्ठी

3708. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में पूर्व-यूरोपीय देशों के साथ व्यापार के बारे में एक गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वालों ने यूरोपीय देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या मुख्य प्रस्ताव रखे;

(ग) क्या सम्बद्ध देशों के साथ कोई करार किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) तथा (ख)** : जी हां । नेशनल एलायन्स आफ यंग अन्त्रप्रन्योर्स ने 1 तथा 2 दिसम्बर, 1972 को एक गोष्ठी आयोजित की थी । हालांकि गोष्ठी के विचार विमर्श विदेश व्यापार मंत्रालय को सामान्यत: ज्ञात हैं परन्तु ऐसा समझा जाता है कि कुछ सम्पादन के पश्चात् गोष्ठी की सिफारिशें शीघ्र ही छप जायेंगी । ऐसी आशा है कि लोक सभा के वर्तमान सत्र के समाप्त होने से पूर्व, गोष्ठी की सिफारिशों का अंतिम पाठ सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आस्ट्रेलिया से पूंजी निवेश के लिए प्रस्ताव

3709. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया सरकार ने भारत में पूंजी लगाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस-किस उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में पूंजी लगाना चाहती है ;

(ग) क्या इस बारे में दोनों देशों में कोई समझौता हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न उपस्थित ही नहीं होते ।

युनाइटेड कमर्शियल बैंक जयपुर (राजस्थान)

3710. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड कमर्शियल बैंक जयपुर (राजस्थान) को जयपुर (राजस्थान) जिले के लिये 'लीड बैंक' के रूप में चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे चयन से पूर्व इस बैंक की जिले में कितनी शाखाएं काम कर रही थीं और उसके पश्चात् जिले में कितनी शाखाएं खोली गयी हैं ; और

(ग) क्या जयपुर जिले में स्टेट बैंक आफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर की कई शाखाएं थीं और वे अब भी कार्य कर रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) दिसम्बर, 1969 के अन्त में जब "लीड बैंक योजना" शुरू की गयी थी, युनाइटेड कमर्शियल बैंक की जयपुर जिले में 8 शाखाएं थीं । तब से इस इस जिले में तीन और शाखाएं खोली हैं ।

(ग) 31 दिसम्बर, 1969 को स्टेट बैंक आफ बीकानेर ऐण्ड जयपुर की जिले में 23 शाखाएं थीं । ये सभी शाखाएं काम कर रही हैं तथा अब उनकी संख्या बढ़कर 33 हो गयी है ।

जिलों में लीड बैंक योजना आरम्भ करना

3711. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबों तथा जरूरतमन्दों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिये देश के विभिन्न जिलों में लीड बैंक योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लीड बैंक योजना के आरम्भ हो जाने के परिणामस्वरूप दूसरे बैंकों ने देश में गरीबों तथा जरूरतमन्दों को ऋण देना बन्द कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) लीड बैंक योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिये एक वाणिज्यिक बैंक को नेतृत्व सम्बन्धी जिम्मेदारी सौंप दी गयी है । लीड बैंक उस जिले में स्थित सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक नेता के रूप में काम करता है और उस क्षेत्र के लोगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में समन्वय स्थापित करता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Exports during the Current Year

3712. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the value of commodities in crores proposed to be exported by Government during the current year indicating the names of commodities to be exported ; and

(b) the estimated increase in imports during the current year as compared to that during the preceding year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) The export target for the current financial year 1972—73 is Rs. 1760 crores. However, no separate export target has been laid down for public sector agencies by the Government, as these have their own internal export plans. The principle items of commodities which will contribute to the realisation of the current years target are jute manufactures, tea, cotton textiles, iron-ore, engineering goods, leather and leather manufactures, marine products, cashew kernels, coffee, oil cakes, foodgrains (mainly to Bangla Desh), tobacco, spices, chemicals and allied products.

(b) During the first five months of the current financial year, that is, April-August, 1972, imports at Rs. 700 crores were lower by 8.5% than imports in the corresponding period of 1971. However, this trend is not expected to persist. Imports during the entire year 1972-73 may acceed last years' level.

Jute Imported from Bangladesh

3713. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the quantity of jute imported from Bangladesh so far since its formation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : 45,600 quintals, Sir.

Supply orders for Railway wagons from Sudan and Poland

3714. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri S. R. Damani

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether orders for the supply of Railway wagons were received from Sudan and Poland during the financial year 1971-72 ;

(b) the number of Railway wagons indented by each of the two countries and the value thereof in Indian currency ; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

Loss suffered due to crash of Aeroplanes of Indian Airlines and Air India During the last two years

3715. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri M. C. Daga :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2684 on the 18th August, 1972 regarding number of aeroplanes of Indian Airlines and Air India which crashed during the last two years and state :

(a) whether information in regard to part (b) of the above mentioned question has since been collected ; and

(b) if so, the gist thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) & (b) : Air India did

not suffer any loss. As regards Indian Airlines, the requisite information is given in the attached statement.

Year	Registration marks of aircraft and date and place of accident.	Estimated loss suffered by Indian Airlines (taking into account amount recovered from insurance etc.)
1970	1. VT—DJB Viscount at Patna 9th January 1970.	Rs. 0.05 lakhs
	2. VT—DVG (F—27) Agartala 7th June 1970.	Rs. 6.94 lakhs
	3. VT—DWT (F—27) Silchar 29th August 1970.	No loss
1971	1. VT—DXM (AVRO) Madras 20th June 1971.	Rs. 0.90 lakhs
	2. VT—DOL (F—27) Gauhati 13th July 1971.	Rs. 0.40 lakhs
	3. VT—DIX (Viscount) Jaipur 9th August 1971.	No loss
	4. VT—DXG (AVRO) Near Madurai 9th December 1971.	No loss
	5. VT—DXO (AVRO) Trivandrum 17th December 1971.	Rs. 0.90 lakhs

कालीकट की आवश्यकता पूरी करने के लिए कारीपुर में हवाई-अड्डे का निर्माण-कार्य

3716. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :**
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कारीपुर में एक हवाई अड्डे का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके पुनः कब आरम्भ होने की संभावना है और यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : विमानक्षेत्र के लिये

अपेक्षित भूमि के चारों ओर जंगला लगा दिया गया है तथा विमानक्षेत्र के निर्माण के सम्बन्ध में व्यय अनुमान विषयक कार्यवाही की जा रही है।

'कोवलम काम्प्लेक्स' के बारे में एयर फ्रांस के अध्ययन दल का प्रतिवेदन

3717. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'कोवलम काम्प्लेक्स' पर अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में एयर फ्रांस के अध्ययन दल के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस प्रतिवेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) आलोचना का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, और न उसके देखने में ही आई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

विभिन्न किस्मों के कपड़ा उत्पादन को दोषरहित करने के लिए प्रस्ताव

3718. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न किस्मों के तथा विभिन्न मूल्य वर्गों के कपड़ा उत्पादन को दोषरहित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि निर्धन वर्गों के लिए 'आम लोगों का कपड़ा' (पीपुल्स क्लोथ) पर्याप्त मात्रा में पैदा किया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1970-71 तथा 1971-72 में बोइंग, कैरेवेल तथा एवरो विमानों के उपयोग की प्रतिशतता

3719. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 तथा 1971-72 में बोइंग, कैरेवेल तथा एवरो विमानों का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया; और

(ख) विमानों को समय पर चलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) :

(क) विमान	उपयोग की प्रतिशतता	
	1970-71	1971-72
बोइंग 737	82.3	83 7
कारवेल	92.18	90.93
एच० एस० 748 (एवरो)	70.39	73.18

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स अपनी सेवाओं के समय-पालन को सुधारने के लिए निरन्तर उपाय कर रही है। प्रत्येक विलम्ब के कारणों की जांच की जाती है तथा जहाँ भी सम्भव होता है, सुधार के उपाय किये जाते हैं।

भारतीय चाय की लोकप्रियता

3720. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चाय के संवर्धन के कुल खर्च का 53 प्रतिशत भाग बहु-प्रकारीय चाय के संवर्धन पर और 47 प्रतिशत एक प्रकारीय चाय के संवर्धन पर खर्च करता है जबकि श्रीलंका एक-प्रकारीय चाय के संवर्धन पर 76 प्रतिशत और बहु-प्रकारीय चाय के संवर्धन पर केवल 24 प्रतिशत ही खर्च करता है जिसके परिणामस्वरूप श्रीलंका को चाय विदेशी मण्डियों में अधिक लोकप्रिय हो गई हैं;

(ख) यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य देशों में भारत की चाय को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : श्रीलंका तथा भारत द्वारा चाय संवर्धन पर किया गया व्यय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :—

श्रीलंका	(आँकड़े लाख रुपये में)	
	1968	1969
एक राष्ट्रीय	189.7	150.8
सामान्य	52	57·5
योग	241.7	208.3
भारत		
एक राष्ट्रीय	54 8	59.1
सामान्य	58.0	55.1
योग	112·8	114·2

सामान्य संवर्धन पर होने वाला व्यय भारत और श्रीलंका दोनों के लिए लगभग एक नियत प्रभार पर आधारित है। अतः भारत से बाहर चाय संवर्धन के लिए उपलब्ध कुल बजट के संदर्भ में इसके बढ़ने अथवा घटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सामान्य तथा एकराष्ट्रीय संवर्धन की दरों में विषमता का कारण दोनों देशों के कुल संवधनात्मक बजट में काफी अन्तर का होना है। चाय संवर्धन के लिए श्रीलंका के अपेक्षाकृत अधिक बजट के कारण कुल बजट के सम्बन्ध में सामान्य प्रचार के लिए अंशदान श्रीलका के मामले में अनुकूल है।

(ग) भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित उपाय किये हैं अथवा करने का विचार कर रही है :

1. 1 मार्च, 1970 से चाय पर से निर्यात शुल्क का कटाया जाता,

2. 15 अप्रैल, 1970 से कीमत में घट-बढ़ के अनुसार निर्यात की उत्पादन-शुल्क की रिबेट का दिया जाना,

3. विभिन्न परम्परागत और नये बाजारों के भारतीय चाय के निर्यात हेतु अपेक्षाकृत अधिक संभाव्यताए बनाने के लिए लन्दन, न्यूयार्क, बुसेल्ज, काहिरा तथा सिडनी में स्थापित चाय बोर्ड के

कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक कार्यकलाप;

4 स्थानीय ब्लैंडर्स/पैकर्स के सहयोग से चुने हुए विदेशी बाजारों में भारतीय चाय के विशिष्ट पैकों का संवर्धन,

5. विदेशों में प्रचार के सुनियोजित माध्यम के द्वारा विज्ञापन,

6. व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना,

7. चाय के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए व्यापारियों तथा चाय विशेषज्ञों द्वारा एक दूसरे के यहाँ दौरे करना,

8. पैकेट बन्द और ब्लैंडड चायों के निर्यात के लिये सरकारी क्षेत्र में एक चाय व्यापार निगम की स्थापना करना, और

9. अन्य हल्के पेय-पदार्थों की तुलना में एक पेय के रूप में चाय के उपभोग को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अन्य चाय उत्पादक देशों और आयातकर्ता देशों में स्थानीय चाय व्यापारी वर्ग के साथ मिलकर सामान्य संवर्धन में भाग लेना।

विश्व बैंक से सहायता

3721. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व बैंक के विचारार्थ पर्याप्त परियोजनायें प्रस्तुत नहीं कर रहा है जबकि विश्व बैंक विकास सहायता न देने के बारे में वाशिंगटन के निर्णय द्वारा पैदा हुई कमी को पूरा करने के लिये भारत की सहायता करने को उत्सुक है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस मामले में विश्व बैंक की प्रतिक्रिया मे अवगत है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : भारत ने विश्व बैंक समूह द्वारा वित्त-प्रबन्ध किये जाने के लिये बहुत सी परियोजनाएं रखी हैं और ये परियोजनाय उतनी रकम के लिए पर्याप्त हैं, जितनी रकम की व्यवस्था बैंक समूह भारत के लिए कर सकता है।

मैसर्स नेशनल टेनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता में वित्तीय कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें

3722. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स नेशनल टेनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता में वित्तीय कुप्रबन्ध के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं,

(ख) क्या कम्पनी को यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य वित्तीयसंस्थानों से सहायता के रूप में काफी बड़ी राशि मिली है;

(ग) क्या शिकायतों के बारे में कोई जांच की गई है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क), (ग) तथा (घ) : मैसर्स नेशनल टेनरी कम्पनी लिमिटेड के उत्पादन में गिरावट के संदर्भ में, पश्चिमी बंगाल सरकार ने औद्योगिक विकास मन्त्रालय को उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जाँच करने का सुझाव दिया था। उसी समय कम्पनी के प्रबन्धकों ने राज्य सरकार को अभ्यावेदन दिया कि वह अपनी कठिनाइयों को दूर करने में समर्थ हो गये हैं। अतः राज्य सरकार ने प्रबन्धकों को अपनी पिछली स्थिति पर आने के लिये एक सुअवसर प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) 30 सितम्बर, 1972 तक, कम्पनी द्वारा, वित्तीय संस्थानों को देय ऋण, निम्न प्रकार

सूचित हुए हैं :

	लाख रु० में
यूनाइटेड बैंक ग्राफ इण्डिया	79.14
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	33.52
वैस्ट बंगाल फाइनेंशियल कारपोरेशन	10.56
	123.22

जीवन बीमा निगम द्वारा "बचत" नारा प्रतियोगिता का आयोजन

3723. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जन सम्पर्क अधिकारी, जीवन बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा मार्च, 1972 में एक "बचत" नारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था,

(ख) यदि हाँ, तो हिन्दी तथा अंग्रेजी में कितने नारे थे जिन पर प्रथम पुरस्कार दिया गया, तथा विजेताओं के नाम क्या हैं, और

(ग) क्या नारा प्रतियोगिता का परिणाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) **और (ग)** : इन नारों पर अभी भारत सरकार विचार कर रही है। नारों के चुने जाने के बाद, परिणाम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से कर दी जायगी।

रबड़ के मूल्यों को स्थिर करने के लिए केरल सरकार को ऋण

3724. **श्री वरके जार्ज** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के मूल्यों को स्थिर करने हेतु रबड़ के लिए केरल सरकार को एक करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है,

(ख) केरल सरकार द्वारा कितना रबड़ खरीदा गया है; और

(ग) क्या ऋण के उपयोग के बारे में केरल सरकार द्वारा समुचित सर्टीफिकेट दिये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) केरल सरकार ने 30 नवम्बर, 1972 तक कुल 2879 मे० टन रबड़ खरीदी।

(ग) वर्ष 1971-72 के दौरान केरल सरकार को ऋण के रूप में दी गई एक करोड़ रुपये की राशि के बदले उन्होंने अब तक केवल 40 लाख रुपये की राशि के लिए सर्टिफिकेट दिया है। शेष राशि के लिए सर्टिफिकेट की प्रतीक्षा की जा रही है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTEN OF URGENK PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चन्दौस नगर में केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय के खाद्य दल के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी का समाचार

अध्यक्ष महोदय : श्री शशि भूषण यहां उपस्थित नहीं हैं; श्री वसंत साठे।

श्री बसंत साठे (अकोला) : मैं स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय

लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 5 दिसम्बर, 1972 को केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय के खाद्य दल के तीन पदाधिकारियों को गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश के चन्दौस नगर की गलियों में उनका जलूस निकाले जाने का समाचार"

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) :

अक्तूबर 31, 1972 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की हैल्थवेज डेरी प्रोडक्ट्स कम्पनी (रजि०), नई दिल्ली के मैनेजर, श्री सी० एम० शर्मा द्वारा प्रेषित दिनांक 28 अक्तूबर, 1972 की एक शिकायत इस आशय की मिली कि मैसर्स इम्पेरियल फूड प्रोडक्स, सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश अपनी चन्दौस, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित फैक्टरी में नकली-समानित-दूध का उत्पादन कर रहे हैं। जांच-पड़ताल के उद्देश्य से कुछ सम्बन्धित विस्तृत विवरण मालूम करने के लिये शिकायतकर्त्ता, श्री सी० एम० शर्मा को 13 नवम्बर, 1972 को बुलाया गया। श्री शर्मा 23 नवम्बर, 1972 को स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय के अधिकारियों से मिले और उन्होंने अपेक्षित विवरण प्रस्तुत किए। इसके पश्चात् यह निर्णय किया गया कि श्री सी० एम० शर्मा के साथ दो खाद्य निरीक्षकों तथा एक क्षेत्रीय सहायक को चन्दौस स्थित उक्त फैक्टरी में इस शिकायत की जाँच पड़ताल के लिए भेजा जाय।

यह दल 5 दिसम्बर, 1972 की सुबह दिल्ली से रवाना हो गया और उसी दिन प्रात: 11-30 बजे या उसके लगभग चन्दौस पहुंच गया। खाद्य निरीक्षक सीधे ही स्थानीय थाने के थाना प्रमुख से मिले और उन्होंने इस फैक्टरी के आहाते का मुआइना करने और आवश्यक जांच पड़ताल करने के लिए उसकी सहायता मांगी। खाद्य निरीक्षकों के अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए अपने पहचान-पत्र दिखाए। परन्तु, ऐसा बताया गया कि थाना प्रमुख ने प्रतिकूल रवैया अपनाया और इससे पहले कि वह इस मामले में कोई कार्यवाही करता उसने उन्हें जिला मुख्यालय जाने और उच्च अधिकारियों से आवश्यक हिदायतें प्राप्त कर लेने को कहा।

चूंकि जिला मुख्यालय चन्दौस से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्य निरीक्षकों ने यह निर्णय कर लिया कि उनके लिये यह बेहतर होगा कि यदि वे स्थानीय पुलिस की सहायता के बिना ही फैक्टरी के आहाते में जायें और जाँच-पड़ताल शुरू कर दें।

यह बताया गया कि निरीक्षक फैक्टरी में दोपहर 12.00 बजे पहुंचे और फर्म के मालिक को अपना परिचय देकर उन्होंने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 10 की व्यवस्था के अनुसार संघनित दूध के नमूने लेने चाहे। उन्होंने यह महसूस किया कि मालिक का शुरू में व्यवहार सहयोगपूर्ण था परन्तु कुछ ही समय बाद सादे कपड़ों में सिपाहियों के वहाँ पहुंचने पर निरीक्षकों ने मालिक के रवैये में एकदम परिवर्तन पाया और तत्पश्चात् उसने निरीक्षकों को नमूने लेने से मना कर दिया। निरीक्षकों ने उस स्थान से जाने का निर्णय किया किन्तु जब वे वहाँ से जाने वाले ही थे कि थाना प्रमुख वहां आ पहुंचा। वह दोनों खाद्य निरीक्षकों और क्षेत्रीय सहायक को पुलिस स्टेशन ले गया। उसने एक निरीक्षक और क्षेत्रीय सहायक से पुलिस स्टेशन में ठहरने के लिए कहा और वह स्वयं दूसरे खाद्य निरीक्षक के साथ जिला मुख्यालय को चला गया। अलीगढ़ पहुंचने के बाद वे पुलिस के अपर अधीक्षक के पास गये और बतलाया जाता है कि उक्त अधिकारी को भी खाद्य निरीक्षक ने

अपने पहचान-पत्र दिखाये। फिर भी, पुलिस के अपर अधीक्षक ने इस सम्बन्ध में आगे और पुष्टि करनी चाही। इसीलिए, खाद्य निरीक्षक ने यह सुझाव दिया कि वह इस बारे में दिल्ली स्थित स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सम्बन्धित अधिकारी से टेलिफोन पर बातचीत कर सकते हैं। तब पुलिस के अपर अधीक्षक ने उसी दिन लगभग 3.00 बजे सायं दिल्ली में सम्बन्धित अधिकारी से टेलिफोन पर बातचीत की और उन्हें सूचित किया गया कि वस्तुतः दो खाद्य निरीक्षक और एक क्षेत्रीय सहायक के एक दल को मैसर्स इम्पेरियल फूड प्रोडक्ट्स फर्म के विरुद्ध किसी खास शिकायत की जांच-पड़ताल करने के लिये भेजा गया है।

इस बात की पुष्टि हो जाने पर थाना प्रमुख और केन्द्रीय खाद्य निरीक्षक सायं 6.00 बजे या उसके लगभग पुलिस स्टेशन, चन्दौस वापस आ गये।

खाद्य निरीक्षकों के कथनानुसार, उक्त थाना प्रमुख ने उस विलम्बित स्तर पर उनसे कहा— "क्या वे अहाते का निरीक्षण करना चाहते हैं?" परन्तु, स्थानीय पुलिस ने पहले काफी समय तक जिस प्रकार का असहयोगपूर्ण व्यवहार किया उसको देखते हुए खाद्य निरीक्षकों ने महसूस किया कि जांच पड़ताल प्रारम्भ करना समयानुकूल नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि निर्माता ने एक भीड़ एकत्र कर ली है और वे समझ गये कि जांच पड़ताल करने से सभवतः कोई अनुचित बात हो सकती है। इसलिए, उन्होंने दिल्ली स्थित हेड क्वार्टर को लौट जाने का निर्णय किया। वे उसी रात दिल्ली पहुंच गये।

अभी तक इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई औपचारिक प्रतिवेदन प्राप्त कर सकना हमारे लिये संभव नहीं बन पड़ा है। वैसे, अनौपचारिक तौर पर उनसे टेलिफोन से हमने कुछ सूचना एकत्र की है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा दिये गये विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता है कि खाद्य निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गये पहचान-पत्रों पर उन्होंने विश्वास क्यों नहीं किया। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया है कि वे इस मामले की समुचित रूप से जांच-पड़ताल करायें और इस घटना के सम्पूर्ण ब्यौरे हमारे पास भेजें।

श्री बसन्त साठे : मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य में जितना बताया गया है यह मामला उससे भी कहीं अधिक गम्भीर है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के खाद्य दस्ते के इन्सपैक्टर जब नकली दूध के उत्पादों का निरीक्षण करने वहाँ गये तो वहाँ के थानेदार ने उनका साथ नहीं दिया। इन अधिकारियों द्वारा अपने पहचान-पत्र दिखाये जाने के बावजूद भी पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया।

थानेदार ने खाद्य दस्ते की कार का प्रयोग किया और एक अधिकारी को अपने साथ अलीगढ़ ले गया। उसने अन्य दो अधिकारियों को थाने तक भागकर जाने को कहा जहां उन्हें छह घन्टे तक हिरासत में रखा गया।

एक अधिकारी, ने जब उनको वहां ले जाया, गया अलीगढ़ के एडिशनल पुलिस सुपरिन्टेंडेंट से मुलाकात की और अपने पहचान पत्र दिखाये तो उस ने भी उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने भी स्वास्थ्य मन्त्रालय से इस बात की पुष्टि करनी चाही। टेलीफोन पर पुष्टि करने के बाद ही उसने उनको जांच की इजाजत दी।

क्या यह गम्भीर मामला नहीं है? पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? हमने रिपोर्ट के बारे में पूछा था परन्तु राज्य के अधिकारियों से अभी तक मामले की रिपोर्ट मिली है। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा और क्या मामला हो सकता है जबकि केन्द्रीय मुख्यालय से जांच करने गए अधिकारियों को नमूने नहीं लेने दिये गये? यदि एक राज्य में ऐसा होता है तो दूसरे राज्य भी

केन्द्रीय अधिकारियों की उपेक्षा की जा सकती है। इस मामले को राज्य के साथ ऊंचे स्तर पर उठाया जाना चाहिए और उन अधिकारियों को दण्ड दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस गंभीर मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : माननीय सदस्य ने 'गिरफ्तारी' का उल्लेख किया है। अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार हम यह नहीं जानते कि गिरफ्तारी या नजरबन्दी जैसी कोई बात हुई हो। इस बात की पुष्टि हुई है कि उस स्थान से थाने तक उन्हें पैदल चलने को कहा गया था क्योंकि उनका वाहन थानेदार ने ले लिया था।

शेष दो बातों के बारे में हमें अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार से सरकारी जानकारी का कोई ब्यौरा नहीं मिला है। थानेदार या अन्य किसी व्यक्ति के लिये इस बात का कोई कारण नहीं था कि वे निरीक्षकों के पहचान-पत्रों पर संदेह करें।

दूसरी बात यह है कि खाद्य-निर्माता कारखाने में दो कांस्टेबलों का अचानक प्रकट हो जाना और सरकारी कर्मचारियों के कर्त्तव्य में बाधा डालना। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत ऐसा किया जाना एक अपराध है। वास्तविक ब्यौरे की पुष्टि की जानी है। मैं श्री साठे की इस बात से सहमत हूं कि यह मामला बहुत गम्भीर है और इसीलिए इस मामले के सम्बन्ध में ठीक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही हम उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह सुनिश्चित करने के लिये हर संभव कदम उठायेंगे कि भविष्य में न केवल ऐसी घटनाएं घटित हों अपितु जो दोषी हैं उनके साथ ठीक ढंग से निपटा जाये।

श्री विक्रम महाजन (कांगडा) : वैसे तो पुलिस आये दिन ठीक तरह से बर्ताव नहीं करती है परन्तु यह ऐसा मामला है जिसमें पुलिस की एक गम्भीर आर्थिक अपराध में मिली-भगत है। ऐसे आर्थिक अपराधों का हमारे पास एक उदाहरण है, पुलिस अपराध करने वालों को संरक्षण देती है।

जहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकार्ड का सम्बन्ध है वह बहुत खराब है।

ये अधिकारी पार्टी के रूप में थाने नहीं गये थे बल्कि उन्हें जबरदस्ती थाने ले जाया गया था। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती थाने ले जाया जाये और उसे वहां रखा जाये तो उसे उसकी गिरफ्तारी ही माना जाता है। मेरे निम्न प्रश्न हैं :

(1) अब तक पुलिस के इन अधिकारियों को मुअत्तिल क्यों नहीं किया गया है ? इन अधिकारियों को मुअत्तिल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं।

(2) क्या केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की एक बैठक बुलायेगी कि भविष्य में केन्द्रीय सरकार के उन अधिकारियों को पूरा संरक्षण दिया जाये जो आर्थिक अपराधों का पता लगाने राज्यों में जाते हैं ?

(3) क्या स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय से यह सिफारिश करेगा कि वह एक आयोग गठित करे जो पुलिस की खामियों की जाँच करे और उसे आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के बराबर लाये ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : जब तक मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से प्रामाणिक जानकारी न मिले, मैं और अधिक जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं।

जहां तक गिरफ्तारी का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि उन्हें तब तक के लिए थाने जाने को कहा गया था जब तक थानेदार एक खाद्य-निरीक्षक के साथ दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय से स्थिति सुनिश्चित करके वापस न आ जाये। उन्हें वहां ठहरने को कहा गया था। इस बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरा सहयोग और सहायता

नहीं करेगी ।

माननीय सदस्य ने राज्य सरकारों की बैठक बुलाने को कहा । खाद्य अपमिश्रण अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत ऐसी स्थिति से निपटने की पूरी व्यवस्था है तथापि यदि आवश्यक हुआ तो हम सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ इस बारे में विचारों का आदान-प्रदान करेंगे ।

जहां तक पुलिस अधिकारियों को मुअत्तिल करने का सम्बन्ध है, जब तक हमें तथ्य नहीं मिलते तब तक मैं इस बारे में और अधिक नही कह सकता । परन्तु स्वास्थ्य निरीक्षकों के कानूनी कार्य करने में जिन्होंने बाधा डाली है उनके साथ ठीक ढंग से निपटने में कोज़ कोर कसर नहीं छोड़ी जायेगी ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (चौथा संशोधन) स्कीम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम और औद्योगिक बित्त निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (चौथा संशोधन) स्कीम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 715 (ङ) में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3942/72]**

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1468 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 3943/72]**

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 462 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3944/72]**

(4) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 10/72 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 18 नवम्बर, 1972 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1948 में कतिपय संशोधन किये गये थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3945 72)**

वायुयान (तीसरा, पांचवा, और छठा) संशोधन नियम, 1972

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 24 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 783 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 सितम्बर 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1232 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(तीन) वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 30 सितम्बर 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1233 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(2) उपर्युक्त मद (1) (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में ए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3946/72]**

वैक्यूम फ्लास्क निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम

रबड़ बोर्ड के लेखों सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन,

रबड़ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

विदेशी व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वैक्यूम फ्लास्क निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्य सां० आ० 3853 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3919/72]**

(2) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1970-71 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे का विवरण । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3947/72]**

(3) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1969-70 के क्रियाकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हन्दी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3948/72]**

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा 6 दिसम्बर, 1972 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 नवम्बर, 1972 को पास किए गये खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1972, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किये गये तथा राष्ट्रपति

की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1972

(2) विनियोग (रेल) संख्या 4 विधेयक, 1972

(3) विनियोग (रेल) संख्या 5 विधेयक, 1972

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCE
चौथा प्रतिवेदन

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले (मावेलिकरा) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

फिल्मों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 642 के उत्तर में शुद्धि
RE. FOREIGN EXCHANGE EARNED THROUGH EXPORT OF FILMS CORRECTION OF ANSWER TO S. R. NO. 642

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : श्री एल० एन० मिश्र की ओर से मैं (एक) फिल्मों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के बारे में श्री प्रियरंजनदास मुन्शी के तारांकित प्रश्न संख्या 642 के 2 मई 1972 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

1970-71 और 1971-72 (अक्तूबर, 1971 तक) वर्षों के दौरान जिन देशों को फिल्में निर्यात की गई थीं उनकी सूची प्रश्न संख्या : 642 के भाग (ख) के उत्तर में 2-5-72 को सदन की मेज पर रखी गई थी उसमें से दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका देश का नाम हटा दिया जाय क्योंकि इसकी सूचना सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय विभाग, कलकत्ता को गलती से दी गई थी ।

खेद है कि यह गलती पहले से सदन के ध्यान में नहीं लाई जा सकी क्योंकि आवश्यकता स्पष्टीकरण प्राप्त करने में कुछ समय लगा है ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

11 दिसम्बर, 1972 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यकी

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं आज सभा में घोषणा करता हूं कि सोमवार, 11 दिसम्बर, 1972 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार

(2) विचार तथा पारित करना

(एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधयक, 1972

(दो) औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1972

(तीन) परिसीमन विधेयक, 1972

(चार) राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 1972

(पांच) संकटग्रस्त वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1972

(छह) भारतीय टैरिफ (सशोधन) विधेयक, 1972

(3) शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किए जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष, 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा।

(4) श्री प्रसन्न भाई मेहता तथा अन्य सदस्यों द्वारा **सोमवार 11 दिसम्बर, 1972 को अपराह्न 3.30** बजे एक प्रस्ताव पेश किए जाने पर ऊनी चिथड़ों के आयात के विशेष संदर्भ में राज्य व्यापार निगम के कार्यचालन पर चर्चा

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक

INTOUCHABILITY (OFFENCFS) AN AMENDMENT BILL AND MISCELLE NEOUS PROVISION BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाना

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक

Industrial Development Bank of India (Amendment) Bill

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करती हूं।

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करती हूं :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं को विधेयक पुर: स्थापित करती हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTIO REN : INTERANTIONAL SITUAiON

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

श्री हरिकिशोर सिंह (पुपड़ी) : कल मैं यह कह रहा था कि इस उप-महाद्वीप के बारे में रूस ने रचनात्मक भूमिका निभाई है जबकि अमरीका के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अमरीका ने इस उप-महाद्वीप में तनाव उत्पन्न करने तथा उससे लाभ उठाने की भूमिका निभाई है। वह भारत और पाकिस्तान के बीच शक्ति और संतुलन बनाने की नीति का अनुसरण करता रहा है। इसी कारण अमरीका ने सीधे तथा सैनिक संधियों के माध्यम से पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी है। बंगला देश के बारे में भी अमरीका ने जो नीति अपनाई उसकी समूची सभा ने निन्दा की थी। इसमें दोनों देशों के आपसी सम्बन्ध और भी खराब हो गये। अब प्रश्न यह है कि क्या अमरीका से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने ठीक हैं ? मेरे विचार में तो हमें अमरीका से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने चाहिए। यह सम्बन्ध राष्ट्रीय हितों तथा प्रतिष्ठा पर आधारित होने चाहिए। अमरीका को उप-महाद्वीप की स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और उसे भारत और पाकिस्तान के बीच शक्ति संतुलन की नीति को त्याग देना चाहिए। अमरीका को स्वयं भी पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई भी बंद कर देनी चाहिए तथा अन्य देशों के माध्यम से भी पाकिस्तान को हथियार नहीं दिए जानेचाहिए।

हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने में भी अमरीका को सहायता देनी चाहिए। अतः अमरीका को यहाँ पर कोई नौसैनिक अड्डा नहीं बनाना चाहिये। एशिया के मामलों में अमरीका को हमारी भूमिका को समझना चाहिये। 1954 में वियतनाम के बारे में हमने रचनात्मक भूमिका अपनाई थी। पश्चिम एशिया के मामलों में भी अमरीका को हमारी बात का सम्मान करना चाहिए। यदि इन सभी बातों पर अमरीका की प्रतिक्रिया ठीक हो तो हमारी सरकार को भी चाहिए कि उनसे मित्रता करने के लिए ठोस कदम उठायें।

जहाँ तक चीन के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है हमें अपने हितों तथा अफ्रीकी एशियाई लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन सम्बन्धों पर विचार करना चाहिए। विश्व में चीन को रचनात्मक स्थान दिलाने के लिए हमने भरसक प्रयत्न किया। पण्डित नेहरू ने चीन के साथ मित्रता बनाने का भरसक प्रयत्न किया था परन्तु चीन ने 1962 में जो कुछ किया उससे हम सब लोग परिचित हैं। बंगला देश के मामले में भी चीन ने अमरीका जैसा रवैया अपनाया। यह बड़े खेद की बात है कि चीन ने, जो कि लगभग 20 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बन सका एशियाई देश बंगला देश के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश के विरुद्ध अपने प्रथम 'वीटो' का प्रयोग किया। परन्तु फिर भी मेरे विचार में हमें चीन से अपनी प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रीय हितों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने चाहिये। चीन को भी यह महसूस करना चाहिये कि एशिया में बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व का समय अब निकल गया है। एशियाई देशों के सहयोग से ही इस क्षेत्र की स्थिति में कुछ मोड़ लाया जा सकता है।

पंचशील के आधार पर चीन के साथ सम्बन्धों को सुधारा जा सकता है। दूसरे संयुक्त राष्ट्र में बंगला देश के प्रवेश का समर्थन कर इसे एशियाई देशों में सद्भावना को बढ़ाना चाहिए।

दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी देशों के साथ हमें आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहिये। इन देशों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की सम्भावनाओं का भी पता लगाया जाना चाहिए हमें अपने विकास प्रयोगों को इन देशों में हो रही विकास गतिविधियों से सम्बन्धित करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं सरकार की नीति का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अध्यक्ष महोदय विश्व की स्थिति में भारी परिवर्तन हो रहा है। बड़े देश अपने व्यवहार के लचकीलेपन तथा लेनदेन की भावना दिखा रहे हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि स्थिति सामान्य हो गई है और अब सब कुछ ठीक हो गया है। ऐसा लगता है कि बड़ी शक्तियां कुछ घरेलू समस्याओं के कारण आपस में सीधे टकराव नहीं करना चाहती और वे संघर्ष का स्थान कहीं और बनाना चाहती हैं। परन्तु हमारी नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है और हम वही पुरानी राजनीति का ही अनुसरण कर रहे हैं। हाल के समय की सबसे बड़ी घटना बड़ी शक्तियों का एक दूसरे के समीप आना है। ऐसी स्थिति में पुराने सिद्धांत तथा नारे बेकार हो गए हैं। अब यह कहना कठिन है कि कौन गुट निरपेक्ष है। बड़ी शक्तियों के एक दूसरे के समीप आने से यह दिखाई पड़ता है कि हिन्द चीन में संभवतया शांति स्थापित हो जायेगी। हमारे देश के नीति निर्माताओं इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चीन तथा रूस दोनों हनोई पर दबाव डाल रहे हैं कि वह अमरीका से समझौता करे। इससे यह पता लगता है कि 'सुपर पावरस' का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करता है। हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिये कि अमरीका उत्तरी वियतनाम पर जोरदार बमबारी कर रहा है और इस पर भी उनके राष्ट्रपति का मास्को में हार्दिक स्वागत किया गया है। सैनिक संधियों के माध्यम से सुरक्षा चाहने वाले देश अब नये प्रबन्धों के बारे में सोच रहे हैं। क्या हमने इन सभी घटनाओं के महत्व को समझा है ? ऐसा लगता है कि हमने इन से कुछ सबक नहीं लिया है और हम वही पुराने सिद्धाँतों और नारों का सहारा ले रहे हैं। हम अभी तक हनोई के सातसूत्री शन्ति कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं परन्तु स्वयं वियतनाम ने इसको रद्द कर दिया है।

ऐसा लगता है कि अब यूरोप में तनाव समाप्त हो गया है। दोनों जर्मन देशों के बीच समझौता हो गया है। सम्भव है कि अब एशिया तनाव का क्षेत्र बनेगा। चीन पहले ही सुपर शक्ति बन चुका है और जापान में अमरीकी प्रभुत्व खत्म हो रहा है। चीन ने मध्यम दूरी तक मार करने वाले मिसाइल तथा आणविक बम ले जाने वाले टी० यू-16 बमवर्षक विमान बना लिये हैं। ऐसी शंका है कि इससे स्थिति में और अधिक तनाव उत्पन्न होगा।

जापान का आज विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। जापान की आर्थिक और राजनीतिक क्षमता के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। निःसदेह जापान आर्थिक दृष्टि से एक बड़ी शक्ति बन गया है और सैनिक दृष्टि से भी वह बड़ी शक्ति बन जायेगा। वह यह भी प्रयास करेगा कि हिन्द महासागर में अन्य बड़े देश उसके अस्तित्व को स्वीकार करे, क्योंकि हिन्द महासागर जापान के लिए जीवनाधार का काम करता है। वह 70 प्रतिशत कच्चा माल बाहर से मंगाता है जो हिन्द महासागर से होकर ही उस देश में पहुंचता है।

अब मैं विदेश नीति के एक अन्य पहलू को लेता हूँ। हमारी विदेश नीति आजकल 'प्रणय-पुकार' (लव-काल) के युग से गुजर रही है। अमरीका से सम्बन्ध सुधारने के लिए हमारी सरकार ने पहल की है। किन्तु इससे सरकार की अपरिपक्वता का आभास होता है और साथ ही यह हास्यास्पद भी लगता है। एक ओर तो सरकार ने सी० आई० ए० का हौवा खड़ा कर रखा है और दूसरी ओर वह अमरीका से सम्बन्ध सुधारने का प्रयास कर रही है। यदि सचमुच सी० आई० ए० से भारत को खतरा है तो अमरीका से सम्बन्ध सुधारने का प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि अमरीका से सम्बन्ध सुधारे जायें, किन्तु हम यह नहीं चाहते कि वे किसी बात से डर कर या किसी का अनुकरण करके सुधारे जायें। चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने की भी इच्छा

सरकार द्वारा प्रकट की गई है। अमरीका से तो प्रणय-पुकार का कुछ उत्तर भी मिला है। हम आशा करते हैं कि अन्य साथी भी ऐसा ही उत्तर भेजेंगे।

संयुक्त राष्ट्र में भी हमारे प्रयास असफल रहे हैं। कई नाजुक अवसरों पर हम संयुक्त राष्ट्र का समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे हैं। गत वर्ष पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र ने हमारे विरुद्ध निर्णय दिया था और इस वर्ष पाकिस्तान के सफल प्रयास से बंगला देश का प्रश्न युद्ध-बन्दियों की रिहाई से जोड़ दिया गया। अतः इन असफलताओं का बड़े ध्यान से विश्लेषण किया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि मण्डल को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

अन्त में, उगांडा से निष्कासित किये गये भारतमूलक लोगों के सन्दर्भ में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विदेशों में रह रहे उन भारतीयों के, जिन्होंने उन देशों के उत्थान में भरसक योगदान किया है, उचित और मानवीय अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए सरकार को अधिक सक्रिय विदेश नीति अपनानी चाहिए।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा 2 बजकर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabha re-assembled after lench at four minutes pase fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

Mr. Dy. Speaker in the Chair.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : एक हरिजन लड़के को गोली से मार दिये जाने का मामला सभा में उठाया गया था। श्री राजबहादुर ने आश्वासन दिया था कि सरकार इस मामले की जाँच करायेगी। आज चार दिन बीत गये हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है और सरकार ने सुन ली है। इससे अधिक के लिए मैं आपको अनुमति नहीं दूँगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस मामले में सरकार भी कुछ गड़बड़ कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा शुरू होने से पूर्व मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन है और 3 बजे म० प० के बाद वह लिया जाना है। अतः माननीय सदस्य निर्धारित समय में ही अपनी बात पूरी कर लें ताकि यह चर्चा 3 बजे म० प० तक समाप्त हो जाये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि भारत की विदेश नीति कुछ निश्चित विचारधाराओं पर आधारित है और वह राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करती है। यह आरोप निराधार है। प्रधान मन्त्री ने हाल ही में अपने एक लेख में लिखा था कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारी स्वतन्त्रता को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। अतः हम किसी भी देश के अनुगामी नहीं हो सकते, चाहे वह कितनी धनाढ्य और बड़ी शक्ति क्यों न हो। शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त से तनाव बढ़ता है और अस्थिरता बनी रहती है। प्रधान मन्त्री के इन शब्दों से स्पष्ट है कि सरकार की विदेश नीति निर्धारित करते समय देश की स्वतन्त्रता, अखण्डता और प्रभुसत्ता को सर्वोपरि रखा जाता है। भारत की विदेश नीति स्थिर न होकर गतिशील है।

भारत को एशिया में महत्त्वपूर्ण कार्य करना है। बंगला देश के स्वतन्त्र देश के रूप में

उभरने के बाद भारत का दायित्व और भी अधिक बढ़ गया है। द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर विश्व शान्ति बनाये रखने की हमारी नीति बिल्कुल ठीक है। इसी दृष्टि से हमने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है। आज सभी देश युद्ध और तनाव से बचना चाहते हैं। इस सन्दर्भ में हमारी विदेश नीति उचित है।

कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना ठीक नहीं है कि शिमला समझौते से जो आशायें थीं, उन पर पानी फिर गया है। बात ऐसी नहीं है। आज नहीं, तो कल अवश्य ही पाकिस्तान अपनी गलती महसूस करेगा और मान लेगा कि युद्ध और तनाव से शान्ति कहीं अधिक अच्छी है और शान्ति में ही पाकिस्तान, भारत और बंगला देश के लोग समृद्ध होंगे।

आज की जो परिस्थितियाँ हैं उन्होंने बड़े-बड़े देशों को भी इस बात के लिए बाध्य किया है कि वे आपसी पारस्परिक सम्बन्ध सुधारें। अमरीका और चीन के नेताओं अथवा अमरीका और रूस के नेताओं की मुलाकातें इसी ओर संकेत करती हैं। भारत भी यदि इस वास्तविकता को स्वीकारता हुआ ऐसा ही प्रयास करता है तो कुछ लोग इससे आश्चर्यचकित क्यों होते हैं? यहाँ कुछ लोगों का दृष्टिकोण दो प्रकार का है। जब अमरीका के नेता पेकिंग या मास्को से सम्बन्ध सुधारने जाते हैं तो ये लोग स्वागत करते हैं और जब भारत विदेशों से सम्बन्ध सुधारने का प्रयास करता है तो ये ही लोग आलोचना करते हैं। भारत रूस से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हुए अन्य बड़े देशों से सम्बन्ध सुधारने का इच्छुक है। भारत ने अब सीख लिया है कि बड़ी शक्तियों के साथ कैसे रहा जाये। अतः हमने एक ऐसी विदेश नीति बनाई है जिसके अनुसार सभी बड़े देशों के साथ मित्रता स्थापित की जा सकती है। यदि कोई यह समझता है कि भारत अमरीका से सम्बन्ध इसलिए सुधारना चाहता है ताकि उसे वहाँ से सहायता मिलती रहे, तो उसकी यह धारणा बिल्कुल गलत है।

श्री शमीम ने कहा है कि पाकिस्तानी युद्धबन्दियों को रिहा करने में भारत विलम्ब कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध बिगड़ रहे हैं और सम्पूर्ण विश्व भारत को कोस रहा है। यह कथन गलत है। वस्तुस्थिति यह है कि पाकिस्तान अपने 90,000 सैनिकों को रिहा कराने का इच्छुक ही नहीं है। अतः युद्धबन्दियों के रिहाई के मामले में भारत का पक्ष ठीक है।

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : राष्ट्रपति निक्सन ने कहा है कि भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे विदेश मन्त्री ने राज्य सभा में अपने भाषण में कहा था कि बंगला देश की स्वाधीनता और वियतनाम भारत और अमरीका के बीच सम्बन्धों के विकास में बाधक हैं। हमारा देश साम्राज्यवाद के हमेशा विरुद्ध रहा है। हमारी नीति शान्ति और मित्रता की रही है और इसी भावना को लेकर प्रधान मन्त्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ शिमला समझौता किया है। यदि बंगला देश, भारत और पाकिस्तान की मित्रता हो जाती है तो हमारी अर्थ-व्यवस्था शीत-युद्ध राजनीति में चंगुल से मुक्त हो जायेगी। यदि चीन और अमरीका पाकिस्तान को अपनी शीत-युद्ध राजनीति के अन्तर्ग्रस्त करना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान में स्वाधीनता की शक्ति का संचार करेंगे जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच अधिक मित्रता होगी। यदि पाकिस्तान चीन और अमरीका के प्रभाव से अथवा साम्राज्यवाद और शीत-युद्ध राजनीति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो इसमें भारत का ही हित होगा।

हमारा विरोधी पक्ष भारत की विदेश नीति की सराहना नहीं करेगा। हमारी विदेशी नीति सब प्रकार से सफल रही है। हमने तन्जानिया के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं और

ईराक तथा अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों के साथ भी हमारी मित्रता है। बंगला देश की स्वाधीनता के समय बहुत कम देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा साथ दिया था। परन्तु हमारी सशक्त एवं तटस्थ नीति के कारण आज 95 देशों ने बंगला देश को मान्यता दे दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संकल्प पारित किया है कि वे बंगला देश को मान्यता देने के पक्ष में हैं।

जब हम चीन और जर्मन जनवादी गणतन्त्र की मान्यता के लिए संघर्ष पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत की विदेश नीति पूर्ण रूप से सफल रही है। फिर सुरक्षा परिषद में चार बड़ी शक्तियों ने बंगला देश को मान्यता दी हुई है। चीन को समाजवादी देशों से अलग-थलग कर दिया गया था। भारत की विदेश नीति शक्ति और सिद्धान्तों पर आधारित है। भारत सरकार ने जर्मन जनवादी गणतन्त्र को मान्यता देकर और उत्तर वियतनाम में अपना राजदूत नियुक्त करके शान्ति और शक्ति की नीति का अनुसरण किया है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। प्रधान मन्त्री ने कहा था कि हम पाकिस्तान की भूमि नहीं चाहते और हमने अपनी सेनाओं को वहाँ से हटा लिया है। इसी प्रकार बंगला देश से भी हमने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार हमारी विदेश नीति सफल रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि बंगला देश के प्रगतिशील नेताओं का एक वर्ग कह रहा है कि 'भारत के शोषण से देश को बचाओ'। यह एक गम्भीर मामला है। बंगला देश में इस प्रकार की भावनाओं को प्रश्रय मिलना हमारी विदेश नीति की असफलता है। सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद भारत और बंगला देश के बीच व्यापार में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि बंगला देश के साथ व्यापार करने के लिए जारी किये गये आशय-पत्रों के आँकड़े क्या हैं। इन आँकड़ों से सही स्थिति की जानकारी मिल जायेगी। फिर सरकार ने पार-पत्र और बीजा प्रणाली को उदार बनाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। मन्त्री महोदय ने कहा था कि वर्तमान व्यवस्था तस्कर व्यापारियों और समाजवादी तत्वों को तथा वहाँ पर हथियारों के आगमन को रोकने के लिए की गई है। परन्तु आज स्थिति यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस सरकार के विरुद्ध है तो वह वहाँ पर नहीं जा सकता है। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी नीति बदल देनी चाहिए।

सरकार ने सभा को अब तक यह नहीं बताया है कि चीन-भारत सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये द्विपक्षीय वार्ता आरम्भ करने हेतु क्या ठोस कार्यवाही की है ? इसी प्रकार के पाकिस्तान के साथ भी हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होने चाहियें। परन्तु हमारे देश के कुछ जिम्मेदार लोग ऐसे भाषण करते हैं जो पाकिस्तान या श्री भुट्टो के लिये आदरसूचक नहीं होते हैं। यह वांछनीय नहीं है। युद्ध और शान्ति की बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मन्त्री 3.00 बजे से अधिक बोलना चाहें तो मैं समझता हूँ कि सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस समय विश्व के विभिन्न भागों में अनेक देशों के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिये ऐसे समय में हमारी संसद द्वारा इस विषय पर चर्चा किया जाना बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। हम इस वाद-विवाद में संसद सदस्यों द्वारा दिये गये बहु-मूल्य सुझावों का इन महत्वपूर्ण मामलों के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्धारित करने और कोई निर्णय करने में ध्यान रखेंगे। हमारी सदा आलोचना करने वाले माननीय सदस्यों ने भी समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया है। यहाँ तक कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा है कि वह शिमला समझौते की मूल बातों के विरुद्ध नहीं है, उनकी मुख्य आशंका यह है कि क्या पाकिस्तान भी उसको उचित ढंग से क्रियान्वित कर रहा है। श्री समर गुह ने कहा था कि भारत, बंगलादेश और

पाकिस्तान में त्रिपक्षीयता होनी चाहिये। भारतीय उप-महाद्वीप मे स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिये तीनों देशों में सहयोग तो होना ही चाहिये परन्तु मैं बताना चाहता हूँ कि त्रिपक्षीयता की बात हमेशा नहीं चल सकती है। उदाहरण के लिए यदि वे कहें कि भारत के बंगलादेश के साथ सम्बन्धों में पाकिस्तान को भी अपनी बात कहने की अनुमति होनी चाहिये तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी ? निश्चय ही ऐसे कई मामले हैं। जैसे युद्धबन्दियों का मामला, व्यापार और आवाजाही, आर्थिक सम्बन्ध, संचार, देश के ऊपर से उड़ान आदि हैं जिन पर त्रिपक्षीय समझौता आवश्यक होगा। परन्तु बंगलादेश के साथ हमारे सम्बन्ध ऐसे हैं जिनके बारे में हम त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मैं श्री ज्योतिर्मय बसु की इस बात पर सहमत हूँ कि किसी देश के राज्याध्यक्ष के बारे में चर्चा करते हुये, चाहे उसके साथ हमारे जैसे भी सम्बन्ध हों, शिष्टाचार बर्तना चाहिए। फिर राष्ट्रपति भुट्टो लोकतन्त्रीय प्रणाली से निर्वाचित राज्याध्यक्ष हैं और वह पाकिस्तान को नेशनल असेम्बली में बहुमत वाले दल के निर्वाचित नेता हैं जिसके नेशनल असेम्बली में लगभग 70 प्रतिशत स्थान हैं। श्री भुट्टो अपने दल के नेता हैं, यदि उनसे हमारे कोई मतभेद हैं भी तो हमें उनके समक्ष इनको रखना चाहिये परन्तु साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हम ऐसी कोई बात नहीं कहें जिनसे वहां को जनता उत्तेजित हो जाये। श्री वाजपेयी ने श्रीमती नन्दिनी सत्पथी के चुनाव में विजय का समाचार तास समाचार-पत्र द्वारा दिये जाने पर आपत्ति की है/यदि ऐसी बात है तो यही बात अन्य क्षेत्रों में भी लागू की जानी चाहिए। उन्होंने तथा कई अन्य व्यक्तियों ने श्री भुट्टो के बारे में ऐसी बातें कही हैं जो उचित नहीं कही जा सकती हैं, जैसा हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, वैसा ही हमें स्वयं करना चाहिये।

इस बारे में मतैक्य है कि रूस ने महत्वपूर्ण मामलों में हमारा साथ देकर अपनी मित्रता प्रदर्शित की है उसने हमें मशीन-निर्माण, अभिकल्पना, तेल की खोज आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की तकनीकी जानकारी प्रदान की है, रूस-भारत की मित्रता कतिपय सिद्धान्तों और आपसी सहयोग पर आधारित है। श्री भगत ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह समूचे देश के विचार को प्रतिध्वनित करता है, यह मित्रता केवल दो सरकारों के बीच में नहीं है अपितु यह दोनों देशों की जनता के बीच में भी है।

रूस के साथ हमारी मित्रता, सहयोग तथा सद्भावना भारत का विदेशों के साथ संबन्धों का एक आधार स्तम्भ है, गत वर्ष उस देश के साथ शान्ति, मित्रता तथा सहयोग की सन्धि पर हस्ताक्षर करके हमने उसे वैध बनाया है। हमने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है और यह किसी तीसरे देश के विरुद्ध नहीं किया गया है। हमारे सम्बन्धों का आधार सुदृढ़ है और हम हर क्षेत्र में आपसी सम्बन्धों को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में हमारा रूस के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा है और मुझे आशा है कि भविष्य में इसमें और भी वृद्धि होती रहेगी।

यहाँ चर्चा के दौरान हमें विदेशों के साथ अपने सम्बन्धों में अन्तर बनाए रखने के लिए कहा गया है। यह एक गलत दृष्टिकोण है जो हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। रूस के साथ हमारी मित्रता सिद्धान्तों पर आधारित है जिस पर दोनों देश सन्तुष्ट हैं। इसलिए हम इस मित्रता को और भी सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, हम किसी तीसरे देश को किसी अन्य किसी देश के साथ मित्रता विशेषकर रूस के साथ, में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में मैं कोई नई बात नहीं कहना चाहता हूं परन्तु श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में स्वीकृत दो प्रस्तावों के बारे में जो कुछ कहा है। उसके बारे में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा।

सयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 29, नवम्बर को दो संकल्पों को स्वीकृत किया था। पहला संकल्प यूगोस्लोविया का था जिसे 23 देशों का समर्थन प्राप्त था। इसमें कहा गया था कि बंगला देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने की शर्तों को पूरा करता है अतएव उसे सदस्य बनाया जाना चाहिए। दूसरा संकल्प अर्जेण्टाइना का था जिसका उद्देश्य यूगोस्लाविया के संकल्प पर कटु बहस को रोकना था। माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि पाकिस्तान यूगोस्लाविया के संकल्प का संशोधन प्रस्तुत करना चाहता था ताकि संयुक्त राष्ट्र सघ में बंगला देश के प्रवेश के प्रश्न को युद्धबन्दियों की रिहाई को जोड़ा जाये। अर्जेण्टाइना के संकल्प का उद्देश्य इस प्रकार के संशोधनों को रोकना था अर्जेण्टाइना के संकल्प में एशिया के उपमहाद्वीप में सामान्य स्थिति बनाए जाने के प्रयासों पर संतोष प्रकट किया गया है। युद्धबन्दियों की रिहाई का उल्लेख करते हुए इसमें कहा गया है कि सभी देश ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे इस समस्या के हल में बाधा उत्पन्न हो। संयुक्त राष्ट्र संघ में काफी विचार विमर्श के बाद यूगोस्लाविया तथा अर्जेण्टाइना के संकल्पों को बिना मतदान के स्वीकृत कर लिया गया था।

जहां तक युद्धबन्दियों का प्रश्न है, हमने इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है' हमने महासभा का ध्यान शिमला समझौते के पैरा 6 की ओर दिलाया है जिसमें युद्धबन्दियों की रिहाई तथा स्थायी शान्ति आदि के बारे में और आगे बातचीत करने का प्रावधान है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह स्पष्ट कर दिया है कि युद्धबन्दियों की रिहाई के मसले पर बंगला देश से भी विचार-विमर्श किया जायेगा। जहाँ तक महासभा के अध्यक्ष का दोनों संकल्पों में परस्पर सम्बद्धता की बात कहने का प्रश्न है, उनका तात्पर्य यह हो सकता है कि जब तक पाकिस्तान बंगला देश को मान्यत नहीं देता है तथा बंगला देश को संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्य नहीं बनाया जाता है तब तक युद्ध बन्दियों की रिहाई तथा अन्य समस्याओं का हल कठिन होगा।

इस अवसर पर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे स्थायी प्रतिनिधि श्री समर सेन की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के कार्यों की प्रशंसा करना चाहूंगा। श्री समर सेन ने कुशलता से इस मामले को निपटाया है। इसलिए हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर की नियन्त्रण रेख निर्धारित करने में हमारे प्रयासों को सफलता मिली है। भारत और पाकिस्तान के स्थल सेनाध्यक्ष की कल लाहौर में बैठक सम्पन्न हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने यह स्वीकार कर लिया है कि जम्म और काश्मीर तथा पाकिस्तान की सीमा और जम्मू और काश्मीर में नियन्त्रण रेखा के बारे में म भेद है।

हमें इस बात की वास्तव में प्रसन्नता है कि पाकिस्तान में शिमला समझौते के हित में न नहीं अपितु दोनों देशों के भावी सम्बन्धों के बीच हमारी स्थिति को भी स्वीकार किया है। लाह में हमारे सेनाध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि ठाकोचक के प्रश्न का समाधान उसकी स्थि के अनुसार ही किया जायेगा।

नियन्त्रण रेखा का सीमाँकन 17 दिसम्बर, 1971 को युद्ध-विराम के दिन की सैनिक स्थि के आधार पर किसी एक देश द्वारा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने पर आधारित है। वास्तव में हमारा मत रहा है कि ऐसा सीमांकन कार्य ठाको-चक सम्बन्धी विवाद से बिल्कुल भिन्न प्रकार है। अब चूंकि पाकिस्तान ठाको-चक के विवाद का समाधान करने के लिए सहमत हो गया है इसलिए हमारे सेनाध्यक्ष ने पाकिस्तान के पहले कुछ दावों का पुनर्मूल्यांकन किया है। अतः शान्ति बनाये रखने की दिशा में तथा नियन्त्रण रेखा को व्यवस्थित करने हेतु उसमें कुछ हेरफेर किया गया है

अन्ततः माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि समस्याओं का समाधान करने के लिए की गई वार्ताओं के सारांश से यह अर्थ लगाना कि एक देश को विजय प्राप्त हुई है और दूसरे को पराजय, अनुचित है। वस्तुतः शान्ति के हित में और शिमला समझौते की क्रियान्विति के लिए लाहौर में कल जो समझौता हुआ है वह दोनों देशों की ही विजय है और पराजय किसी देश की भी नहीं है।

दुर्भाग्य की बात है कि मेरे कुछ विपक्षी मित्र उसी समय प्रभावित होते हैं जब कि किसी समझौते के परिणाम पर पाकिस्तान में सन्तोष व्यक्त किया जाता है। वह दिन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा जब कि किसी विशेष निर्णय की अच्छाई या बुराई को पाकिस्तान में व्यक्त किए गए सन्तोष या असन्तोष के आधार पर परखा जाए। इस समस्या पर विचार करने का यह बहुत अपरिपक्व तरीका होगा। हमें प्रसन्न होना चाहिए कि पाकिस्तान भी सन्तुष्ट है। यह समझौता बहुत बातचीत करने के पश्चात् हुआ है और इसके आधार पर कोई पक्ष यह नहीं कह सकता कि जो वह प्राप्त करना चाहता था उसने प्राप्त कर लिया है।

शिमला समझौता इस आधार पर किया गया है कि जो भी मतभेद हैं, उन्हें पारस्परिक बैठकों में शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जायेगा और आपसी सहमति और समझौते से सुलझाया जायेगा। अतः ऐसी बातचीतों के परिणामस्वरूप जो भी समझौते किये जायेंगे, उनमें सदा कुछ न कुछ लेन-देन की प्रवृत्ति होगी। इसलिए चाहे कोई भी मामला हो हमारा प्रयास बाहरी शक्तियों को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग रखना होगा। भारतीय उपमहाद्वीप से और विशेषकर पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में बाहरी शक्तियों को दूर रखने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि इन समस्याओं को नई भावनाओं के आधार पर अर्थात् दोनों के आपसी दृष्टिकोण को समझने की इच्छा से सुलझाया जाए और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जाए। यही बात दोनों देशों के हित में है और यही शिमला समझौते का निश्चित तत्त्व है।

मेरी सदस्यों से अपील है कि शिमला समझौते को किसी एक विशेष धारा के आधार पर नहीं आंकना चाहिए अपितु इसे ऐसे दर्शन के आधार पर समझना चाहिए जो हमारे मतानुसार पाकिस्तान के साथ हमारे मतभेदों को दूर करने में एक अच्छा आधार बने। इसलिए दोनों पक्षों के वार्ताकारों को उत्तरदायी होना चाहिए और उन्हें अपनी कुछ शर्तें मनवाने का अधिकार होना चाहिए और तभी ठीक-ठीक वार्ता हो सकती हैं। अतः इस समस्या को अत्यन्त उचित ढंग से निपटाना चाहिए और आलोचनात्मक छोटी छोटी बातें नहीं उठानी चाहिए। ऐसे अनेक अवसर आयेंगे जब हम पाकिस्तान जैसे देश के साथ कठिन समस्याओं को भी आसानी से सुलझा लेंगे। इसलिए हमें लेन-देन का रवैया अपनाना होगा और यह बेहतर होगा कि हमें स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए।

वाद-विवाद के दौरान इस समस्या को सुलझाने के लिए श्री वाजपेयी जी ने केवल एक ही विकल्प प्रस्तुत किया है कि हमें शिमला समझौते को रद्द कर देना चाहिए और तीनों देश में समझौता करने के लिए पुनः प्रयत्न करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं तो केवल यही समझता हूं कि यह सुझाव अन्तर्राष्ट्रीय कार्य में अनुभवहीनता का द्योतक है। यदि कोई देश अपने पहले समझौते को रद्द कर नए सिरे से वार्ता करता है तो उसे कभी भी लाभ नहीं होता है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा सम्बन्धों का मौलिक सिद्धान्त यह है कि यदि सरकारें बदलती हैं तो वे अपना प्रथम वक्तव्य यही देती हैं कि वह अन्तर्राष्ट्रीय समझौते स्वीकार करती है और उन्हें मानती है। इसलिए यह सुझाव सर्वथा अमान्य है और परिस्थितियों के परिवेश में खोखला, अव्यवहार्य और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध

पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने की दिशा में शिमला समझौते का पालन करना ही सबसे अच्छा तरीका है और दूसरे पक्ष को भी इसका पालन कराने के लिए बाध्य किया जाए।

कुछ अन्य मामले भी उठाए गए हैं जिनमें एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अमरीका के साथ सम्बन्ध सुधारने में हमें "सावधानी" बरतनी चाहिए। मैं उनके "सावधानी" शब्द का प्रयोग करने के लिए उनका आदर करता हूं। इस सम्बन्ध में अतीत का उदाहरण दिया गया है। इस बात का हमें भी पता है और दूसरा पक्ष भी इसे जानता है। इस सम्बन्ध में मैंने एक वक्तव्य भी दिया है जो समाचार पत्रों में बड़े व्यापक रूप में प्रकाशित हुआ है। इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद ही मैंने यह वक्तव्य दिया है। संवाददाता जोश में आकर चाहे इसे 'प्रणय नियन्त्रण' कहे या कुछ और कहें, इसमें कुछ अन्तर नहीं पड़ता, और यह वस्तुस्थिति का ठीक जायजा है जिससे सम्भवतः सम्बन्धों में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। सम्बम्धों को सुधारने के विरोध में मैंने कहीं से कोई आवाज नहीं सुनी है और आलोचकों ने भी यह बात नहीं कही है। अतः हमने 'सावधानी' के सभी पहलुओं पर बहुत विचार किया है और हम यह समझते हैं कि हमें सम्बन्ध सुधारने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। यदि इस सम्बन्ध में सरकारी वक्तव्य को बड़े ध्यान और गम्भीरता से सुना जाता है तो कुछ शंकाओं का उत्तर भी होता है। इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के आपसी हितों को स्वीकार करना है और इसी दिशा में सम्बन्ध सामान्य हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे वक्तव्यों का सम्बन्धित देशों के कार्यालयों में बहुत सावधानी से अध्ययन किया जाता है। हमें यह जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि अमरीका के साथ सम्बन्ध सुधारने की हमारी इच्छा का स्वागत किया गया है। अमरीका के समाचार पत्रों तथा वहां अन्य सूचना साधनों ने गत वर्ष बंगला देश की समस्या के पश्चात् उत्पन्न स्थिति को निश्चय ही ठीक रूप में समझा है। हमें यह जानकर सन्तोष हुआ है कि अमरीका के सेक्रेटरी आफिसर श्री विलियम रोजर्स ने 1 दिसम्बर को अपने एक वक्तव्य में दोनों देशों के बीच मित्रता तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्ध बनाने हेतु हमारे वक्तव्य का स्वागत किया है। दोनों देशों में जनता एवं समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया भी अनुकूल रही है। यदि सम्बन्धों में सुधार करने की कोई गुंजाईश है तो मैं उसका स्वागत करूंगा और सुधारने का प्रयास करूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कुछ दिन पहले आपने कहा था कि सी० आई० ए० की गतिविधियों को दृष्टि में रखते हुए उनका रवैया मैत्रीपूर्ण अथवा सहयोगात्मक नहीं था।

श्री स्वर्ण सिंह : क्या आपका आशय है कि ऐसा रवैया चलता रहे? या हमें प्रयास करने चाहिए। मूल असहयोगात्मक रवैये को परिवर्तित करना बहुत गम्भीर प्रयास है। उन्हें ऐसा रवैया छोड़ना चाहिए।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह परिवर्तन तो देश अनुभव करेगा। यह मामला तो केवल आन्तरिक उद्देश्य के लिए ही उठाया गया था।

श्री स्वर्ण सिंह : आन्तरिक विषय अलग बात है और जब देश के आन्तरिक मामलों के बारे में चर्चा होगी तो आपको अवश्य अवसर दिया जायेगा। आपका यह मत बिल्कुल गलत है कि हमने जो वक्तव्य दिया है वह आन्तरिक स्थिति पर नजर रखते हुए दिया गया है। हमें देश की स्थिति का विपक्षी नेताओं से कहीं अधिक पता है। हमें देश के हितों की कहीं अधिक जानकारी है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : किसी विदेश मन्त्री ने ऐसा गैर बुद्धिमत्तापूर्ण वक्तव्य कभी नहीं दिया है। ऐसे गैर बुद्धिमत्तापूर्ण वक्तव्यों से हमारी सहनशक्ति समाप्त हो जाती है।

श्री स्वर्ण सिंह : सी० आई० ए० के बारे में इस प्रकार का वक्तव्य देने में किसी प्रकार की कोई घरेलू अनिवार्यता नहीं थी। जो सदस्य इस पहलू पर उत्तेजित हैं वे इस बात को ध्यान में रखें। विदेशों की गुप्तचर एजेन्सियों के कार्यकरण के बारे में हमारे पास जानकारी है और इस अर्थ में इसे घरेलू कहा जा सकता है और हमारे देश को लोगों को इससे अवगत कराने के लिये ऐसा किया गया था कि कहीं वे विदेशी एजेन्सियों की गतिविधियों के चंगुल में न फंस जायें। यदि माननीय सदस्य इसे घरेलू अनिवार्यता कहें तो ठीक है। इसके अतिरिक्त और कोई घरेलू अनिवार्यता नहीं है।

वियतनाम की स्थिति के बारे में भी विचार व्यक्त किए गए हैं। माननीय सदस्य को उसकी जितनी चिन्ता है उतनी ही चिन्ता हमें भी है। वहां जनता के विरुद्ध भारी पैमाने पर सैनिक कार्य-वाही जारी है। हम चाहते हैं कि वहां शान्ति स्थापित हो। जो कुछ हमें कहना चाहिए वह यह है कि इस वार्ता का शीघ्र समाप्त होने और समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का निवेदन करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि हमें आर्थिक प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में एशिया के देशों के साथ सहयोग करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूं। वास्तविकता यह है कि हम इस पूरे उद्देश्य से इस नीति का पालन करते रहे हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बंगला देश के साथ आर्थिक क्षेत्र मे हमारा शानदार सहयोग रहा है।

जापान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, आर्थिक दृष्टि से जापान एक महान शक्ति है। उनकी आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा है। उन्होंने विदेशी मुद्रा के भारी भंडार अर्जित कर रखे है। हम उनके साथ सहयोग करना चाहेंगे। जापान अथवा किसी अन्य समृद्ध देश के साथ ऐसा सहयोग हमारी विकास योजनाओं को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। जापान और अन्य देशों को, जो हमारे आर्थिक विकास में सहयोग करने के इच्छुक हैं, इस ओर प्रेरित करने में हर सम्भव प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रतिस्थापन प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The substitute motions were put and negatived.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयको और संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBEwS' BILLS AND SESOLUTIONS'

(बीसवां प्रतिवेदन)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बासवें प्रतिवेदन से जो 6 दिसम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो 6 दिसम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

बेरोजगारी की समस्या के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE- PROBLEM OF UNEMPLOYMENT

उपाध्यक्ष महोदय : हम बेरोजगारी की समस्या के बारे में संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे । श्री आर० डी० भडारे भाषण जारी करें ।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : बेरोजगारी की हालत यह है कि यह बहुत बढ़ गई है । 1951 से 1956 तक. जब से हमने सुनियोजित समाज को स्वीकार किया, बेरोजगारी सतत बढ़ती रही है । रोजगार-कार्यालयों द्वारा रोजगार चाहने वालों के लिए जो रजिस्टर तैयार किये जाते हैं उन्हीं से हमें एहसास होता है कि बेरोजगारी की समस्या कैसी उग्र हो रही है । 1951 से 1956 तक हमारे रोजगार कार्यालयों में 3,28, 718 बेरोजगार लोगों के नाम पंजीकृत हुए । 30 जून, 1972 तक यह सख्या बढ़कर 56,87,972 हो गई । इससे स्पष्ट है कि रोजगार के अवसर धीरे-धीरे कम हो रहे हैं और बेरोजगार लोगों की सख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये संविधान में संरक्षण होने के बावजूद भी इन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में रोजगार चाहने वाले लोगों में 4,71,094 लोगों के नाम दर्ज थे जिनमें से 3,82,571 लोग शिक्षित हैं ।

बेरोजगारी के अनेक पहलू हैं : शहरी बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और अशिक्षित बेरोजगारी । कुछ खेतिहर मजदूर ऐसे भी हैं जिन्हें फसल पर ही रोजगार मिलता है और जिनकी आय 12.6 करोड़ रुपये होती है जो नहीं के बराबर है । इस समस्या को हल करने के लिये मैं कुछ सुझाव देता हू । सबसे पहले, अधिक उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये और अब तक जितने उद्योग चल रहे हैं उन्हें पूरी क्षमता के साथ कार्य करना चाहिये ।

दूसरे यद्यपि भूमि सुधारों के बारे में काफी कुछ कहा गया है फिर भी मेरा सुझाव है कि पुनर्वितरण के लिये जितनी भी भूमि उपलब्ध है वह वितरित की जानी चाहिए । यदि इसे स्वीकार किया गया तो मुझे विश्वास है भूमि के लिये जो भूख है वह कुछ सीमा तक शांत हो जायेगी।

सरकार को कृषि उद्योग आरम्भ करने चाहिए ताकि गाँवों में बेकार पड़ी जनशक्ति का उपयोग किया जा सके ।

यदि हमें बेरोजगारी के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है तो समाज के पददलित और कमजोर वर्ग के लोगों के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना होगा और उनके लिये स्व-नियोजन के अवसर पैदा करने होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प पर चर्चा के लिये 2 घन्टे का समय आवंटित किया गया था । हमने इस पर 3 घन्टे मिनट का समय ले लिया है और 21 सदस्यों के नाम मेरे सामने हैं । मैं इसे सभा के समक्ष रखना चाहता हू कि क्या वह इस पर कोई समय-सीमा लगाना चाहती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : क्या हम यह मान लें कि इस पर 5.30 बजे तक चर्चा चलेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 6 बजे तक चलेगा क्योंकि 6 बजे आधे घन्टे की चर्चा होती है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : बेरोजगारी का मूल कारण यह है कि मुस्लिम लीग और जनसंघ परिवार नियोजन का विरोध कर रहे हैं ।

हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 30 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं । क्या सरकार प्रति वर्ष 1.30 करोड़

लोगों को रोजगार देने की स्थिति में है ? हमारे देश में 25 वर्ष से कम आयु वाले लड़कों की संख्या 30 करोड़ से भी अधिक है ।

जब तक इस देश में हर एक आदमी परिवार नियोजन नहीं करेगा तब तक देश का कोई भविष्य नहीं है ।

इस देश में क्या हो रहा है ? हमारे कारखाने धन का उत्पादन कर रहे हैं । परन्तु दुर्भाग्य-वश, जितने धन का उत्पादन किया जाता है उसका उपभोग उन्हीं श्रमिकों द्वारा कर लिया जाता है जो इसे उत्पादित करते हैं और दूसरों के लिए कुछ नहीं बचता है । जब तक श्रमिक अन्य कारखानों में निवेश करने के लिये अपने लोगों के लिए कुछ बचत करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा । श्रम मन्त्री को चाहिये कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार न मिल जाये, वह श्रमिकों को और अधिक सुविधायें देना बंद करे ।

इस पर काफी चर्चा हो रही थी कि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को अवश्य रोजगार दिया जायेगा ।

जब तक एक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तब तक किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जाना चाहिए । जब भूमि पर, और लाभांश पर सीमा लगाई जा सकती है तब इस पर भी क्यों सीमा नहीं लगाई जा सकती ?

हमारे देश में जनसंख्या प्रति वर्ष 1.30 करोड़ के हिसाब से बढ़ रही है । परिवार नियोजन सम्बन्धी हमारे सभी प्रयत्न बेकार साबित हो रहे हैं । यहाँ तक कि कुछ सम्प्रदायों के लोग इसका किसी भी रूप में पालन नहीं कर रहे हैं । इसके लिए संसद को कानून बनाना चाहिए और उन लोगों पर भी उसे लागू किया जाना चाहिए । बेरोजगारी की समस्या का यही एकमात्र हल मैं समझता हूं ।

Dr. Kailas (Bombay South) : Before discussing the burning question of unemployment we must know its situation.

The figures of employment potency of Private and public sector for 1966-71 show that if we really want to salve this problom of unemplovment we should expand these sectors.

We cannot slove this problem unless until our annual growth rate comes to 11·6 percent.

The students of our Country should be given some vocational training. They should not always be in search of service. There is a great dearth of spilled labour in our Country. This will solve this problem also. This unemployment is not only in unban area but in rural area also. For that we start small irrigation projects, rood building, land development etc.

A. I. R. should also give programmes telling the people about the trade they can adopt after passing their matriculation.

The stats should be asked to give occopational and vocational education.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : अगले दशक में हमें 400 लाख लोगों के लिए रोजगार चाहिए । रोजगार के अवसर तभी पैदा किए जा सकते हैं जब हमारी प्रगति दर 11·6 प्रतिशत होगी जनसंख्या को घटाना ही इस समस्या का एक मात्र हल नहीं है । यह बड़ी जटिल समस्या है और इसे इस प्रकार आसानी से हल नहीं किया जा सकता । इसके लिए हमें सेवा निवृति की आयु कम करनी चाहिए ।

Shri Ram Kauwar (Tonk) : The situations of employment is very bad in India. Thousnods of engineers and doctors are jobless. I may inform the house that there is generally only one doctor in whole of the Tahsil against the population of about one lakh. There jobless doctors should be posted in those areas, well digging schemes should be started in Rajasthan so that the enginneers can be give weak and the people there may get drinking water.

श्री एम० एस० संजीवी राव (काकीनाडा) : देश इस समय राक्षसरूपी बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा है। इसके बड़े भंयकर परिणाम निकल सकते हैं, यदि तुरन्त कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाये गये । इसका सामन्त युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों को सुचारू ढंग से चलाया जाना चाहिए।

हमें अधिक पूंजी वाले उद्योगों के बजाय छोटे इन्जीनियरिंग और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि ये श्रमिक प्रधान उद्योग हैं। सरकार ने इन उद्योगों के महत्व को समझा है,पर इस ओर उसने बहुत ही नगन्य काम किया है।

मैं सरकार को इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिए सान्ताक्रुज में निर्माता प्रोसेसिंग जोन बनाने के निर्णय के लिए बधाई देता हूं । मैं चाहता हूं ये जोन बंगलौर, हैदराबाद, पूना और गाजियाबाद में भी खोले जाने चाहिये । मैं इन उद्योगों की वकालत इसलिए कर रहा हूं कि ये पूंजी प्रधान न होकर श्रम प्रधान उद्योग हैं।

जैसा कि आपको पता है देश में अधिष्ठापित मशीनों की अप्रयुक्त क्षमता 35 प्रतिशत है। विद्युत की अत्यधिक कमी के कारण इसमें और वृद्धि ही होगी। इस गम्भीर परिस्थिति में सरकार क्या कर रही है। मेरे विचार से सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। हमारे राज्य को सिलेरू तथा कोठागुडम परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधि नहीं दी जा रही है।

सरकार ने भारी उद्योगों की स्थापना पर करोड़ों रुपये की राशि व्यय की है जिससे कि देश में अपने आय के साधनों वाली अर्थव्यवस्था स्थापित की जा सके। परन्तु देश में हो क्या रहा है। कहीं भारी उद्योगों में हड़ताल चल रही हैं तो कहीं पर अधिष्ठापित क्षमता की कमी के कारण उद्योग नहीं चल रहे हैं।

जहाँ तक लघु उद्योगों का प्रश्न है, इन की स्थापना से ही देश में रोजगार के अवसर पैदा किये जा सकते हैं। परन्तु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। 60 प्रतिशत लघु उद्योग संकटग्रस्त हैं। सरकार को एक ऐसे विभाग की तुरन्त स्थापना करनी चाहिए जो लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के बारे में ध्यान दे।

मैं अनुरोध करता हूं कि रोजगार मन्त्री उद्योग मन्त्री तथा विदेश व्यापार मंत्री के साथ परामर्श करके बेरोजगारी दूर करने के लिए एक समेकित दीर्घावधि योजना बनायें।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : हमारा समाज लोकतांत्रिक ढांचे के अन्तर्गत विकसित हो रहा है। अतः जब हम बेरोजगार की समस्या पर चर्चा करें तो हमें यह बात मस्तिष्क में रखनी चाहिये। दूसरे इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरम्भ होती है तब लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर दौड़ते हैं। यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि ग्रामीण लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों में आ रहे हैं इसलिए गत कई वर्षों से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपनी उपलब्धियों की ओर देखते हैं तब तो ठीक है अन्यथा हम समस्या के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं।

पूछा गया है कि क्या पांचवी योजना में रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं की संख्या बताई जायेगी अथवा क्या रोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं में किये जाने वाले पूंजी निवेश का संदर्भ प्रस्तुत किया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा संभव है ? क्या पूंजी निवेश का किसी राशि से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया जा

सकेगा ? यदि हमारा देश, ब्रिटेन तथा अमरीका की तरह विकसित होता तो जहाँ केवल 6 प्रतिशत अथवा 3½ प्रतिशत बेरोजगारी है तब एक निश्चित राशि के पूंजी निवेश द्वारा एक निश्चित सीमा तक बेरोजगारी दूर की जा सकती थी। हमारे देश में ऐसा संभव नहीं है। अतः हमें मस्तिष्क में ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए कि रोजगार के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि का विनियोजन करने से समस्या स्वतः ही हल हो जायेगी। हमारे जैसे देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए समय निर्धारित कार्यक्रम बनाना भी संभव नहीं है।

देश के रोजगार कार्यालयों में 64 लाख बेरोजगार लोगों के नाम पंजीकृत हैं। वास्तविक स्थिति जानने के लिए हमने एक सर्वेक्षण कराया है। वर्ष 1968 के इस सर्वेक्षण से पता चला है कि 51 प्रतिशत लोग वास्तव में बेरोजगार हैं, 42 प्रतिशत लोग रोजगार पर लगे हुए हैं और 7 प्रतिशत नाम छात्रों के हैं। अतः 51 प्रतिशत लोग वास्तव में बेरोजगार हैं।

इन तथ्यों को बताकर मैं समस्या की गम्भीरता को कम नहीं कर रहा हूं। मेरा तात्पर्य तो केवल इतना ही है कि हमें बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति से अवगत होना चाहिए।

कहा जाता है कि बेरोजगारी विकास का उप-उत्पाद है। जहां लोकतांत्रिक ढाँचे के अन्तर्गत आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है वहां ऐसी स्थिति पाई जाती है। विकासशील देशों में रोजगार के अवसरों का विकास आर्थिक विकास की तुलना में कम रहता है। रोजगार के अवसरों का पैदा किया जाना आर्थिक विकास करने वाले पहलुओं के अन्तर्गत पूंजी निवेश की पद्धति तथा तकनीकी के चयन पर निर्भर रहता है। श्रम प्रधान तकनीकियों की भी एक सीमा है। कुछ लोगों ने कहा है कि श्रम प्रधान तकनीकी अपनाने से समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी। जनशक्ति संसाधनों की भी एक सीमा है। हम उनका उपयोग कर सकते हैं। परन्तु इसकी भी एक सीमा है। इससे बेरोजगारी की समस्या का एकदम समाधान भी नहीं किया जा सकता।

सरकार इस महत्त्वपूर्ण बेरोजगारी की समस्या के बारे में सदस्यों की चिन्ता से सहमत है। वस्तुतः रोजगार को उच्च प्राथमिकता दी गई है। हमने गत चार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अर्थात पिछले 20 वर्षों में कुछ परिणाम निकाले हैं। उदाहरणार्थ तीसरी योजना के अन्त तक 3 करोड़ 15 लाख नौकरियों की व्यवस्था की गई थी। अभी हाल ही में अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान रोजगार के अवसर 174.9 लाख से बढ़कर 179.4 लाख हो गये अर्थात् इसमें 2·6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

निकट भविष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए किसी समय का निर्धारण करना संभव नहीं है। सरकार अतीत में रोजगार के अधिकाधिक अवसर बढ़ाने के प्रत्येक सम्भव उपाय करती रही है और भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी। इस दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों के बारे में इस सभा को पहले भी कई अवसरों पर बताया जा चुका है।

हमें विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी करना होगा जिसके लिए योजना आयोग कार्य कर रहा है। इससे हमें सही स्थिति का पता चल सकेगा। जैसा कि इस सभा को पता ही है कि ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत गत दो वर्षों में हमने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। इससे लगभग तीन लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। पिछले वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ रुपये खर्च करके रोजगार के अवसर जुटाये गये हैं। भगवती समिति की अन्तरिम रिपोर्ट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप आगामी वर्ष में रोजगार सम्बन्धी योजनाओं के अवसर जुटाने के लिये 201 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का हमारा विचार है।

रोजगार के अतिरिक्त अवसरों की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के बावजूद वेतन वाली नौकरियों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में हमारी कुछ सीमा है। अतः बड़े पैमाने पर स्वयं रोजगार ही बेरोजगार की समस्या से मुक्ति दिला सकता है। सरकार ने स्वयं रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए उदार ऋण जैसी सुविधायें देने सम्बन्धी कदम उठाये हैं। इसके साथ-साथ विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वयं रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा प्रणाली का नवीकरण करने हेतु भी कार्यवाही की गई है। माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में जो रचनात्मक सुझाव दिये हैं, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। लेकिन क्या हम अपने देश में वर्तमान स्थिति में उच्चतर शिक्षा के लिए चयनात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं? यह एक सामाजिक समस्या है। वे लोग भी, जिन्हें अपने आप को शिक्षित करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, अब उच्चतर शिक्षा लेना चाहते हैं। डिग्री उनके लिए प्रतिष्ठा का चिन्ह बन गया है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें मार्गोपायों का पता लगाना होगा और शिक्षा का व्यावसायिकीकरण करने का प्रयास करना होगा।

मैं एक और कठिनाई का भी उल्लेख करना चाहता हूं। यह सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक ज़िले में बेरोजगारी कितनी है इसको जानने के लिए सर्वेक्षण शुरू किये जाने चाहिए। हम इस सुझाव से सहमत हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा नमूने के क्षेत्रों में परिवारों के सभी सदस्यों के रोजगार दर्जे का विस्तृत विवरण पहले ही शुरू किया जा चुका है। इस कार्य के सितम्बर, 1973 तक पूरा हो जाने की आशा है। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत 9,000 गाँवों तथा 4,800 नगर खण्डों को शामिल किया जायेगा। इससे हमें सही स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलेगी।

दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि दुगुनी और तिगुनी फसलें उगाई जानी चाहियें। इस योजना के अन्तर्गत 30 लाख हैक्टर भूमि पर तो पहले ही यह कार्य किया जा रहा है और चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 90 लाख हैक्टर भूमि है।

जहां तक बेरोजगारी भत्ता देने का सम्बन्ध है, इस प्रकार के कार्य में वित्तीय कठिनाइयों का अनुमान लगाना एक कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो सीमित संसाधन हैं उन्हें हमें अधिक लाभदायक ढंग से प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। जिससे रोजगार के अधिकाधिक अवसर उत्पन्न किये जा सकें।

पांचवी योजना में प्रस्तावित और चौथी योजना में निर्धारित अन्तर्क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार देश में रोजगार के अधिकतम अवसर उत्पन्न करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देश के आर्थिक विकास के वर्तमान संदर्भ में श्रम की बढ़ती हुई दर तथा निवेश के लिए वर्तमान उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी दूर करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना संभव नहीं हो सकेगा ऐसा मैं समझता हूं। अतः सभी लोगों को पूर्ण रोजगार देने का लक्ष्य दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाने से ही पूरा हो सकता है। इसके लिए देश को आने वाले वर्षों में इस दिशा में अग्रसर होना है।

बेरोजगारी की समस्या पर इस सभा में विचार करना अथवा समाचार-पत्रों में इसका प्रचार करना ही पर्याप्त नहीं है अपितु हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था का विकास हो। यहां पर व्यक्त किये गये सभी रचनात्मक सुझावों को नोट कर लिया गया है और हम उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि श्रीमती माया राय ने अपने सकल्प के जरिए बेरोजगारी की समस्या पर एक अच्छी राष्ट्रीय चर्चा को उठाने का अवसर प्रदान किया है। लेकिन

जो कुछ मैंने कहा है उसको ध्यान में रखते हुए मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस संकल्प को वापिस ले लें ।

श्रीमति माया राम (रायगंज) : मेरे विचार से बेरोजगारी की समस्या पर व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई है । विभिन्न सदस्यों ने अनेक प्रश्नों को उठाया है और महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये हैं । सरकार को इन सुझावों पर गौर करना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिये । इस चर्चा में डा० वी० के० आर० वी० राव ने ठीक ही कहा है कि बेरोजगारी की समस्या को राष्ट्रीय मामले के रूप में लिया जाना चाहिए और इसे हल करने के लिए इस सभा के प्रत्येक सदस्य को दलगत भावना से ऊपर उठना चाहिये । यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसे दल की सीमित परिधि के अन्दर नहीं बांधा जा सकता है । इन स्थितियों से जो हमारे देश के लिये विशेष हैं, हमें उन्हीं स्थितियों के संदर्भ और पृष्ठभूमि में हल ढूंढने होंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा एक बात बेरोजगारी भत्ते के प्रश्न के बारे में कही गई है । पश्चिम बंगाल में दो निरन्तर अवधियों में उनके दल के सत्तारूढ़ होने से पूर्व यह एक बड़े चुनाव घोषणा-पत्र का भाग था । मैं पूछना चाहता हूं कि जब उनका दल दो निरन्तर अवधियों के लिए सत्तारूढ़ रहा, तो इस बेरोजगारी भत्ते अथवा बेरोजगारी बीमे के बारे में कुछ क्यों नहीं किया गया । अपने वचन को पूरा करने के लिए कौन सी बात उनकी राह में बाधक रही है ? कथनी और करनी में इतना अन्तर क्यों है ।

इसके विपरीत उनके दल के द्वारा अपनाई गई श्रम नीति के कारण 2 लाख रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों को नौकरी से निकाल दिया गया । पश्चिम बंगाल में कई कारखानों को बंद करना पड़ा । उन 2 लाख लोगों में 1.20 लाख लोगों को पुनः रोजगार देने और अन्य 40,000 लोगों को रोजगार देने के प्रयास करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की निन्दा करने से कोई लाभ नहीं है ।

उत्तरी क्षेत्र में यह समस्या अत्यधिक विकराल रूप लिये हुए है जहां 70 प्रतिशत लोग गरीबी से भी नीचे के स्तर का जीवन बिता रहे हैं ।

अतः हमें रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए । पश्चिम बंगाल से मुझे एक युवक ए० एन० राव का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बड़े मूल्यवान सुझाव दिये हैं । उनका कहना है कि सरकार सरकारी स्तर पर गृह निर्माण निगम तथा निर्यात निगम स्थापित करे जो कि सरकार के सभी कार्यों को करें तथा उनमें श्रमिकों को खपायें और इस प्रकार परमिट तथा लायसेंस देने सम्बन्धी भ्रष्टाचार का भी अन्त करे । दूसरा सुझाव खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अधिकार लेने तथा सरकार द्वारा ही वसूली भाण्डारण, वितरण तथा विक्रय की व्यवस्था करने का है । तीसरा सुझाव यह है कि सरकार बेरोजगार युवकों को सहकारिता से स्थापित करने का प्रोत्साहन दे जो कि सरकार को विभिन्न आवश्यक वस्तुयें सप्लाई करेंगी । इस प्रकार स्वयं रोजगार के अवसर बढ़ जायेंगे ।

बेरोजगारी की समस्या का हल केवल श्रम पूंजी के पास नहीं है । इसका सम्बन्ध योजना, शिक्षा, उद्योग, विदेशी व्यापार, कृषि तथा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से भी है । सभी मिलकर ही इसे हल कर सकते हैं ।

मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय कहते हैं कि इस समस्या के हल के लिये कोई सावधिक कार्यक्रम नहीं बनाया जा सकता यह सर्वथा संभव है और इसके बिना राष्ट्र का भविष्य बहुत अस्पष्ट हो जायेगा । मैं तो स्वयं बड़ी आशावादी हूं मन्त्री महोदय को निराशावादी नहीं होना चाहिये ।

मन्त्री महोदय के कहने से मैं अपना सकल्प तो वापस लिये लेती हू परन्तु यह चेतावनी अवश्य देती हूं कि मेरे संकल्प को वापस लिये जाने का अर्थ बेरोजगारी की समस्या का किसी भी रूप में कम हो जाना नहीं है ।

मन्त्री महोदय उपरोक्त सुझावों पर विचार करें ताकि हम यह समझें कि इस समस्या पर यहाँ हुई हमारी चर्चा निरर्थक नहीं गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा चाहती है कि श्रीमती माया राय को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक अपत्ति आई है । अत: मुझे बस पर विधिवत सभा का मत प्राप्त करना होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपनी आपत्ति वापस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: मैं समझता हूं कि सभा ने संकल्प को वापस लेने की अनुमति दे दी है ।

माननीय सदस्य : जी हां ।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया

The Resolution was, by leave, with drawn.

भूमि सुधार के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : LAND REFORMS

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "यह सभा केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती है कि वह सभी राज्य सरकारों से सिफारिश करे कि वे 26 जनवरी, 1973 से पहले प्रभावी भूमि सुधार कानून बनायें, जिनके द्वारा जमींदारों का भूमि का एकाधिकार समाप्त किया जाये, सभी प्रकार की छूट समाप्त की जाये और भूमि सीमा इस प्रकार निश्चित की जाये कि खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानों में बांटने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सकें ।"

सर्वप्रथम तो मैं यह कहूँगा कि मेरे इस संकल्प का पहला भाग निकाल दिया गया है तथा केवल दू रा भाग ही कार्यवाही में शामिल किया गया है । इसलिये अपने संकल्प के पहले भाग के बारे में मैं यहां कुछ बोल भी नहीं सकूंगा ।

(श्री सेझियन पीठासीन हुए)

Shri Sezhian in the Chair

बेरोजगारी की समस्या का हल करने का सबसे उत्तम उपाय भूमि सुधार है । भारतीय इस उपाय से भी बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह तो हल नहीं हो जायेगी फिर भी किसी सीमा तक तो हल होगी ही । यदि सारी अप्रयुक्त भूमि, बंजर भूमि, वन-भूमि, कृषि योग्य अप्रयुक्त भूमि आदि को सरकारी अधिकार में लेकर उसे खेतिहर मजदूरों में वितरित कर दिया जाये तो बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है ।

आज जो भूमि सुधार किया जा रहा है वह भूमि सुधार न होकर "जमींदारों की दशा सुधार" हो रहा है क्योंकि इसके फलस्वरूप जमींदार लोग पूंजीपति बनते जा रहे हैं । स्वाधीनता से पूर्व

कांग्रेस दल ने कुछ उद्देश्य तथा धारणायें जनता के सामने रखीं थी तथा यह नारा दिया था कि "भूमि उसकी होगी जो उसे जोते-बोयेगा।" तथा यह भी निश्चय किया गया था कि जमींदारी समाप्त कर दी जायेंगी और उसके लिए जमींदारों को कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा क्योंकि गांधी जी ने साफ-साफ शब्दों में कहा था कि देश मुआवजा अदा करने की वित्तीय स्थिति में नहीं है। इसी नारे तथा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने सारे देश को एक सूत्र में बाँधा था, जनता भी उसके साथ आई थी। परन्तु वे आश्वासन, वे वायदे पूरे नहीं किये गये। गाँधी जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, कुमारप्पा समिति आदि सभी के वचन धरे के धरे रह गये। उन्हें किंचित मात्र भी क्रियान्वित नहीं किया गया।

पंडित नेहरू ने अपने जीवन वृतान्त में लिखा है कि "आज हमारा रुख गांवों तथा वहां की मिट्टी के झौंपड़ों में बसने वाले निर्धन किसान की दशा सुधारने की ओर होना चाहिये। वे लोग हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं।

फिर इलहाबाद में अप्रैल 27-28, 1955 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह संकल्प पारित किया गया था कि ग्रामीण लोगों की जीवन-दशा सुधारने का एक आधारभूत तरीका यह है कि भूमि का स्वामी उसे ही बनाया जाये जो उस भूमि को बोता हो, उसमें काम करता हो तथा सीधे ही सरकार को राजस्व देता हो। इस बीच जमींदार अथवा तालुकदार आदि मध्यवर्तियों को समाप्त किया जाना चाहिए। वर्ष 1937-39 में कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति भी गठित की थी ताकि इस कार्य के लिए एक राष्ट्रीय विकास योजना तैयार की जाये।

जून 1942, में गांधी जी ने एक साक्षात्कार में लुई फिशर को स्पष्ट शब्दों में यह बताया था कि देश से जमींदारी प्रणाली समाप्त कर दी जायेगी तथा उसके लिए जमींदारी को किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकेगा।

जे० सी० कुमारप्पा समिति ने भी यह कहा था कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में बिचौलियों के लिए कोई स्थान नहीं है तथा भूमि का स्वामी वही हो जो उसे बोये-जोते, उससे उत्पादन करे।

सारा प्रश्न यही था कि भूमि उसके स्वामी की न होकर वास्तविक खेतीहर की हो। भूमि के स्वामी का अर्थ यहां यह है कि जो व्यक्ति भूमि का स्वामित्व तो रखता हो परन्तु वह न तो स्वयं उसे जोतता या बोता हो और न ही कभी देखने ही आता हो।

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करने वाले कानून में मुआवजा देने की व्यवस्था कर दी गई है यह गलत है। गांधी जी ने तो स्पष्ट कह दिया था कि कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकेगा। मैं यह तो मानता हूं कि छोटी-छोटी जोतों वाले तथा जीविका के अन्य साधनों से रहित भू-स्वामियों को मुआवजा दे दिया जाये परन्तु लखपतियों या कराड़ेपतियों को मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये। अतः राष्ट्र सरकार भूमि की जोतों पर अधिकतम सीमा लगाना चाहती है तो उसे स्वाधीनता से पहले व्यक्ति की गई भावना का आदर करना चाहिये, तथा उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार उस संकल्प का आदर करे जो स्वाधीनता से पूर्व कांग्रेस-दल ने पारित किया था। जो धन आप मुआवजों के रूप में देना चाहते हैं उसे न देकर उस धन से यदि आप देश में छोटे छोटे उद्योग चालू कर दें तो उससे भी बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी।

आज अनेक जमींदारों के नाम कई कई हजार एकड़ भूमि है क्या यह स्वाधीनता के पूर्व किये गये आस्वासनों का उपहास नहीं है ? आपने अधिकतम सीमा 15-50 एकड़ रखी है परन्तु जो व्यक्ति कोई अन्य काम करता है, व्यवसाय या व्यापार करता है तो फिर भी उसके 15 एकड़ भूमि भी रहने

का क्या औचित्य है ? उस पन्द्रह एकड़ भूमि को 15 व्यक्तियों में बांट दी जाये जो कि उसमें काम भी कर सकें।

अतः मेरा पहला सुझाव तो यही है कि ऐसा होना चाहिये तथा मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये।

सरकारी प्रतिवेदनों में भी यह कहा गया है कि भूमि सुधार कानून से भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। साथ ही यह बात भी कही गई है कि जहाँ उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नई प्रौद्योगिकी तथा आयोजन लागू किये गये हैं उससे असंतुलन, अस्थिरता तथा तनाव की स्थिति में वृद्धि हुई है। स्वाधीनता के तुरन्त बाद जो कृषि सम्बन्धी सुधार किए गये थे अब उनमें उत्साह कम हो गया है और वे प्रायः रुक से गये हैं। सामाजिक तथा आर्थिक असन्तुलन ने तनाव में और वृद्धि की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि राज्यों में खेतीहर मजदूरों ने हिंसात्मक गतिविधियाँ की हैं।

कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी ओर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अनेक राज्यों के 82% बटाईदारों के बारे में समय का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। या तो वे लोग जमींदारों की दया पर हैं या फिर उन्हें केवल अस्थायी सुरक्षा प्राप्त है।

केरल में कानून पास होने पर भी वहां बटाईदारों के अधिकारों का कोई रिकार्ड नहीं है। यह प्रश्न हमने संसद में भी कई बार उठाया है। 25-30 वर्ष तक कार्य करने पर भी बटाईदारों को बटाईदारी का कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं है। कानूनी कार्यवाही के समय अदालत रिकार्ड मांगती है। वर्ष 1960 से 1971 तक कृषि श्रमिकों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इससे यह पता लगता है कि जिनके पास थोड़ी जमीन थी वे भी उससे वंचित हो गये हैं। यह भी कानून के कारण हुआ क्योंकि उन गरीबों के पास रिकार्ड नहीं था। अतः इनकी भूमि में बटाईदारी के समय का निर्धारण होना ही चाहिए तथा यह रिकार्ड भी रहे कि वह जमीन को बोता है, केन्द्र सरकार के कहने पर भी अनेक राज्यों में इनके अधिकारों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है।

कई राज्यों में "स्वेच्छापूर्ण समर्पण" के नाम पर मुजारों को जबर्दस्ती बेदखल किया गया है जिसका यह कारण है कि वहां के जागीरदार बहुत प्रभावशाली हैं। ये जागीरदार पुलिस की सहायता से बेदखली कराते हैं। भूमि सुधार विधान के बाद भी भूमि के अंतरण से अधिकतम सीमा का विधान बनाने के उद्देश्य असफल हो गये हैं।

कृषि क्षेत्र के श्रम की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और कुछ मामलों में यह स्थिति भूमि सुधार के बावजूद और बिगड़ी है। बेरोजगारी 15% से भी अधिक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मृतप्राय हो चुका है। उन्हें राज्य सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है। कानून और व्यवस्था के नाम पर उन पर राज्य सरकार और पुलिस द्वारा आक्रमण किया जाता है। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद भी किसान अपनी जमीन खो रहे हैं।

कृषि श्रमिकों की संख्या हर जनगणना के साथ बढ़ती ही जा रही है। किसान, कृषि मजदूर बनते जा रहे हैं। हमारे भूमि सुधार उपाय असफल हो रहे हैं जिसका एक कारण यह है कि बहुत सी छूटें दी जा रही हैं। क्या इतनी अधिक छूटें देने पर भी इतनी जमीन प्राप्त करना आज सम्भव है ? कहा गया है कि मुख्य मन्त्री की बैठक इस उद्देश्य के लिए हो रही है जिसका अर्थ यह है कि देश भर में जागीरदार जमाने का जानबूझ कर अन्तरण करेंगे

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : आप निराशावादी बन गये हैं।

श्री ए० के० गोपालन : मैं वही बोल रहा हूं जो मेरा अनुभव है।

भिन्न प्रकार की छूटों के कारण भूमि सुधार का कार्यान्वियन असफल रहा है। यह बताया गया है कि केरल में 17 रियायतें दी गई हैं। मध्य प्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 7 और उत्तर-प्रदेश में 20 रियायतें दी गई हैं। गन्ना कारखानों, फलोद्यान, यन्त्रीकृत फार्मों, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं तथा न्यासों और सहकारी फार्मों द्वारा परिचालित बागानों और गन्ना फार्मों को रियायतें दी गई हैं। तब भी करापंवचन होता है और अन्तरण होते हैं।

केरल में जब साम्यवादी शासन था, उस समय एक विधान पारित किया गया था। विधान के पारित होने के बाद यह सरकार समाप्त हो गयी है। कार्यान्वियन के लिये कोई समय नहीं मिला है। 1967 में यह सन्तुलन मोर्चा सरकार द्वारा पुन: पारित किया गया था। 1970 में इसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। उसके बाद उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। संसद में प्रस्तुत करने के बाद इसे 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। 1958 से 1963 तक जमींदारों द्वारा जो अन्तरण किये गये वे पुन: वैध किये गये क्योंकि 1970 में इन्हें राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी।

1970 के विधेयक में यह पारित किया गया कि 3 मास के पश्चात् यदि अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना नहीं दी जाती तो सरकार पहली बार 200 रुपये का दण्ड दे सकती है और तत्पश्चात् प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। इसके बारे में हमने कुछ हिसाब किताब लगाया है। यदि सरकार जुर्माना करती है तो उसे 35 करोड़ रुपये मिलेंगे और इससे कोई अन्य कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु किसी जमींदार पर जुर्माना नहीं लगाया गया। इन सबके करने के बजाय सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया क्योंकि उन्होंने इस बारे में संकेत किया था। यह पता लगाने के लिए कि यह केवल सत्याग्रह था कि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त भूमि है। किन्तु हुआ क्या ? 2 लाख लोग गिरफ्तार किये गये। हमारे सघर्ष के बाद, हमारे आन्दोलन के बाद इस विधेयक को कार्यान्वित किया गया। 1970 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2.58 करोड़ एकड़ परती और कृषि योग्य बेकार भूमि थी। इसे वितरित क्यों नहीं किया गया ? जब देश में भुखमरी है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कृषि श्रम नहीं हो रहा है तो इस कृषि योग्य परती भूमि और बेकार भूमि को उन्हें क्यों नहीं दिया गया।

लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिये और सभी रियायतें समाप्त कर दी जानी चाहिए और सरकार को यथासम्भव अधिक से अधिक भूमि लेने का प्रयास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इतने अधिक विलम्ब के बाद भी भूमि का अन्तरण भूमिहीनों को किया गया।

जो लोग भूमि पर रह रहे हैं उन्हें उस भूमि को उन्हें दे दिया जाना चाहिए। ये लोग अधिकांश हरिजन और आदिवासी हैं और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें यह भूमि दी गई है।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ

"यह सभा केन्द्रीय सरकार में आग्रह करती है कि वह सभी राज्य सरकारों से सिफारिश करे कि वे 26 जनवरी, 1973 से पहले प्रभावी भूमि सुधार कानून बनायें, जिनके द्वारा जमींदारों का भूमि का एकाधिकार समाप्त किया जाये, सभी प्रकार की छूट समाप्त की जाये और भूमि सीमा इस प्रकार की निश्चित की जाये कि खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानों में बांटने के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सके।"

श्री झारखंडे राय (घोसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में,—

"सिफारिश" से पूर्व "जोरदार" जोड़ा जाये ।

(संख्या 1)

कि संकल्प में, —

"जमींदारों" **के स्थान पर** "भूस्वामियों" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 4)

श्री हरिकिशोर सिंह (पुपरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में, —

"26 जनवरी, 1973 से पहले प्रभावी भूमि सुधार कानून बनायें, जिनके द्वारा जमींदारों का भूमि का एकाधिकार समाप्त किया जाये, सभी प्रकार की छूट समाप्त की जायें और भूमि सीमा इस प्रकार निश्चित की जाये कि खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानों में बांटने के लिये पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो सके ।"

के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाये —

"भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने हेतु जुलाई, 1972 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने हेतु शीघ्रातिशीघ्र व्यापक कानून बनायें और उन्हें शीघ्र तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए समुचित पग उठायें, ताकि निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नियत की गई प्राथमिकताओं के आधार पर फालतू भूमि को शीघ्र ही भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा अन्य जरूरतमंद किसानों में बांटा जा सके ।"

(संख्या 2)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदरफैर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में, —

पंक्ति 4 और 5 में "खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानों" **के स्थान पर** "दिसम्बर, 1973 तक भूमिहीन हरिजनों, आदिवासियों, खेतिहर मजदूरों, गरीब किसानों और सेन के जवानों" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

(संख्या 5)

सभापति महोदय : ये सभी संशोधन सभा के सामने हैं ।

श्री ए० के० गोपालन : जहाँ तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कुछ संशोधनों को स्वीकार करता हूं ...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इसे अन्त में कह सकते हैं, अब श्री के० सूर्यनारायण की बारी है ।

श्री के० सूर्यनारायण : महोदय मैं तेलगु में बोलना चाहता हूं ।

श्री अण्णासाहेब शिन्दे : आन्ध्र के लोग अपने अधिकारों के प्रति बहुत जग हो गए हैं ।

***श्री के० सूर्यनारायण** (एलरन) : सभापति महोदय मैं श्री गोपालन के इस कथन से पूर्णतया

*तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का सक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telgu.

सहमत हूं कि भूमि सुधार के सम्बन्ध में केवल विधान पेश करना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता तो इस बात की है कि सत्ताधारी दल द्वारा इन भूमि सुधारों को क्रियान्वित किया जाये। भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में उनकी सहायता कर सकती है और उसे करनी भी चाहिए। यह सोचना ठीक नहीं है कि गरीबी का उन्मूलन भूमि सुधारों के लिए कानून पास करके किया जा सकता है। जब हम भूमि सुधार की बात करते हैं तो हमें खेती के लिए प्रायोग में आने वाले आवश्यक खाद बीज आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। जो राज्य सरकारें भूमि सुधारों का क्रियान्वयन कर रही हैं वह वस्तुतः बधाई की पात्र हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि कई बड़े जमींदारों को काफी भूमि पट्टे पर दी गई है। जमींदार लोग सरकारी क्षेत्र में अपने प्रभुत्व का लाभ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि धन का केन्द्रीयकरण थोड़े लोगों के हाथों में न हो। यदि हम समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें भूमि सुधारों को लागू करना होगा। देश के प्रति व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह भूमि सुधार सम्बन्धी प्रगतिशील विचार का आदर करे उसके पालन में सहायता दे। मुझे खेद है कि विरोधी दल के सदस्य यह व्यर्थ का आरोप लगाते हैं कि कुछ जमींदार और निहित स्वार्थ वाले लोग इन भूमि सुधारों के विरुद्ध हैं।

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मुल्की नियमों के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा कि इन के लिए हो रहे आन्दोलन के पीछे कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों का हाथ है। उनका ऐसा कहना सही नहीं है। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक विशेष समुदाय का नाम भी लिया है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य केवल भूमि सुधारों के सम्बन्ध में ही अपने विचार प्रकट करें। मुल्की नियमों के सम्बन्ध में कुछ न कहें···(**व्यवधान**)

श्री भोगेन्द्र झा : माननीय सदस्य उन व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं जो कि सदन में उत्तर नहीं दे सकते हैं। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में···**

श्री रामावतार शास्त्री**

सभापति महोदय : माननीय सदस्य द्वारा कहा गया शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि वह असंसदीय है।

श्री के० सूर्यनारायण : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में जाँच करा लें। यदि मैं गलत बात कह रहा हूं तो मैं उनसे क्षमा माँग लूंगा और यदि उनका कथन सही न हुआ तो माननीय सदस्य को मुझसे तथा सदन से क्षमा मांगनी पड़ेगी (विरोधी दल के सदस्यों का कहना है कि सरकार जमींदारों का पक्ष ले रही है और निर्धन कृषकों का साथ नहीं दे रही है)। माननीय सदस्य अपने दल के ही व्यक्तियों की एक समिति से इस बात की जाँच करायें।*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य प्रस्तुत प्रस्ताव के विषय में ही केवल अपने विचार प्रकट करें।

श्री भोगेन्द्र झा उठ खड़े हुए।

सभापति महोदय : आप अपनी बारी आने पर ही बोलें।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chair.

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the chair.

श्री के० सूर्यनारायण : प्रत्येक सरकार निर्धनों के हित में कार्य करने के लिए बाध्य है और यही हमारा नारा है।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जायें।

श्री भोगेन्द्र झा : ये किसी आदमी का नाम ले रहे हैं। ये कहते हैं कि पत्नी तथा पिता के नाम पर इन्होंने 2000 एकड़ जमीन रखी है ......

श्री के० सूर्यनारायण : मैंने 2000 एकड़ नहीं 30 एकड़ कहा है।

श्री योगेन्द्र झा : इस प्रकार की छींटाकशी साम्यवादी दल के एक सदस्य के विरुद्ध नहीं की जा सकती। कल मैं पूछताछ करके कुछ तथ्य सभा में सामने रखूँगा।

सभापति महोदय : श्री के० सूर्यनारायण अपना भाषण समाप्त करें।

***श्री के० सूर्यनारायण** : अत: मैं इस बात पर बल दूँगा कि कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसी मशीनरी का गठन भी जरूरी है जो यह देखें कि कानून उचित ढंग से क्रियान्वित हो रहा है या नहीं। मेरा सुझाव है कि भूमि सुधार को केन्द्र अपने हाथ में ले ले।

Shri Bhogendra Jha (Jainagas) : I will make enquiries about what the hon. member said about Shri Rajeshwar Rao and place the facts before the House.

There can be no second opinion about what Shri Gopalan stated in t' is connection. At present the spokesmen of the landlords of the country have defected from Jan Sangh to the congress. Even the Jan Sanghi landlords have joined congress after mid-term poll to Lok Sabha. The big lnndlords in the Congress are ignoring the objectives of the land reforms.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें। अब सभा में आधे की घंटे की चर्चा होगी।

स्वतंत्रता-सेनानियों को पेंशन की अदायगी**
GRANT OF PENSION TO FREEDOM FIGHTERS***

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The decision of the Government was taken a year age for giving pension to the freedom fighters who underwent imprisonment for not less than 6 months has been welcomed by all. Slow pace at which the Government implemented its decision caused much disappointment. Upto 31st October, 1972. Government received 1086?2 applications and sanctions were given in 5235 cases only. The Minister should explain the reasons for this inordinate delay. Also the Minister should give to the House the latest figures with regards to the number of applications for pension received from the freedom fighters and the number of cases in which sanctions have been given.

There was something wrong in the matter of grant of pensions as well as Tamorpatras to freedom fighters, certain genuine cases have been left out, while those which were not deserving, have been approved. There were political considerations in taking the decisions. No attention was paid to the recommendations of MPs and MLAs.

---

* तेलगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Telugu.

** आधे घंटे की चर्चा

*** Half Hour Discussion

May I know the machinery set up to make necessary verifications before sanctioning pension. It appears that the Government depended only on the bureaucrats. Has the Government set up a committee of legislators or all India political parties as has been done in Bihar ?

Pension has been sanctioned even to those persons who played a nefarious role in the freedom movement. There are two such names in the list of Bihar who have been given pension. The Government should inquire into such cases.

What has been done for giving pension to I.N.A. people or those freedom fighters who came from Pakistan and whose past records are not available. The Minister should give detailed information in regard to various aspects of the whole matter. A suitable machinery should be set up so that cases of grant of pension to freedom fighters are decided expeditiously.

Shri Anant Prasad Dhusia (Basti) : The decision of the Government to grant pension to the freedom fighters is no doubt commendable. May irregularities have been committed in the matter of granting pension to the freedom fighters. Persons who were not actually freedom fighters want to take the benefit of pension.

Definitions of political sufferer varies from state to state. Yordstick adopted for this purpose is not the same in different states.

Freedom fighters should have been nominated in the committee with a view to bring about uniformity in all the states regarding grant of pension.

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : There seems to be no definite policy about the freedom fighters. I want to know whether a definite criteria has been adopted with regard to grant of pension to the freedom fighters. The Minister should state whether freedom fighters from Goa will also be considered ? May I know whether the freedom fighters who suffered imprisonment for 6 to 8 months and whose records are not available, will also be considered ?

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The Hon. Minister should take initiative in disposing of the application for grant of pension to the freedom fighters by issuing definite instructions to the State Government.

What is the criteria for giving the amount of pension ? Their pension should be sent by money orders so that they could get the money at their native places. The hon. minister should give an assurance that pension will be given as early as possible.

***श्री एम० कतामुतु** (नागापट्टिनम) : स्वतंत्रता सेनानियों को पैंशन देने सम्बन्धी कार्य को शीघ्र निपटाया जाये। इस कार्य को संपन्न करने के लिए समय निश्चित किया जाना चाहिये जिसके अन्दर अन्दर काम समाप्त किया जाये। आजादी के 25 वर्ष बाद सरकार का ध्यान इस ओर गया है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पैंशन के लिये अपने प्रार्थना पत्रों को पेश करने तथा निगरानी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनसे जेल का प्रमाणपत्र मांगा जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों के पैंशन के मामलों में लगायी गयी इस प्रकार की शर्तों में कुछ ढाले डाली जानी चाहिये ताकि उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

जिन स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकारों ने मान्यता दी है उनके पेंशन सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों की भी छानबीन की जायेगी। मेरे विचार में इस प्रकार की छानबीन की विशेष आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त एक ही समय छ: महीने से अधिक जेलयात्रा सम्बन्धी शर्त में भी ढील होनी चाहिये।

---

* तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

मंत्री महोदय को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रार्थना पत्र भेजने में अनुभव की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखना चाहिये।

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : It is true .hat freedom fighters and their families through out the country have welcomed this scheme.

In so far as the question of delay in the disposal of applications for pension is concerned, the position is that the number of applications are more than a lakh and pension has been sanctioned in only 5000 cases. How the member of sanctions has gone up to more than six thousand.

15th August, 1973 was fixed as the target date for making necessary verifications at the centre. There may be cases where inquiries may have to be made from State Governments. The staff strength has been increased 4 times with a view to cope with the increasing load of work. There is also difficulty of getting adequate accommodation for this staff. Now that difficulty has also been got over and the work will proceed at a faster pace.

The question of party considerations does not arise in this matter. The applications are disposed off in the order in which they are received. There is however, ecceptions in the cases of those freedom fighters who are aged or very sick. It is said that certain non-deserving persons have been granted pension. Such complaints were received earlier also. Steps have been taken to check such a thing. Now whenever pension is granted to a freedom fighter it is publicised in the local press. The idea is that if the people found that an undeserving person has been given pension it can be brought to the notice of the authorities concerned.

One application for grant of pension is given to the Central Government and another to the State Government. The Central Government do not wait for recommendations of the State Governments. If on scrutiny a case is found alright, a provisional sanction is given. On receipt of verification from the State Governments, final sanction is given.

A question has been raised that there is no uniformity in the matter of criteria. This is because earlier, pension was given by the State Governments. Those Governments formulated their own criteria. It was in 1972 that the Central Government formulated its scheme and formulated uniform criteria for the entire country.

So for as the question of disament of money is concerned, the disbarsement is generally done through the treasury. We send the money to the Accountant Generals of State Governments. If a freedom fighter want to get the pension through money orders and he is prepared to pay the commission he can tell the concerned authorities accordingly. Money can be disbarsed through banks also but in that case also the question of service charges will arise. The Government will consider any practical suggestion in this regard.

इसके पश्चात लोकसभा सोमवार, 11 दिसम्बर, 1972/20 अग्रहायण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till eleven of the clock Monday, Dec. 11, 1972/ Agrahayana 20, 1894 (Saka)

Ashoka Printing Works, Modinagar.